खण्ड-393, अंक-1
सोमवार, 3 आश्विन, शक संवत् 1911
(25 सितम्बर, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1989)

खण्ड 393 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल ..	ग–ठ
उपस्थित सदस्य	ढ
प्रश्नोत्तर	1–83
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय संचार मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के निधन पर शोकोद्गार	83
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य श्री सरजू पाण्डेय तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री केशव गुप्ता, कृष्ण कान्त मिश्र, गय्यूर अली खां, ओम प्रकाश सिंह, श्री नारायण तिवारी, शांति चरण पिडारा, विशन लाल, श्री चन्द्र सिंघल, बदलू राम शुक्ल एवं श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के निधन पर शोकोद्गार	89
नत्थियां	99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा के सदस्यों की सूची

अकबर हुसैन बाबर,	श्री	फैजाबाद
अचलसिंह, श्री		फतेहपुर
अच्युतानन्द तिवारी,	श्री	गोरखपुर
अजीजुर्रहमान, श्री		बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री		कानपुर
अजीत प्रतापसिंह, श्री		प्रतापगढ़
अजीत सिंह सेठी, श्री		मेरठ
अतर सिंह यादव, श्री		एटा
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री		इलाहाबाद
अफजाल अन्सारी, श्री		गाजीपुर
अफसर यू0 अहमद, श्री		बस्ती
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री		मेरठ
अमर चन्द्र श्री		आगरा
अमर नाथ सिंह, श्री		फतेहपुर
अमिताभ अनिल दुवे, श्री		गाजीपुर
अमिताभ लवानिया, श्री		आगरा
अमीर आलम खां, श्री		मुजफ्फरनगर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री		बरेली
अम्बिका सिंह, श्री		बस्ती
अरबिन्द तिवारी,	श्री	जालौन
अरुणप्रताप सिंह, श्री		गोण्डा
अर्जुन सिंह, श्री		बांदा
अर्जुन सिंह यादव, श्री		जौनपुर
अलमेलु अम्माल कुमारी		बस्ती
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री		देवरिया
अवधेश प्रसाद, श्री		फैजाबाद
अवधेश राय शास्त्री,	श्री	गाजीपुर
अवनीश कुमार सिंह, श्री		बदायूं
अशरफ इमाम, श्रीमती		मिर्जापुर
अशोक बाजपेयी,	श्री	हरदोई
अशोक सेहरा, श्री		आगरा
अहिवरन, श्री		शाहजहांपुर
आर0 एन0 पाठक, श्री		कानपुर
इकबाल अहमद, श्री		आजमगढ़
इन्द्रजीत, श्री		फतेहपुर
इन्द्रप्रताप सिंह, श्री		बहराइच
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री		बुलन्दशहर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री		इलाहाबाद
उदयबीर सिंह, श्री		शाहजहांपुर
उदयबीर सिंह, राठौर श्री		एटा
उमा त्रिपाठी, श्रीमती		हरदोई
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री		गोण्डा
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट,	कु0	एटा
एहतिशाम वली खां, श्री		बहराइच
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री		झांसी
ओमवती, श्रीमती		बिजनौर
औसान सिंह, श्री		इटावा
कनक सिंह, श्री		गाजियाबाद
कमल किशन पाण्डेय, श्री		पिथौरागढ़
कमल नयन वर्मा, श्री		रायबरेली
कमला दरियाबादी,	श्रीमती	कानपुर
कमला साहनी, श्रीमती		बस्ती
कमलेश कुमार पाठक, श्री		इटावा
कमाल अहमद रिजवी, श्री		खीरी
कल्यान सिंह, श्री		अलीगढ़
कल्लू राम रत्नाकर,		मिर्जापुर
काजी कलीमुर्रहमान, श्री		आजमगढ़
काजी मोहिउद्दीन, श्री		सहारनपुर
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती		खीरी
कामेश्वर उपाध्याय, श्री		देवरिया
काशी सिंह ऐरी, श्री		पिथौरागढ़
किरनपालसिंह, श्री		बुलन्दशहर
किशन लाल,	श्री	पीलीभीत
किशन लाल दिलेर, श्री		अलीगढ़
किशन सिंह तड़ागी, श्री		नैनीताल
किशोरी लाल सकलानी, श्री		देहरादून
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री		हमीरपुर
कुदेसिया बेगम, श्रीमती		हरदोई
कुशल पाल सिंह, श्री		मथुरा
कृष्ण कुमार, श्री		फैजाबाद
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री		गाजियाबाद
कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री		फतेहपुर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0		आगरा
कृष्णा रावत, कुमारी		लखनऊ
केशरी प्रसाद, श्री		जौनपुर
केशरी सिंह, कर्नल		बस्ती
कैलाश प्रसाद, श्री		गोरखपुर
कोकब हमीद, श्री		मेरठ
कौशिक रमाशंकर, श्री		मुरादाबाद
खरपत राम, श्री		वाराणसी

खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुरशेद अहमद, श्री	बहराइच
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गजराज राम, श्री	जौनपुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोरखनाथ, श्री	देवरिया
गौरी शंकर, श्री	इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
चन्द्र सेन, श्री	जौनपुर
चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
जय नारायण तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
जागन सिंह, श्री	रामपुर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
ताराचन्द्र सोनकर, चौधरी	लखनऊ
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर
त्रिलोक चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दिनेश जौहरी, डा०	बरेली
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीपचन्द्र सोनकर, श्री	जौनपुर
दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देव कुमार यादव, श्री	बांदा
देवतादीन, श्री	बहराइच
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
द्वारिका प्रसाद, श्री	बस्ती
धनराज यादव, श्री	बस्ती
नंगा राम, श्री	खीरी
नत्था राम रावत, श्री	बाराबंकी
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नत्थूलाल विकल, श्री	बरेली
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
नानक चन्द आजाद, श्री	मेरठ
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
नियाज हसन, श्री	प्रतापगढ़
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
निसार हुसैन, श्री	रामपुर
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री	कानपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परागी लाल, चौधरी	सीतापुर
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल
पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद
पुरन सिंह माहरा, श्री	अल्मोड़ा
प्रकाश नरायन अवस्थी, श्री	फतेहपुर

प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमुदयाल, प्रधान	मेरठ
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रेमपाल सिंह, श्री	एटा
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
प्रेमीला बहादुर मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फजलुल बारी, श्री	गोण्डा
फजले मसूद, श्री	देवरिया
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
फूल कुंवर, श्री	मुरादाबाद
फूल सिंह सोदाई, श्री	मुजफ्फरनगर
फ्रांसिस डब्लू मोरे, श्री नाम निर्देशित	आंग्ल भारतीय
बंगाली सिंह डा०	अलीगढ़
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बद्री प्रसाद, श्री	उन्नाव
बद्री सिंह, श्री	जालौन
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
बलदेव सिंह, कैप्टन	अलीगढ़
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बालेश्वर, श्री	देवरिया
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री	बुलन्दशहर
बूनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
बेनी बाई श्रीमती	झांसी
बैजनाथ, श्री	देवरिया
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव

भगवान दास, श्री	मुरादाबाद
भगवान दीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भागीरथ चौधरी, श्री	झांसी
भोला राम, श्री	आजमगढ़
भृगुनाथ भट्ट, श्री	गोरखपुर
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मंगल देव, श्री	गोण्डा
मनहरन नाथ कौल, श्री	बहराइच
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
मरगूब अहमद खां, श्री	बाराबंकी
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
महमूदुल हसन अन्सारी, श्री	बिजनौर
मरहम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर	झांसी
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मिही लाल, श्री	हमीरपुर
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मूल चन्द्र, श्री	वाराणसी
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
मोती राम सागुड़ी, श्री	नैनीताल
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
मोहम्मद उमर, डा०	गोण्डा
मोहम्मद मसूद खां, श्री	आजमगढ़
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री	रायबरेली
मो० सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी

मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
यदुनाथसिंह, श्री	मिर्जापुर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुबरदयाल वर्मा, श्री	आगरा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रजनी कान्त दत्त, डा०	वाराणसी
रतन स्वरूप राही, श्री	बुलन्दशहर
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफन)	बरेली
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमाकान्त मिश्र, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री	फैजाबाद
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजकिशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
राजेन्द्र कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
राधेश्याम, श्री	कानपुर
राम आसरे, श्री	सुल्तानपुर
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर
राम करन पटेल, श्री	वाराणसी
रामकृष्ण, श्री	सीतापुर
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामचन्द्र शर्मा, श्री	वाराणसी
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
रामजन्म सिंह, श्री	वाराणसी
राम जियावन, श्री	बस्ती
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
रामनरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
रामनाथ मुन्शी, श्री	गाजीपुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामपाल सिंह, एडवोकेट, श्री	गोण्डा
राम प्रकाश सिंह, सेंगर, श्री	जालौन
रामबदन एडवोकेट, श्री	आजमगढ़
राम मजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम राज शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम सकल तिवारी, श्री	देवरिया
राम सजीवन श्री	बांदा
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर श्री	बाराबंकी
राम सागर राव श्री	बहराइच
राम सिंह एडवोकेट,	मैनपुरी
राम सिंह श्री	हमीरपुर
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
रिछपाल सिंह बन्सल, श्री	मेरठ
रीना कुमारी श्री मती	मुरादाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर,	इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लाल चन्द्र निषाद, श्री	गोरखपुर
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री	टिहरीगढ़वाल
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्री मती	बलिया
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विदेशी प्रसाद भारती, श्री	देवरिया
विनोद कुमार, श्री	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़

वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही , श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शशि शर्मा, श्रीमती	देवरिया
शारदा देवी , श्रीमती	गोरखपुर
शारदानन्दन अंचल श्री	बलिया
शारदा प्रताप श्री	लखनऊ
शारदा प्रसाद बिन्द श्री	वाराणसी
शिरोमणि भाई श्री	बांदा
शिव दर्शन श्री	रायबरेली
शिव नारायण मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव बख्श सिंह राठौर, श्री	मैनपुरी
शिव बालक पासी , श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	बलिया
शिवानन्द नौटियाल, डा०	चमोली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू श्री	गोरखपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
शौनार्थसिंह, श्री	बिजनौर
श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
श्याम लाल, चौधरी	जालौन
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री नाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, डा०	सुल्तानपुर
सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
सखावतहुसैन, श्री	गाजियाबाद
सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
सच्चिदानन्द बाजपेयी , श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी , श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सतीश चन्द्र, श्री	आगरा
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट, श्री	फर्रुखाबाद
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद

सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरस्वती देवी, श्रीमती	अल्मोड़ा
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सिकन्दर अली खां, नवाब	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुक्खन सिंह, श्री	बिजनौर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनील शास्त्री , श्री	गोरखपुर
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र नाथ अवस्थी , श्री	बाराबंकी
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
सुरेश प्रताप सिंह गांधी , श्री	अलीगढ़
सूर्य प्रताप शाही , श्री	देवरिया
सैयद अली अशरफी , श्री	पीलीभीत
सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री	गोरखपुर
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हनुमान प्रसाद कुरील, श्री	कानपुर
हफीज भारती , श्री	आजमगढ़
हरदेव, श्री	बलिया
हरनारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरशरन सिंह,	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिशंकर तिवारी बिलग्रामी, श्री	हरदोई
हरिश्चन्द्र हरीश जी , श्री	बस्ती
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हाफिज मो० उमर, श्री	कानपुर
हितेशकुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
हीरा सिंह विष्ट, श्री	देहरादून
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1–श्री नारायण दत्त तिवारी	मुख्य मंत्री एवं प्रभारी सामान्य प्रशासन, आवास प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योगिक, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पूर्त धर्मस्व, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग ।
2–श्री बल्देव सिंह आर्य	नगर विकास मंत्री ।
3–श्री लोकपति त्रिपाठी	सिंचाई मंत्री।
4–श्री अजीत प्रताप सिंह	वन मंत्री।
5–श्री नरेन्द्र सिंह	ऊर्जा एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री ।
6–श्री अम्मार रिजवी	सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ।
7–श्री गोपी नाथ दीक्षित	जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।
8–श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी	शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री ।
9–श्री श्याम सूरत उपाध्याय	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री,
10–श्री सईदुल हसन	श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
11–श्रीमती सुशीला रोहतगी	गृह मंत्री ।
12–श्री अरुण कुमार सिंह	दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री ।
13–श्री हुकुम सिंह	खाद्य एवं रसद मंत्री।
14–श्री मती बेनी बाई	लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री ।
15–श्री रघुबीर सिंह यादव	नियोजन मंत्री ।
16–श्री कृष्णवीर सिंह कौशल	कृषि मंत्री ।
17–श्री माता प्रसाद	राजस्व मंत्री ।

राज्य मंत्री

1–श्रीमती दीपा कौल	हरिजन एवं समाज कल्याण न्याय एवं विधायिका
2–श्री ओम प्रकाश रिछारिया	वित्त, संस्थागत वित्त, बिक्रीकर, मनोरंजन कर, पंजीयन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क।
3–श्री संकठा प्रसाद शास्त्री	गन्ना विकास, गृह ।
4–श्री मानपाल सिंह	जेल, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, राजनीतिक पेंशन ।
5–श्री समर पाल सिंह	सहकारिता ।
6–श्री प्रमोद तिवारी	परिवहन ।
7–श्री मुईद अहमद	सिंचाई ।

8–श्री नरेश चन्द्र	नगर विकास, सूचना, संसदीय कार्य।
9–श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	शिक्षा ।
10–श्री बिहारी लाल दोहरे	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिशु कल्याण, महिला कल्याण ।
11–श्री चेतराम गंगवार	बीस सूत्री कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं पोद्योग, परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण ।
12–श्री सीताराम निषाद	राजस्व, प्रांतीय विकास दल, राष्ट्रीय एकीकरण।
13–श्री जगदम्बिका पाल	शिक्षा, वन, संसदीय कार्य।
14–श्री शिव बालक पासी	कृषि ।
15–श्री गौरी शंकर	नियोजन, ग्राम्य विकास, प्रोटोकाल ।
16–श्री सईदुज्जमा	गृह ।
17–श्री राम औतार दीक्षित	ऊर्जा ।
18–श्री गुलाब सिंह	पर्यटन, पर्वतीय विकास ।
19–श्री कोकब हमीद	ऊर्जा, खाद्य तथा रसद ।
20–अजीत सिंह सेठी	शिक्षा, नगर विकास।
21–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव	श्रम, दुग्ध विकास ।
22–श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा	सार्वजनिक निर्माण ।
23–श्री श्रीनाथ सिंह	आवास, जल सम्पूर्ति, क्षेत्रीय विकास ।

उप मंत्री

1–श्रीमती हितेश कुमारी	सिंचाई ।
2–श्री निसार हुसैन	लघु उद्योग, गन्ना।
3–श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा	परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य ।
4–श्री शैलेन्द्र कुमार	हरिजन एवं समाज कल्याण, वन ।
5–श्रीमती रीना कुमारी	ऊर्जा ।
6–श्री राम दुलारे यादव	बीस-सूत्रीय कार्यक्रम, सहकारिता ।

मैता विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह	जनता पार्टी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोकचन्द्र

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री खान गुफरान जाहिदी
2–श्री राम सकल तिवारी
3–श्री कर्नल केशरी सिंह
4–श्री मनहरन नाथ कौल
5–श्री भगवती सिंह विशारद
6–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय
7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त
8–श्री रघुबर दयाल वर्मा
9–श्री राम शरण दास
10–श्री कौशिक रमाशंकर

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	ब्रह्मदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रूखाबाद
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	महराज सिंह, चौधरी	इटावा
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद	राज मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद	राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
चन्द्र सेन, श्री	जौनपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	राम बदन एडवोकेट, श्री	आजमगढ़
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	राम सागर, श्री	बाराबंकी
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई	रिछपाल सिंह बन्सल, श्री	मेरठ
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ	रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया

विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर	श्याम लाल, चौधरी	जालौन
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा	श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	सतीश चन्द्र, श्री	आगरा
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1989 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद, तहसील सदर के परगनाधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायतों के आंचो-परान्त स्थानान्तरण

**1--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित सदर तहसील में कार्यरत परगनाधिकारी सदर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच मुख्य राजस्व अधिकारी, फैजाबाद द्वारा कराई गई, जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट माह जुलाई अथवा अगस्त, 1989 में शासन के सुपुर्द कर दी और जांच में बहुत गम्भीर आरोप पाये गये ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

परगनाधिकारी, सदर फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई है जिसके द्वारा शिकायती पत्रों में भूमि हस्तान्तरण आदि सम्बन्धी आरोपों के बारे में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है, जांचोपरान्त परगनाधिकारी सदर, फैजाबाद का स्थानान्तरण जनपद से कर दिया गया है ।

प्रदेश के ऋण जमा अनुपात और राष्ट्रीय ऋण जमा अनुपात में अन्तर को सुधारने का प्रयास

**2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के ऋण जमा अनुपात और राष्ट्रीय ऋण जमा अनुपात के औसत में भारी अन्तर है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी अंचलों में भी ऋण और जमा अनुपात में इसी प्रकार का अंतर है ? यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

हां, प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 43 प्रतिशत है और अखिल भारतीय ऋण जमा अनुपात 61 प्रतिशत है । मार्च, 1988 में ग्रामीण और शहरी अंचलों का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 48.5 व 42.6 प्रतिशत था । ऋण जमा अनुपात सुधारने हेतु प्रमुख व्यावसायिक बैंकों के अध्यक्षों, रिजर्व बैंक के गर्वनर, तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर विचार विमर्श किया गया है । बैंकों को प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत तक करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है ।

नोट :--उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बलिया के कतिपय माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्तियां एवं अनियमितताओं की जांच

*1—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अनेक माध्यमिक एवं इन्टर कालेजों में अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति एवं अनुमोदन के बारे में तथा सूर्य नारायण प्रकरण की रु0 68153 का फर्जी भुगतान तथा लगभग 5 लाख रुपये से अधिक के गबन, धोखा-धड़ी, अनियमितता तथा जालसाजी आदि के सम्बन्ध में सर्वश्री विश्वनाथ सिंह, कमलाकर तिवारी का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 30-4-88 जो विशेष सचिव शिक्षा को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन मामलों में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने हेतु श्री कमलाकर तिवारी के प्रेषित पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा ए0 डी0 एम0 (वित्त) को दिनांक 16-3-88 में आदेश दिये जाने के बावजूद वांछित कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां । जहां तक सूर्य नारायण उपाध्याय प्रकरण, शिक्षा शास्त्र, मथुरा डिग्री कालेज, रसड़ा बलिया को 68153 रुपये के भुगतान का प्रश्न है, जांचोपरांत यह भुगतान नियमानुसार पाया गया है ।

शेष मामलों में विभागीय जांच पूर्ण होने के पूर्व एफ0 आई0 आर0 लिखाये जाने का औचित्य नहीं है ।

जांच पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

बलिया जनपद के स्कूल भवनों के मरम्मत हेतु आर0 एल0 जी0 पी0 या अन्य योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि

*2—श्री मैजेर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आर0 एल0 जी0 पी0 या अन्य योजनाओं के अंतर्गत बलिया जनपद में 1986-87 की अवधि में प्रत्येक विकास खण्ड के 21 बे0 शि0 विद्यालयों के भवन मरम्मत हेतु 2,10,000 रुपये दिये गये थे ? यदि हां, तो बलिया जनपद के अठारह विकास खण्डों में कौन-कौन विद्यालय भवन मरम्मत हुए और स्वीकृत कितने भवन मरम्मत नहीं हुए और क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी नहीं ।

वर्ष 1985-86 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बलिया के कार्यालय में सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल भवन मरम्मत हेतु अंकन रुपये 37.85 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था । इसमें से रु0 26,31,400.00 वर्ष 1985-86 में तथा रुपये 11,

28,000.00 वर्ष 1986-87 में स्कूल भवनों के मरम्मत हेतु विकास खण्डों एवं जिला परिषद् को दिये गये थे । कुल प्राप्त रुपये 37.85 लाख में से रुपये 37.83 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

पूर्ण प्रा0 पा0 भवनों की सूची एवं अपूर्ण निर्माण एवं अवशेष निर्माण वाले पाठशालाओं की सूची विस्तृत है, तथा मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती हैं ।

उपलब्ध संसाधन की अपेक्षा मरम्मत हेतु चयनित विद्यालयों की लागत अधिक थी अतः 105 विद्यालय भवन धनाभाव के कारण अपूर्ण रह गये ।

वर्ष 1986-87 में पंचायत राज्य विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों द्वारा निर्मित बेसिक शिक्षा विद्यालयों भवनों मरम्मत एवं रख रखाव जनपद बलिया में रु0 6,35,526.00 प्राप्त हुये थे । उपरोक्त आवंटन के विरुद्ध मरम्मत हुए विद्यालय भवनों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती हैं । कुल स्वीकृत 162 आईसरी स्कूलों में से 106 पर मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है तथा 56 पर मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं हुआ हैं । इनमें से 9 पर कार्य प्रगति पर है तथा शेष 47 में मरम्मत संबंधी आगणन तैयार कराये जा रहे हैं । आगणन तैयार कराने में हुए विलम्ब पर शासन द्वारा जांच कराई जा रही हैं ।

[सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती द्वारा खरीदी गयी कार का ऑडिट एवं प्राधिकृत नियंत्रकों से मांगा गया स्पष्टीकरण

*1--श्री सुखपाल पाण्डे, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री गया प्रसाद पाण्डेय---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले सोमवार यथा (ग) दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 को सर्वश्री मैनेजर सिंह तथा सुखपाल पाण्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो प्राधिकृत नियंत्रकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था वे कौन-कौन हैं और अभी तक जिस प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है वह कौन है और उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

निम्नांकित प्राधिकृत नियंत्रकों से स्पष्टीकरण मांगे गये थे :–

(1) श्री पी0 के0 सिंह
(2) श्री एन0 के0 चौधरी

कोई नहीं ।

मोहम्मद सिद्दीकी पुत्र स्व0 सुबराती निवासी पुराना महानगर घुसियाना लखनऊ के पुश्तैनी मकान के गिराने हेतु धमकी देने का मामला

*2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-163 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास

मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांचकर्ता को बिन्दुवार जांच आख्या क्या है ? प्रश्नगत आरोपों की जांच करते समय जांच अधिकारी द्वारा मौके पर किन-किन लोगों से जानकारी की गई, उनके नाम एवं पते क्या हैं तथा पड़ोसियों के बयान न लिए जाने के क्या कारण हैं? क्या पड़ोसियों के बयान लेकर बयानों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित मो0 सिद्दीक एवं श्रीमती बरातन के उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए भवनों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा गिराने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जांच कर्ता ने मौके पर जानकारी की और उपस्थित निवासियों ने यह बताया कि यहां मकान गिराने के लिए कोई ट्रक या गैंग आदि नहीं आया था । श्री मोहम्मद सिद्दीक व श्रीमती बरातन के यहां कोई नया अनाधिकृत निर्माण नही पाया गया । वर्ष 1989 के प्रथम सत्र के प्रश्न संख्या-163 में यह उत्तर दिया जा चुका है कि जांच-कर्ता द्वारा मौके पर जानकारी की गई थी किन्तु बयान नहीं लिए थे । जांचकर्ता द्वारा मौके पर लोगों के नाम व पते नहीं नोट किये जा सके थे ॥

क्योंकि प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं की जानी है, अत: अब पड़ोसियों के बयान लिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मोहम्मद सिद्दीक एवं श्रीमती बरातन के पूर्वजों द्वारा बनाये गये भवन को गिराये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला सुभाष नगर (भोला खेड़ा) आलमबाग में पेय जल की समस्या के निराकरण हेतु ट्यूबवेल के निर्माण की मांग

*3–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु लखनऊ शहर के मोहल्ला सुभाष नगर (भोला खेड़ा) आलमबाग (जल संस्थान के जोन नं0-4 कृष्णानगर के अंतर्गत) में एक ट्यूबवेल के निर्माण की संस्तुति स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई है? इस सम्बन्ध में अब तक क्षेत्रीय विधायक व जनता के कितने पत्र जल संस्थान, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? क्या उक्त ट्यूबवेल का निर्माण वित्तीय वर्ष 1989-90 में करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

जी हां ।

जनता के कुछ पत्र तथा क्षेत्रीय विधायक का एक पत्र लखनऊ जल संस्थान को प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

धनाभाव के कारण ।

जनपद बदायूं के गनेशी लाल उच्चतर मा0 वि0 ओरेक्षी तथा नेहरू इन्टर कालेज रुदायन के प्रबन्धक पर लगाये गये झूठे आरोप

*4—श्री योगेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना मजिस्ट्रेट बिसौली (बदायूं) द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित जांच आख्या-107/एस0 टी0 (वि0)/दिनांक 3 मार्च, 1987 तथा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-12-87 पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश पत्रांक-एम0 एल0/15/ई0 एम0, दिनांक 1-1-88 द्वारा प्रबन्धक, गनेशी लाल उच्चतर मा0 वि0 ओरेक्षी तथा नेहरु इन्टरकालिज रुदायन हाईस्कूल तथा इण्टर-मीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत फार्मों के अवैध धन की वसूली के दोषी पाये गये थे? यदि हां, तो क्या पैसा वापस कराया गया तथा उन्हें निलम्बित कर कार्यमुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रबन्धकों पर विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं ,तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

परगना मजिस्ट्रेट बिसौली बदायूं की जांच आख्या विद्यालयों के प्रबन्धक दोषी नहीं पाये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली के नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ग्राम समाज के अभिलेखों का चार्ज दिलाये जाने की मांग

*5—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के रुदौली विकास खण्ड में किन-किन ग्राम सभाओं के निर्वाचित ग्राम प्रधानों को अभी तक पूर्ण चार्ज दिलाया नहीं जा सका है? उन्हें पूर्ण चार्ज दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है? क्या यह सही है कि ग्राम बरावां विकास खण्ड व जनपद उपरोक्त के निर्वाचित ग्राम प्रधान श्री राम खेलावन मौर्य को अभी तक ग्राम समाज के अभिलेखों का चार्ज नहीं दिलाया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त चार्ज दिलाये जाने में हो रहे विलम्ब का क्या कारण है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उक्त चार्ज कब तक दिला दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड रुदौली में ग्राम सभाओं के निर्वाचित समस्त ग्राम प्रधानों को ग्राम पचायत का पूर्ण चार्ज दिलाया जा चुका है । जी नहीं, ग्राम बरावां विकास खण्ड रुदौली, जनपद-बाराबंकी के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री राम खेलावन मौर्य को दा कार्यवाही रजिस्टर के अतिरिक्त समस्त अभिलेखों का चार्ज दिलाया जा चुका है । अवशेष रिकर्ड प्रधान के उपलब्ध न होने के कारण हस्तगत नहीं कराया जा सका तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध है । उक्त प्रधान इसे किसी समय प्राप्त कर सकते हैं अस्तु विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय क्षेत्रों में नजूल की भूमि के समस्त पट्टों के नवीनीकरण की माग

*6—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के सिविल लाइन्स, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, अशोक नगर, राजापुर क्षेत्रों में कितने-कितने नजूल भूमि के पट्टे आवासीय उद्देश्य व वाणिज्यक उद्देश्य हेतु दिये गये थे और कितने पट्टों की अवधि समाप्त हो गई है और कितने समाप्त पट्टों का नवीनीकरण किया जा चुका है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन क्षेत्रों में कितनी भूमि शहरी सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक अतिरिक्त भूमि घोषित की गई है और शेष समाप्त पट्टों का नवीनीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इलाहाबाद जनपद के सिविल लाइन्स क्षेत्र में 315 पट्टे आवासीय एवं 75 पट्टे आवासीय/व्यवसायिक, जार्जटाउन में 94 पट्टे आवासीय एवं 2 पट्टे आवासीय/व्यवसायिक अशोकनगर में 98 पट्टे आवासीय तथा राजापुर में 10 पट्टे आवासीय उद्देश्य हेतु दिये गये थे। टैगोर टाउन में नजूल भूमि नहीं है। सिविल लाइन्स क्षेत्र में गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक 324 पट्टों की अवधि पूर्णतया समाप्त हो चुकी है, जिसमें 75 मामलों में नये पट्टों की स्वीकृति दी जा चुकी है। जार्जटाउन, अशोकनगर तथा राजापुर में अभी किसी भी पट्टे की अवधि पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है।

उक्त क्षेत्रों में शहरी भूमि सीमारोपण अधिनियम के अंतर्गत सिविल लाइन्स क्षेत्र में 68205.25 वर्ग मीटर, जार्जटाउन में 36978.76 वर्गमीटर, टैगोरटाउन में 1582.78 वर्गमीटर, राजापुर में 11519.65 वर्गमीटर एवं अशोकनगर में 177.50 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है।

सिविल लाइन्स क्षेत्र के शेष अवधि समाप्त पट्टों के मामले में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण

*7—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 30 हजार तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित किये जाने हेतु मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1989 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कतिपय तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

*8—श्री जमुना प्रसाद बोस—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों को शासन द्वारा अनुमोदित करवाये जाने की मांग

*9—श्री राम आसर वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा 5 नवम्बर, 1988 की बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अब तक शासन द्वारा उक्त निर्णयों का अनुमोदन न किये जाने का क्या कारण है तथा अनुमोदन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् की दिनांक 5-11-88 का कार्यवृत्त सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

परिषद् के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायगा ।

जनपद लखनऊ में नजूल की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को स्वामित्व के आधार पर राजाज्ञा जारी करने की मांग

*10—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ नगर के विविध विवादों के निस्तारण हेतु यह निर्णीत हुआ है कि नजूल की भूमि अथवा वह भूमि जिन पर मकान बनाये गये हैं, को स्वत्व और स्वामित्व के आधार पर काबिज व्यक्तियों के नाम फ्री-होल्ड घोषित कर दिया जाय ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ? सरकार कब तक तत्सम्बन्धी राजाज्ञा निर्गत कर देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*11—श्री बलराम यादव—

[2रे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 7 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ में सिटी मान्टेसरी द्वारा संचालित विद्यालयों में शुल्क नियंत्रित करने की

*12—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित सिटी मान्टेसरी स्कूल नाम की संस्था नगर में दर्जनों विद्यालयों को चलाती है ? यदि हां, तो उसके प्रबन्ध तंत्र की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उनके यहां पढ़ने वाले बच्चों से मनमाने ढंग से फीस ली जाती है तथा प्राइमरी स्तर तक के कक्षाओं में भी 100 रुपये प्रतिमाह से भी अधिक शुल्क निर्धारित है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? प्रदेश

के बच्चों को शिक्षा सस्ती मिल सके इसकी कोई नीति सरकार की है ? यदि हां, तो क्या उस नीति के अन्तर्गत सिटी मान्टेसरी स्कूल लखनऊ द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों पर शुल्क नियंत्रित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ, नाम की संस्था नगर में 14 विद्यालय चलाती है । यह एक रजिस्टर्ड संस्था है ।

इस संस्था द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिया जाता है जिसकी अनुमति कतिपय प्रतिबन्धों के साथ शासन द्वारा दी गयी है ।

शासन द्वारा इस संस्था को अनुदान नहीं दिया जाता है ।

जी हां ।

चूंकि शैक्षिक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा इस संस्था को कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सामान्य से अधिक शुल्क लिये जाने की अनुमति दी गयी है अतएव शुल्क नियंत्रण पर विचार करने का सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।।

जनपद गोण्डा में आरक्षित वनों की सुरक्षा हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

*13–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में प्रति वर्ष चोरों द्वारा जंगल सीमा से करोड़ों रुपए की लकड़ी चोरी से काट कर साक्ष्य को मिटाने हेतु जंगल को जला दिया जाता है जिससे जंगल के पुराने व नए पेड़ों को अपूरणीय क्षति हो जाती है ? क्या इस गम्भीर राष्ट्रीय क्षति की सुरक्षा हेतु प्रश्नकर्ता की कोई सूचना टेलीग्राम द्वारा 1989 के मई प्रथम सप्ताह में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सूचना की जांच किस शाखा से कराई गई ? जांच में किन-किन लोगों को दोषी पाया गया ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

जनपद गोण्डा के आरक्षित वनों में इस वर्ष हुए अग्निकांडों की घटना में ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अवैध रूप से लकड़ी काट कर साक्ष्य को मिटाने हेतु जंगल को जला दिया गया हो ।

इस वर्ष पूरे गोण्डा जनपद के आरक्षित वनों में कुल 27 अग्नि दुर्घटनायें हुई, जिससे कुल 82.3 हे0 क्षेत्र प्रभावित हुआ, परन्तु किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई एवं केवल गिरी, पड़ी सूखी लकड़ी, पत्ती, घास आदि जली है । वृक्षारोपण क्षेत्र में भी केवल पत्ते तथा घास ही जले-झुलसे है ।

इस सम्बन्ध में प्रश्नगत टेलीग्राम प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

चूंकि उल्लिखित टेलीग्राम प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, अतः मामले की जांच कराने तथा किसी को भी दण्डित किये जाने का कोई अवसर नहीं है ।

उ0 प्र0 वन निगम द्वारा यूकेलिप्टस लकड़ी का आधार मूल्य एवं उद्योगों को यूकेलिप्टस लकड़ी की आपूर्ति का रेट निर्धारित किये जाने की मांग

*14–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यूकेलिप्टस लकड़ी का उ0 प्र0 वन निगम का आधार मूल्य (फ्लोर प्राइस) क्या है और सेंचुरी पेपर एण्ड पल्प मिल लालकुआं जनपद-नैनीताल को किस रेट पर वन निगम द्वारा लकड़ी दी जा रही है क्या वन निगम इसी अंतर से प्रदेश के अन्य वन आधारित छोटे उद्योगों को भी यूकेलिप्टस की आपूर्ति करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नोएडा को नगरपालिका घोषित करने की मांग

*15–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नोएडा की आबादी 5 लाख के लगभग है ? यदि हां, तो नोएडा को नगरपालिका घोषित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्चस्तरीय समिति द्वारा जनपद लखनऊ में अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय

*16–श्री हृदयनरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा के पूर्व किसी उच्चस्तरीय समिति ने विश्वविद्यालय की स्थापना के सभी पहलुओं पर विचार किया था ? यदि हां, तो समिति की संस्तुतियां क्या थीं ? यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय के खोले जाने के पूर्व किस स्तर के अधिकारियों/मंत्रियों में विचार-विमर्श हुआ था और विचार विमर्श के निष्कर्ष क्या थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक हुई थी जिसमें मा0 शिक्षा मंत्री जी के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया था :–

1–मुख्य सचिव
2–प्रमुख सचिव, वित्त
3–शिक्षा सचिव
4–सचिव, नगर विकास
5–सचिव, प्राविधिक शिक्षा
6–सचिव, नियोजन विभाग
7–सचिव, न्याय विभाग

8–जिलाधिकारी, लखनऊ

9–प्रशासक, लखनऊ विकास प्राधिकरण

इस बैठक में गम्भीरतापूर्वक सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकरण पर शासन द्वारा उच्चतम स्तर पर विचार हुआ और लखनऊ में डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण अभि0 विभाग द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास निर्मित सड़क पर व्यय की गयी धनराशि की जांच की मांग

*17–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास वर्ष 1988-89 से करीब आठ लाख रुपए लागत की कोई सड़क ग्रा0 अभि0 विभाग बनवा रहा है ? यदि हां, तो इसकी निविदा कब प्रकाशित हुई, कार्य कब प्रारम्भ कराया गया एवं इस मद में भुगतान हेतु कितनी-कितनी धनराशि कब-कब निकाली गई थी ? क्या यह सच है कि यह कार्य बिना निविदा विज्ञापित कराये प्रारम्भ किया गया है और बिना कार्य प्रारम्भ के ही करीब दो लाख का चेक काटा गया है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं,

गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास वर्ष 1988-89 से करीब 8 लाख रुपये की लागत से कोई सड़क ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा नहीं बनाई जा रही है।

*18–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[2रे बुधवार में ता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर के ग्राम खड़ेचा एवं भुवालचक में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*19–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जमानियां के ग्राम खड़ेचा एवं भुवालचक में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण के तुरन्त बाद भवन की छत गिर गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से अभियन्ता दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

गाजीपुर जनपद में विकास खण्ड जमानियां के अन्तर्गत ग्राम खड़ेचा एवं भुवालचक में बेसिक प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला अहिबरनपुर में नागरिक सुविधाएं प्रदान किये जाने की मांग

*20–श्री गोपीनाथ वर्मा–।

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मुहल्ला-अहिबरनपुर जो मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत लिया गया था, में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है तथा वहां के निवासियों से गृह कर लेने के बावजूद न तो सफाई कर्मचारी की ही व्यवस्था की गई है और न ही स्ट्रीट लाइट एवं पीने के पानी व सीवर की ही व्यवस्था है ?यदि हां, तो उक्त मुहल्ले को नागरिक सुविधाएं न देने का क्या कारण है और उन्हें कब तक यह सुविधाएं प्रदान कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्या सुविधाएं न देने के कारण वहां के निवासियों से गृह कर व जलकर की वसूली माफ कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं । उक्त बस्ती को मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में लिया गया था तथा बस्ती में विकास कार्य किया गया है ।

उ0 प्र0 नगरमहापालिका अधिनियम 1959 में निहित प्राविधानों के आधार पर प्रश्नगत क्षेत्र के निवासियों से गृहकर लिया जाता है । उक्त क्षेत्र के मार्ग पर प्रकाश बिन्दुओं की तथा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कुएं की व्यवस्था की गई है । उक्त क्षेत्र में सीवर व्यवस्था प्रस्तावित नहीं थी, और क्षेत्र सफाई कर्मचारी रहित है ।

यह कहना सही नहीं है कि क्षेत्र के निवासियों को नागरिक सुविधायें नहीं उपलब्ध कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद में सरकारी नालियों के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि को किसानों से वसूल न किए जाने पर विचार

1–श्री अवधेश प्रसाद–।

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की सिंचाई के लिए जनपद फैजाबाद में जो नालियां सरकारी बनी हुई हैं, उस पर किसानों से निर्माण की रकम वसूली जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन किसानों को उक्त वसूली से मुक्त करने के संबंध में विचार करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–।

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

भू0 पू0 आर0 डी0 सुपरवाइजरों को पेंशन एवं अन्य बकाये धनराशि के भुगतान हेतु कृत कार्यवाही

2–श्री बलराम यादव–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1987-88 में कितने भू0

पू0 आर0 डी0 सुपरवाइजरों की पेंशन हेतु निर्णय ट्रिव्युनल कोर्ट 5, जवाहर भवन, लखनऊ ने दिया था ? क्या उन भू0 पू0 आर0 डी0 सुपरवाइजरों के पेंशन एवं अन्य बकाये धनराशि का भुगतान सहकारिता विभाग द्वारा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायगा ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–,

वर्ष 1987-88 में लोक सेवा अधिकरण-5 ने क्लेम पिटीशन सं0-133 एफ/111 83, व क्लेम पिटीशन संख्या-249 टी/पांच/85 के प्रसंग में निर्णय दिया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई है ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में सम्पर्क मार्गों का निर्माण

3–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विभाग ने बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा में वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में कितने मार्गों का निर्माण कराया है ? क्या सरकार सड़कों की सूची, लम्बाई व खर्च किए गए धन का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में बलिया जनपद के सीयर विकास खण्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 41 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया तथा नगरा विकास खण्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1, कुल 29 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है। सड़कों की सूची, लम्बाई एवं व्यय किये गये संसाधनों का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जनपद अलीगढ़ के टाउन एरिया शासनी में शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने पर भी कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

4–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के टाउन एरिया शासनी के पूर्व प्रभारी अधिकारी ने 12 कर्मचारी नियुक्त किए थे और वर्तमान में एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है जबकि शासन से नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और टाउन एरिया शासनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है? ऐसी परिस्थिति में नियुक्तियां किस आधार पर की गई तथा नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

टाउन एरिया कमेटी, शासनी में तत्कालीन अध्यक्ष के समय 55 कर्मचारियों के पद स्वीकृत थे और केवल 50 कर्मचारी ही नियुक्त थे। तत्कालीन प्रभारी अधिकारी द्वारा वर्ष 1981 में इन शेष 5 पदों में से 4 पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1986 में 10 सफाई कर्मचारियों के पदों पर व 1988 में एक टेक्निकल फिटर के पद पर कार्य के हित में तथा उस समय टाउन एरिया कमेटी की आर्थिक स्थिति ठीक

होने के कारण इस शर्त पर की गई थी कि इन पदों पर होने वाले व्यय को टाउन एरिया कमेटी स्वयं वहन करेगी और इन पदों पर कोई शासकीय अंशदान नहीं लिया जायगा। मामले में किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

जनपद आगरा के फिरोजाबाद में नगरपालिका की भूमि व मकान के क्रय विक्रय पर विकास कर

5–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में और नगरपालिका की सीमा से 5 कि0 मी0 की परिधि के अन्दर जमीन, मकान आदि की खरीद और बिक्री कर "विकास कर" दो रुपया प्रतिशत से रजिस्ट्री कार्यालय में बेनामों पर वसूला जाता है? यदि हां, तो तथाकथित विकास कर कब से बेनामों पर वसूला जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों और वह धन कहां जमा किया गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

यह शुल्क वर्ष 1977 से वसूल किया जा रहा है। उ0 प्र0, आवास विकास परिषद् द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत न करने के कारण विकास शुल्क की धनराशि महानिरीक्षक, निबंधक, उ0 प्र0, इलाहाबाद/राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय में जमा किया जाना प्रतीत होता है। उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा उक्त कार्यालय से मांग न किये जाने के कारण ही विकास शुल्क के रूप में ली गई धनराशि का स्थानान्तरण न होने के कारण फिरोजाबाद नगरपालिका के विकास में धनराशि का व्यय किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

सचिवालय स्थित प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक के तत्कालीन अवैतनिक सचिव के विरुद्ध लगाया गया गबन का आरोप

6–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 72-73 में सचिवालय स्थित प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि0 के तत्कालीन अवैतनिक सचिव द्वारा लाखों रुपए गबन करने का आरोप पाया गया था? यदि हां, तो क्या गबन की धनराशि की रिकवरी हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह–

उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटिएट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक में वर्ष 72-73 में जमींदारी उन्मूलन कम्पेनसेसन बाण्ड की खरीद फरोख्त में गबन करने विषयक मामला विवादास्पद रहा है। निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार तत्कालीन अवैतनिक सचिव पर जमींदारी उन्मूलन कम्पेनसेसन बाण्ड खरीद विषयक मामले में गबन का आरोप सिद्ध नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) का कार्यालय पर्वतीय जनपदों में खोलने की मांग

7–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने व वहां के शिक्षा संबंधी कार्यों के उचित निष्पादन हेतु अपर शिक्षा निदेशक, (पर्वतीय) नाम से पद सृजित अधिकारी नियुक्त हैं ? यदि हां, तो इस अधिकारी का कार्यालय स्थायी/अस्थायी रूप से लखनऊ में होने के कारण क्या है ? क्या इस कार्यालय को पर्वतीय जनपदों के लगभग केन्द्र बिन्दु में अतिशीघ्र स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रदेश की शिक्षा नीति एक ही है । शिक्षा सेक्टर के नीति विषयक आयोजनागत एवं आय-व्ययक संबंधी समस्त कार्य इलाहाबाद स्थित शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में ही केन्द्रीय रूप से निष्पादित होते हैं । पर्वतीय क्षेत्र के प्रस्ताव, निदेशालय, अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करता है। उक्त अधिकारी का ही दायित्व है कि वह शासन स्तर से अपने प्रस्तावों को स्वीकृति प्राप्त करें, शासन द्वारा अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध करायें, और शिक्षा विभाग तथा पर्वतीय विकास विभाग से विचार विमर्श करें । यह समस्त कार्य, उक्त कार्यालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हो जाने से सम्भव न होगा। इसके अतिरिक्त मण्डलीय स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यों का निष्पादन कराये जाने हेतु प्रत्येक मण्डल में तीन अधिकारी अर्थात मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पहले से ही तैनात है, जो क्षेत्रीय प्रशासनिक व विकास कार्यों का निष्पादन करते हैं । अतः अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के कार्यालय को लखनऊ में ही स्थापित रखे रहना ही लोकहित में है ।

जनपद बांदा में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने की मांग

8–श्री देवकुमार यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना में कार्यरत भूमि संरक्षक इकाइयों के कर्मचारियों को माह मार्च, 1987 से दिसम्बर, 87 तक के वेतन एवं भत्तों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा संबंधित कर्मचारियों को उनके वेतन भत्तों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद आगरा के फिरोजाबाद में स्थित सहकारी समितियों के विधिवत चुनाव कराने की मांग

9–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ फिरोजाबाद आगरा का निर्वाचन,

नियमों के अन्तर्गत सहकारी समितियों के निर्वाचन के बाद कराने की प्रथा और चुनाव नियम है? यदि हां, तो सहकारी संघ फिरोजाबाद का निर्वाचन वर्ष 1978 की पुसनी सूची के आधार पर कैसे कराया गया ? यदि यह चुनाव गलत हुआ है तो उसे समाप्त कर विधिवत् सहकारी समितियों के चुनाव के बाद नई चुनी हुई सूची के आधार पर चुनाव कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री समर पाल सिंह–

संबंधित निर्वाचन नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

क्योंकि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 89 के प्राविधानों के अनुसार पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि प्रश्नगत संघ के निर्वाचन में भाग लेने के लिए बंध थे ।

किसी सहकारी समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हुए बिना पुनः निर्वाचन तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा इस आशय का आदेश न पारित किया गया हो ।

उन्नाव जिले की रावतपुर एवं फतेहगंज साधन सहकारी समिति के सचिवों द्वारा रुपयों का घोटाला एवं कृत कार्यवाही

10–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की साधन सहकारी समिति रावतपुर ब्लाक सुमेरपुर व सा0 स0 स0 फतेहगंज ब्लाक पुरवा के सचिवों द्वारा लाखों रुपयों की धनराशि का गोलमाल, सचिव रावतपुर को ए0 डी0 सी0 ओ0 की जांच रिपोर्ट में लगभग एक लाख रुपये के घपले का दोषी पाया गया था ? क्या यह भी सच है कि तब जांच अधिकारी बदल कर दूसरे अधिकारी से जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या दूसरे अधिकारी ने अलग जांच आख्या में दस हजार रुपये के घपले के निष्कर्ष निकाले थे ? यदि हां, तो दोनों जांच निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या फतेहगंज के सचिव दि0 2 नवम्बर, 88 से 14 नवम्बर, 88 तक बिना अवकाश के ही अनुपस्थित थे और इसकी शिकायत अध्यक्ष सा0 स0 स0 ने उच्च अधिकारियों से की थी ? क्या उक्त दोनों सचिवों के अनियमित आचरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-12-88 सचिव सहकारिता को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष और कृत कार्यवाही क्या है ?

श्री समर पाल सिंह–

जांच रिपोर्ट में रावतपुर समिति में रु0 45,168.51 तथा फतेहगंज समिति में रु0 14,736.92 की गड़बड़ी पाई गयी।

जी हां ।

रावतपुर समिति के मामले में आरोपी के अनुरोध पर नियमानुसार जांच अधिकारी बदला गया ।

जी नहीं ।

दूसरे जांच अधिकारी ने रावतपुर समिति में मात्र 8206.59 रुपये की गड़बड़ी बतायी ।

सचिव फतेहगंज से संबंधित धनराशि दण्डनीय ब्याज सहित जमा करा दी गयी है तथा सचिव रावतपुर से भी रु0 8206.59 की धनराशि जमा करा ली गयी है साथ ही रावतपुर के निलम्बित सचिव के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 65 की कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, नगर बलिया में फलदार वृक्षों के बाग को आवास विकास बलिया द्वारा अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग

11–श्री शारदानन्द अंचल—

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के नगर बलिया अन्तर्गत मौजा हरपुर में फलदार 211 वृक्षों की बाग को आवास विकास बलिया द्वारा अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग सम्बन्धित प्रधान मंत्री भारत सरकार को सम्बोधित श्री राम दीहल मिश्र का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-5-87 प्रधान मंत्री कार्यालय के पत्र सं0–231–493 दिनांक 14-1-1987 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? क्या सरकार 20 वर्षों के बाग की अधिग्रहण मुक्त करने का निर्देश देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

प्रार्थना पत्र पर वन विभाग व उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से जांच आख्या प्राप्त की गयी ।

जी नहीं । प्रश्नगत भूमि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की हरपुर भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आती है । भूमि का कब्जा परिषद् को मिल चुका है भूमि अधिग्रहण का 'अवार्ड' घोषित हो चुका है व प्रतिकर वितरण हेतु धनराशि परिषद् द्वारा जमा करायी जा चुकी है । योजना के स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार निर्माण व विकास कार्य प्रगति पर है । प्रश्नगत भूमि में से, स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार, योजना क्षेत्र की 12 मीटर की मुख्य एप्रोच रोड जाती है जो बांसडीह-बलिया मुख्य मार्ग से मिल रही है । प्रश्नगत भूमि छोड़ने से एप्रोच रोड प्रभावित होगी व योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

जनपद आजमगढ़ में जू0 हा0 स्कूलों के बालक एवं बालिकाओं की क्षतिपूर्ति के भुगतान का अवशेष

12–श्री बलराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में 1987-88 के पूर्व मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 के बालकों एवं कक्षा 7 व 8 की बालिकाओं की क्षति पूर्ति किन-किन विद्यालयों की किन-किन वर्षों की भुगतान

हेतु अवशेष है ? अवशेष का भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ और भुगतान कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 87–88 के पूर्व के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के कक्षा 6 के बालकों एवं 7 व 8 की बालिकाओं के क्षति पूर्ति के वर्ष 80–81 के 51, वर्ष 81-82 के 41, वर्ष 82-83 के 12, वर्ष 85-86 के 17 तथा वर्ष 86-87 के 86 विद्यालयों के प्रकरण भुगतान हेतु शेष हैं ।

उक्त विद्यालयों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जो सत्र की अवधि में किसी कार्य दिवस पर देखी जा सकती है ।

पूरे मामले की जांच की जा रही है ।

शासन की अधिसूचना के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

13–श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 एफ0 द्वारा शासन की अधिसूचना सं0-2124/12-सी-2-151 (5)-83, दिनांक 30-7-85 की अवहेलना करके तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठ मानकर दिनांक 7-10-85 को अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी तथा उसे अन्तिम मानकर तदर्थ कर्मचारियों की पदोन्नतियां कर दी गयी? यदि हां, तो क्यों तथा शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री समर पाल सिंह—

शासन की अधिसूचना सं0 3124/12सी-2-151(5)-83 दिनांक 30-7-85 के अनुपालन में 571 कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जा चुका है तथा 250 मामलों में कार्यवाही की जा रही है । अतः अधिसूचना की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता । अधिकारी/तृतीय श्रेणी के अतकनीकी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 7-10-85 को जारी की गई जिसमें नियमित एवं तदर्थ आधार पर तैनात सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

अनन्तिम वरिष्ठता सूची से, अनुपयुक्त को छोड़कर, वरिष्ठता क्रम में उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के नियम संख्या 5(2) के अन्तर्गत अन्तरकालीन व्यवस्था हेतु 6 माह की अवधि के लिए कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गई हैं । अतः इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा क्रय-विक्रय समिति अछल्दा के सदस्य श्री बाबूराम गुप्ता मालिक फर्म गुप्ता ब्रदर्स अछल्दा पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति अछल्दा की बकाया वसूली एवं कृत कार्यवाही

14–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबू राम गुप्ता ब्रदर्स निवासी सहार बकायेदार ब्लाक-क्रय विक्रय समिति अछल्दा, तहसील विधूना, जनपद इटावा के संबंध में

श्री सोबरन लाल कठेरिया निवासी बीसरमऊ पोस्ट-मल्हासी भरथरा, जनपद इटावा के द्वारा मा0 मंत्री भारत सरकार, श्रीमती शीला दीक्षित को लिखे शिकायती पत्र के संदर्भ में सहायक निबन्धक सहकारी समितियां इटावा को सम्बोधित जिला अधिकारी इटावा के पत्रांक-2065/एसटी-राम-संख्या-86 दिनांक मई, 27, 1987 के परिपालन में उक्त बकायेदार से कुल धनराशि रु0 34004.68 की वसूली के लिये कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह–

क्रय विक्रय समिति अछल्दा के सदस्य श्री बाबूराम गुप्ता मालिक फर्म गुप्ता ब्रादर्स अछल्दा पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति अछल्दा की बकाया वसूली हेतु मु0 रु0 9239.26 रु0 7787.32 व मु0 रु0 10055.86 की धनराशि की डिग्रियां श्री बाबूराम गुप्ता के विरुद्ध प्राप्त कर तथा इजराय करा कर वर्ष 1987 में तहसीलदार बिधूना द्वारा वारन्ट गिरफ्तारी जारी कराया गया। वारण्ट में पिता का नाम न होने के कारण तहसीलदार विधूना द्वारा श्री गुप्ता को छोड़ दिया गया । श्री बाबू राम गुप्ता ने उपरोक्त डिग्री के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज इटावा के यहां बाद संख्या 187/87 मुकदमा दायर कर दिया है।

जनपद बस्ती के ग्राम नासिरगंज में सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण में हुए धन के गबन से सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

15–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि विकास खण्ड खेसरहा जनपद बस्ती के ग्राम नासिरगंज में सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण द्वितीय चरण में स्वीकृत हुआ है जिसका कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित एक अवर अभियन्ता द्वारा केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृत धन का गबन करा लिये जाने के कारण केन्द्र का निर्माण भी रुक गया है तथा जो सामान निर्माण हेतु आया उसका किसी का भुगतान भी नहीं हो सका? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां । श्री सुभाष चन्द्र अवर अभियन्ता द्वारा स्वीकृत धन के विरुद्ध कथित मुद्रांक 34,294.75 रु0 गबन करने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है तथा उक्त निर्माण हेतु प्राप्त सामान का कोई भुगतान अवशेष नहीं है, श्री सुभाष चन्द्र अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित/प्रसारित अधिसूचना में शिक्षा विभाग के महिला एवं पुरुष शाखा में कार्यरत अधिकारियों की विभागीय पदोन्नतियां

16–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित/प्रसारित अधिसूचना सं0-15/38/84-कार्मिक, दिनांक 21 जून, 1984 द्वारा स्तम्भ-2

में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु क्या-क्या संशोधन किया गया है? क्या शिक्षा विभाग द्वारा उक्त शासकीय अधिसूचना में प्रख्यापित/प्रसारित शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है?। यदि हां, तो दिनांक 15 जुलाई, 1988 तक शिक्षा विभाग के पुरुष तथा महिला शाखा के अन्तर्गत सी0टी0 एल0टी0, प्रवक्ता तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में कार्यरत सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पृथक-पृथक ज्येष्ठता एवं पदोन्नति हेतु पात्रता सूचियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इस अधिसूचना में लोक सेवा आयोग सरपरामर्श चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है जिसका सम्बन्ध पदोन्नति सम्बन्धी विभागीय चुनाव से है, ज्येष्ठता निर्धारण से नहीं । सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति की पात्रता सूचियां अलग-अलग नहीं बनायी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की महात्मा गांधी मार्ग से सटी भूमि पर जिला सहकारी बैंक द्वारा अवैध दुकानों का निर्माण एवं कृत कार्यवाही

17–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की जिला सहकारी बैंक का जो आगरा महानगर की महात्मा गांधी मार्ग से सटी हुई भूमि पर बैंक कार्यालय स्थित है, के सामने महात्मा गांधी राजमार्ग से सटी बैंक की बेशकीमती भूमि पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उस भूमि पर दुकानें बनाने के लिये बैंक के पास धन है? यदि नहीं, तो यह दुकानें कैसे बनीं और क्या इनका आवंटन बैंक करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दुकानों का नक्शा स्वीकृत है? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों?

श्री समरपाल सिंह–

जी हां, निर्माण कराया जा रहा था किन्तु उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के अनुसार रोक दिया गया है । बैंक के पास पर्याप्त धन नहीं है । तत्कालीन बैंक प्रशासक तथा सचिव/महा प्रबन्धक द्वारा मेसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी हींग की मण्डी आगरा के मध्य किए गए अनियमित अनुबन्ध के आधार पर इन दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था । यद्यपि उक्त तीनों पक्षों के अनियमित अनुबन्ध द्वारा आवंटन कर दिया गया है किन्तु न्यायालयों में विचाराधीन मामले के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं । आगरा विकास प्राधिकरण में लम्बित है ।

ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकास खण्ड सरदार नगर गोरखपुर के कतिपय योजनान्तर्गत बनाये गये प्रोजेक्ट की टेक्निकल जांच एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

18–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में माह मई, 1988 में प्राविधिक परीक्षक-1 टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा विकास खण्ड सरदार नगर, गोरखपुर के कतिपय

एन0आर0ई0पी0 तथा आर0एल0ई0जी0पी0 योजनान्तर्गत बनवाये गये प्रोजेक्ट की टेक्निकल जांच की गयी थी? यदि हां, तो उसमें दोषी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी? क्या यह सत्य है कि वर्तमान बी0डी0ओ0 (श्री शिव मंगल) द्वारा ग्राम डुमरीखास, ग्राम चौरी के सामुदायिक विकास भवनों जिसकी जांच टी0ए0सी0 ने किया था, में अपने कार्यकाल में खर्च किये गये धन के बाउचर व कागजात टी0ए0सी0 की जांच हेतु नहीं प्रस्तुत किये हैं? क्या इस सम्बन्ध में विधायकों द्वारा ग्राम्य विकास सचिव, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन तथा टी0ए0सी0 सेल को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

हां, माह मई 1988 में । दोषी खण्ड विकास अधिकारी को आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्तर से आरोपित करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त, गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

जी नहीं । वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी, सरदारनगर श्री शिवमंगल सिंह ने ग्राम डुमरीखास एवं चौरी के सामुदायिक विकास भवनों के व्यय वाउचर एवं अन्य कागजात टी0 ए0 सी0 के समक्ष प्रस्तुत किये थे ।

मा0 प्रश्नकर्ता का इस सन्दर्भ में पत्र दिनांक 30-5-88 प्राप्त हुआ था जिस पर आख्या हेतु टी0ए0सी0 को भेजा गया है ।

जिला गोरखपुर, विकास खण्ड सरदार नगर में इन्दिरा आवास निर्माण में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

19–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त सन् 1987 में विकास खण्ड सरदार नगर (जिला गोरखपुर) में इंदिरा आवास घोटाला काण्ड के मामले में ग्रामीण आवास आयुक्त की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किये गये जांच के मामले में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि सितम्बर, 1987 से लगायत जून, 1988 तक उक्त विकास खण्ड में बनवाये गये इंदिरा आवासों में भी भ्रष्टाचार व घोटाला की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा तथा अन्य जनपद के जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस अवधि में विकास खण्ड सरदार नगर में बनवाये गये इंदिरा आवासों की भी जांच आवास आयुक्त के जांच दल द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण आवास परिषद् के उप निदेशक एवं सहायक अभियंता द्वारा विकास खण्ड सरदार नगर के इन्दिरा आवास के निर्माण कार्यों की जांच की गई थी । जिसके आधार पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, श्री अमरेश नन्दन राय को निर्माण कार्यों की उचित पर्यवेक्षण न करने के लिए दोषी पाया गया था इसके लिए

जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1987-88 में श्री राय को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है । निर्माण कार्य हेतु तैनात कार्य प्रभारी श्री बलिकरण सिंह ग्राम्य विकास अधिकारी, श्री दीप नारायण सिंह, ग्राम्य विकास अधिकारी एवं श्री लाल जी प्रसाद ग्राम्य पंचायत अधिकारी, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी तथा उन्हें निलम्बित किया गया था । श्री लाल जी प्रसाद, ग्राम्य विकास अधिकारी के विरुद्ध रु0 2642.00 की वसूली के आदेश हो गये हैं।

सितम्बर, 1987 से जून, 1988 की अवधि में किसी स्तर से कोई शिकायती पत्र जनपद स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है ।

जनपद देवरिया के ग्राम सभा खजुरी करौता में खड़ंजा एवं पक्की नालियों की व्यवस्था करने की मांग

20–श्री बलराम यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया, तहसील-सलेमपुर, ब्लाक-भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजूरी करौता में खड़ंजा एवं गांव के नाबदानों के पानी की समुचित व्यवस्था पक्की नालियों से कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मुलायम सिंह यादव, नेता उ0 प्र0 लोकदल विधान मण्डल दल का पत्रांक-1175/एलडी/88, दिनांक 6-9-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? क्या ग्राम सभा में खड़ंजा एवं पक्की नालियों की व्यवस्था करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत पत्र जनपद स्तर पर दिनांक 6-9-88 प्राप्त हुआ था । ग्राम सभा खजुरी-करौता में खड़ंजा नाली निर्माण की योजना जनपद स्तर पर दिनांक 17-5-89 को प्राप्त हुई थी । ग्राम सभा खजुरी-करौता कई टोले में बसा हुआ है । आगणन के अनुसार प्रश्न गत खडंजा नाली निर्माण योजना रु0 2,55,700.00 की है । गत वर्ष की योजना के अनुसार एक गांव सभा को अधिकतम खड़ंजा नाली के लिए रु0 27,000.00 का अनुदान इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जा सकता था कि गांव सभा भी अपने श्रम एवं अंश से रु0 3000.00 की धनराशि लगावें । गांव सभा खजूरी करौता के पास कोई धन अपने अंश के रूप में निर्माण पर लगाने हेतु नहीं था । जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गांव सभाओं को उपलब्ध कराये गये संसाधनों का उपयोग भी खड़ंजा व पक्की नालियों के निर्माण में नियमानुसार करने के लिए ग्राम पंचायतें स्वतंत्र है ।

जनपद जालौन के कोंच नगर में चुंगी चुकाकर लाये गये बैलों एवं वध किए गए बैलों का विवरण

21–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष में जालौन जिले के कोंच नगर में चुंगी चुकाकर कितने बैल लाए गए और गत तीन वर्ष की

किस-किस वर्ष में कोंच पालिका के पशु वधालय में कितने-कितने बैलों का वध किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जालौन जिले के कोंच नगर में चुंगी चुकाकर लाए गये एवं पशु बधशाला में गत तीन वर्षों में बध किये गए बैलों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	चुंगी चुकाकर लाये गये बैलों की संख्या	बध किये गये बैलों की संख्या
1986–87	5156	4182
1987–88	8125	5748
1988–89	11078	6913

जनपद फैजाबाद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न विधान सभा क्षेत्र को धन अवमुक्त करने में भेदभाव का आरोप

22–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि विगत एक वर्ष की अवधि में जनपद फैजाबाद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों को धन अवमुक्त करने में भेदभाव बरते जाने का क्या कारण है ? इस संबंध में पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने और इसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने तथा इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद फैजाबाद की समस्त विधान सभा क्षेत्रों में प्रशासक मण्डल की संस्तुति के आधार पर धन अवमुक्त करने की नीति समान रखी गयी है तथा विगत वर्ष धन अवमक्त करने में कोई भेद भाव नहीं बरता गया है । अत: दोषी अधिकारियों को दण्डित करने तथा अंकुश लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद में सड़कों के रख रखाव हेतु शासन द्वारा प्रदत्त धन को विभिन्न विभागों को अवमुक्त किये जाने की मांग

23–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित सड़कों के रख रखाव और अनुरक्षण हेतु जनपद फैजाबाद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को चालू वर्ष में कितना धन शासन द्वारा कब दिया गया और उसे अब तक विभिन्न विभागों को अवमुक्त न किये जाने का क्या कारण है ? इस बारे में शासन की नीति और योजना क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम्य विकास विभाग में महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपों का क्रय

24–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री की जानकारी में है कि ग्राम्य विकास विभाग बिना रेट कान्ट्रेक्ट के व टेक्निकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर कितनी जिप्सी जीपें खरीद चुका है और क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चे (रख रखाव व ईंधन) का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

जिप्सी जीपें महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने के कारण क्रय की गयी है । विभाग द्वारा अब तक 95 जीपें क्रय की गयी है । महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान भारत सरकार द्वारा समस्त तकनीकी दृष्टिकोण से सफल परीक्षणोपरान्त ही जीपें रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत अनुमोदित की जाती है, अतएव महेन्द्रा व जिप्सी जीपों के खर्चे के तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

25–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में ग्रा0 अभि0 सेवा, फैजाबाद द्वारा निर्माणाधीन कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग है, जो अभी अधूरे है ? उनके अधूरे निर्माण कार्य को अब तक पूरा न कराये जाने के कौन लोग दोषी है ? क्या इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला इलाहाबाद, डा0 के0 पी0 जायसवाल, इण्टर कालेज के अध्यापक श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव को प्रदत्त सुविधायें

26–ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के छठें सोमवार के लिए निर्धारित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–37 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अध्यापक को देय सभी सुविधायें देने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव, अध्यापक, डा0 के0 पी0 जायसवाल इण्टर कालेज, जिला इलाहाबाद को निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं :–

1–दिनांक 1-7-70 से सी0 टी0 वेतनक्रम अनुमन्य कर दिया गया है ।

2–सी0 टी0 वेतनक्रम में वेतन निर्धारण कर दिया गया है ।

3–सामान्य भविष्य निधि की कटौती मार्च, 1989 के वेतन से प्रारम्भ कर दी गई है ।

4–दक्षता रोक एवं वेतन वृद्धि पर निर्णय लेने हेतु प्रबन्धतंत्र को निर्देश दे दिया गया है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव को 4 वेतन वृद्धियां रोके जाने का दण्ड दिये जाने के कारण चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड स्याना, ऊंचागांव एवं जहांगीराबाद की बाल्मीकि एवं जाटव बस्तियों में पेयजल व्यवस्था की मांग

27–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड स्याना, ऊंचागांव एवं जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर में कितनी ऐसी बाल्मीकि बस्ती हैं एवं कितनी जाटव बस्ती हैं जिनमें एक भी इण्डिया मार्क-द्वितीय हैण्ड पम्प नहीं लगा है ? क्या उपरोक्त बस्तियों में पेयजल संकट को दूर करने हेतु इण्डिया मार्क-द्वितीय हैण्ड पम्प के निर्माण के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विकास खण्ड स्याना, ऊंचागांव एवं जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर की बाल्मीकि एवं जाटव बस्तियों मे जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है की सूचना निम्न प्रकार है:–

विकास खण्ड	बाल्मीकी बस्ती	जाटव बस्ती
1–स्याना	12	40
2–ऊंचागांव	08	08
3–जहांगीराबाद	12	06

जनपद स्तर पर धन की उपलब्धता, समस्या एवं आवश्यकता को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था की जाती है ।

जनपद गाजीपुर में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत शेष गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

28–श्री अमिताभ अनिल दूबे–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में विभिन्न

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत 1000 से ऊपर आबादी के कितने गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? शेष गांवों को कब तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि अब तक विभिन्न सम्पर्क मार्गों से 1000 से ऊपर आबादी के 299 गांव जोड़ दिये गये हैं ।

शेष गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रमुख सचिव, श्री जगदीश चन्द्र पन्त, शिक्षा द्वारा के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में समारोह का उद्घाटन

29–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि दिनांक 5-9-88 को प्रमुख सचिव, श्री जगदीश चन्द्र पन्त, शिक्षा उत्तर प्रदेश ने द्वितीय राज्य प्रौढ़ शिक्षा समारोह का उद्घाटन के0 डी0 सिंह बाबु स्टेडियम लखनऊ में शासन के अधिकारियों द्वारा उद्घाटन समारोह न करने के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी किया था ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत समारोह एक विभागीय खेलकूद कार्यक्रम था, सार्वजनिक समारोह नहीं था । अतः तत्कालीन प्रमुख सचिव, शिक्षा ने विभागीय प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समारोह का उद्घाटन किया था ।

विभागीय खेलकूद कार्यक्रम होने के कारण इसमें शासन के आदेशों की अवहेलना नहीं हुई है ।

जनपद बांदा, ग्राम बड़ेछा के कतिपय व्यक्तियों द्वारा आई0 आर0 डी0 के कर्ज की शिकायत पर कृत कार्यवाही

30–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक–ए/64/87, दिनांक 6-10-1987 बांदा जनपद, ग्राम बड़ेछा, ब्लाक महुवा के श्री रामदीन पुत्र श्री रज्जु हरिजन व श्री मन्नू पुत्र भल्लू हरिजन ग्राम अरिंगाबाद (संउढ़ा) ब्लाक महुवा व श्री सिद्धू पुत्र श्री चुनवाद ग्राम सेउढ़ा ब्लाक महुवा व श्री बल्ली पुत्र श्री सुखलाल ग्राम बिलहरा ब्लाक नरैनी व श्री भोंदू पुत्र श्री बुलाकी ग्राम दरगाहीपुर ब्लाक महुवा के संलग्न पत्र के साथ आई0 आर0 डी0 के कर्ज के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों के प्रकरण की जांच किस उच्च अधिकारी से कराई गई तथा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्राप्त पत्रों की जांच जिलाधिकारी, बांदा के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी, महुआ से कराई गई तथा जांचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर के ग्राम प्रधानों को चार्ज देने के सम्बन्ध में भू0पू0 विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र पर कृत कार्यवाही

31—श्रीमती उमा त्रिपाठी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली अकबरपुर द्वारा जिला अधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 4-10-88 को अकबरपुर विकास खण्ड में प्रधानों के चार्ज के संबंध में लिखे गये पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली का दिनांक 4-10-88 का पत्र जिलाधिकारी को संबोधित न होकर परगनाधिकारी अकबरपुर को सम्बोधित है । उक्त पत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं की स्थलीय जांच कराकर समुचित कार्यवाही करा ली गई है । वर्त्तमान प्रधान से सभी कागजात का चार्ज भी दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय विद्यालयों में एल0 टी0 ग्रेड के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों का कोटा पूरा किये जाने की मांग

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में (राजकीय तथा अशासकीय) एल0 टी0 ग्रेड के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद आरक्षित हैं तथा आरक्षित पदों के विरुद्ध कितने अध्यापक (पुरुष/महिला) इस समय कार्यरत हैं ? रिक्त आरक्षित पदों पर नियुक्तियां एवं पदोन्नतियों में आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय विद्यालयों में एल0 टी0 ग्रेड के कुल 8236 पद स्वीकृत हैं । अशासकीय विद्यालयों की संकलित सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

अनुसूचित जाति के लिये	—	1482
अनुसूचित जनजाति के लिये	—	164
अनुसूचित जाति के	—	453
अनुसूचित जनजाति के	—	24

योग्य एवं अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर ही कोटा पूरा किया जा सकेगा ।

33—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद ललितपुर एवं जनपद बांदा में बन्द पड़ी सहकारी समितियों को खुलवाने की मांग

34–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बुन्देलखण्ड में सहकारी समितियों के किसानों पर बढ़े हुए कर्जे के कारण कई समितियां मौजूदा समय से बन्द पड़ी हैं और वह अब किसानों को खाद बीज की भी सुविधा नहीं दे पा रही है ? यदि हां, तो बुन्देलखण्ड के किस-किस जनपद में कितनी सहकारी समितियां बन्द हैं और शासन सभी किसानों को खाद बीज देने के लिए क्या उपाय कर रहा है ।

श्री समर पाल सिंह–

जी नहीं ।

मण्डल में कोई भी समिति प्रश्न में उल्लिखित कारण से बन्द नहीं है, बल्कि अन्य कारणों से जनपद ललितपुर में साधन सहकारी समिति बकलवारा तथा पिपरई एवं जनपद बांदा में साधन सहकारी समिति, बड़ागांव व बिलगांव सुसुप्त हैं ।

अन्य स्रोतों से इन समितियों को बीज, फसली ऋण तथा खाद उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर में साधन सहकारी समिति के सचिव एवं सहकारी बैंक के अधिकारी द्वारा किया गया आर्थिक घोटाला

35–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0, बिशुनपुर राज़ा, विकास खण्ड गोला, जनपद गोरखपुर में समिति के सचिव व सहकारी बैंक से संबंधित अधिकारी द्वारा किये गये आर्थिक घोटाले के संबंध में समिति के अध्यक्ष ने दिनांक 28-10-88 को मंत्री जी, उप निबन्धक (अधिकोष) सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शिकायती पत्र भेजा है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और क्या जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

समिति के सचिव व सहकारी बैंक से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आर्थिक घोटाला किया जाना ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह और श्री यदुनाथ सिंह, स0 वि0 सभा द्वारा प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

36–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-2-86, जिसकी प्राप्ति प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के पत्रांक 997 एम0, दिनांक 21 फरवरी, 86 द्वारा स्वीकार की गयी है, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि

नहीं, तो क्यों ?. क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बरौलिया लखनऊ के अवैध कब्जा हटाने विषयक श्री यदुनाथ सिंह, स0 वि0 स0 का पत्र दिनांक 7-3-88 मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? मकान नं0 503/223 द्वारा सड़क पर किये गये अतिक्रमण हटवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त भवन नजूल भूमि में स्थित है ? उक्त भवन का कार्पेट एरिया कितना है ? भवन का निर्माण कब कराया गया तथा भवन कर कब से लगाया गया ? क्या निर्धारित मानक के अनुसार भवन का नक्शा विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । प्रश्नगत विषय नजूल की भूमि पर अतिक्रमण का है जिसकी छानबीन कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अभियन्ताओं के निर्धारित कार्य

37–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अभियन्ताओं का कार्य, विभिन्न विभागों को धन आवंटित कर उनसे विकास कार्य कराना तथा स्वयं उसकी देखरेख (मानीटरिंग) करना है ? यदि हां, तो क्या इस गाइड लाइन के विरुद्ध बुन्देलखण्ड के जनपदों में कार्यों का स्वयं अभिकरण के अभियन्ताओं द्वारा विकास कार्यों की मानीटरिंग के स्थान पर, वर्ष 87-88 व 88-89 में स्वयं निष्पादन (एक्सीक्यूशन) कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में सड़क निर्माण के लिए सा0 नि0 विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा सिंचाई के कार्यों के लिए सिंचाई व लघु सिंचाई विभागों का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विभिन्न विभागों को धन आवंटन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अभियन्ताओं द्वारा नहीं किया जाता । बल्कि अभिकरण द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों आदि का तकनीकी पर्यवेक्षण कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग आदि इन अभियन्ताओं के जाबचार्ट में सम्मिलित है ।

सहायक अभियन्ता डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा विकास कार्यों की मानीटरिंग के साथ-साथ निर्माण कार्य भी कराया जाना उनके जॉब चार्ट में निर्धारित है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को देखकर समुचित विचारोपरान्त इस विषय पर निर्णय लिया जाता है कि सड़क निर्माण व सिंचाई सम्बन्धी कार्य किस विभाग को सौंपा जाय ।

38–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत दो वर्षों से बुन्देलखण्ड के किन जनपदों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्वयं अपने अभियन्ताओं से क्या-क्या कार्य निष्पादित करा रहा है ? क्या वर्ष 1987-88, 88-89 में स्वयं निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के स्थल चयन तथा उनकी गुणवत्ता की जांच उस कार्य के विशेषज्ञ विभाग द्वारा कराने के आदेश मंत्री जी करेंगे ताकि क्षेत्र की जनता को कराये गये कार्यों का सही लाभ मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बुन्देलखण्ड के अंतर्गत जनपद ललितपुर, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा अपने अभियन्ताओं से वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में निर्माण कार्य कराये गये । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में तैनात अभियन्ता सिविल निर्माण कार्य कराने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है अतः इन समस्त कार्यों के स्थल चयन एवं उनकी गुणवत्ता की जांच किसी अन्य विशेषज्ञ विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

सीनियर बेसिक विद्यालय अभियांकला, सुल्तानपुर के स्कूल भवन की छत में दरार

39–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सीनियर बेसिक विद्यालय अभियांकला, (ज्0 हा0 स्कूल) सुल्तानपुर के निर्माण के दो हफ्ते/एक माह बाद स्कूल भवन की छत फट गयी थी जिसकी शिकायत जिला प्रशासन/शासन को वहां के निवासियों और प्रतिष्ठित लोगों ने की थी ? यदि हां, तो निर्माण कराने वाले ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दो कमरों के बीच में दरार पड़ गई थी तथा छत से पानी टपक रहा था ।

संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को निजी व्यय पर छत को ठीक करवाने के आदेश दिये गये थे जिसके परिपालन में उन्होंने अपने व्यय पर दुबारा स्लैब डलवाया गया तथा बीमों की सहायता से गार्डर्स डलवाये ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी में बरार नामक पानी के भण्डार से लिफ्ट सिंचाई के संबंध में प्रश्नकर्ता का प्राप्त पत्र

40–डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ए/174 सि/88, दिनांक 25-3-88, तत्कालीन सिंचाई राज्य मंत्री को बांदा जनपद की तहसील नरैनी में बह रही रजनदी में ग्राम पंचमपुर के पास बरार नामक पानी के भण्डार से लिफ्ट सिंचाई के संबंध में तथा करीब के नाले में चेक डैम बनवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो लिफ्ट सिंचाई तथा चेकडैम का विस्तृत प्राक्कलन क्या है तथा शासन द्वारा इस क्षेत्र की असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु कौन-कौन सी योजनायें हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया के सीयर व नगरा में अनुसूचित जाति एवं किसानों को आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित करने का विवरण

41–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा में वर्ष 1985-86, 86-87 व 1987-88 में कितने-कितने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों व सीमान्त किसानों को आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित कराया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में वर्ष 1985-86, 86-87 व 1987-88 में अनुसूचित जातियों व सीमान्त किसानों को आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का विवरण निम्न प्रकार है :—

विकास खण्ड सीयर

वर्ष	अनुसूचित जाति	सीमान्त
1985-86	646	453
1986-87	350	223
1987-88	451	528
योग	1447	1204

विकास खण्ड नगरा

1985-86	202	278
1986-87	325	235
1987-88	175	109
योग	702	622

उक्त विकास खण्डों में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं है ।

जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में सड़क तथा खड़ंजा निर्माण हेतु आवंटित धनराशि एवं निर्मित कार्य की जानकारी की मांग

42–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86, 86-87 तथा 87-88 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग तथा पंचायतराज विभाग को गांव सभा क्षेत्रों

में खड़ंजा लगाने तथा सड़क बनाने के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत करके जिला पंचायतराज अधिकारी, लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में जमा करायी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में जो धन-राशि उल्लिखित तीन वर्षों में जमा की गई उसमें से सड़क तथा खड़ंजा निर्माण के लिए किस-किस जनपद को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? आवंटित धनराशि के अंतर्गत संबंधित जनपदों के किन-किन गांव सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी सड़क बनायी गयी तथा कितने मीटर खड़ंजा लगाया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के राजा रतन सेन चैरिटेबुल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट की सम्पत्ति की जानकारी की मांग

43–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा रतन सेन चैरिटेबुल इन्डाउमेंट ट्रस्ट बांसी, जनपद बस्ती के नाम वर्तमान समय में कितनी सम्पत्ति किस रूप में कहां स्थित है ? क्या मंत्री जी ट्रस्ट के संविधान की अद्यतन संशोधित प्रमाणित नीति ट्रस्टियों के नाम व पते के साथ ट्रस्ट की समस्त चल, अचल सम्पत्ति के ब्यौरे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

राजा रतन सेन चैरिटेबुल इन्डाउमेंट ट्रस्ट बांसी, जनपद बस्ती वर्ष 1915 में गठित एक पुराना ट्रस्ट है जिसकी भूमि व सम्पत्ति की वर्तमान स्थिति की सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।

ट्रस्ट के संविधान की अद्यतन संशोधित प्रमाणित प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे सत्र की अवधि में किसी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है । ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–कलेक्टर, बस्ती
2–बांसी के राजा द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति
3–स्कूलों के जिला इन्सपेक्टर, गोरखपुर ।

जनपद हरदोई के कस्बा साण्डी में प्रस्तावित राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने की मांग

44–श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा साण्डी, जनपद हरदोई में प्रस्तावित राजकीय कन्या हाईस्कूल के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई के अर्धशासकीय पत्र संख्या-ई-1/5309/85-86, द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त कस्बे में राजकीय कन्या हाईस्कूल अभी तक न खोले जाने का क्या कारण है ? सरकार उक्त राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने में विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने प्रश्नगत पत्र द्वारा कन्या हाईस्कूल खोलने का प्रस्ताव प्रेषित किया था ।

वर्तमान योजना में केवल उन्हीं तहसीलों में राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने की व्यवस्था है जिनमें पूर्व से कोई कन्या हाई स्कूल नहीं है । बिलग्राम तहसील में पहले से ही एक कन्या विद्यालय होने के कारण साण्डी में नया कन्या विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा श्री राम चन्द्र मौर्य को पूर्ण वेतन भुगतान के आदेश

45–श्री मित्रसेन

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–94 के उत्तर के संदर्भ में दया शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 15-6-87 द्वारा श्री राम चन्द्र मौर्य को सवेतन बहाल मानकर पूर्ण वेतन भुगतान के आदेश पारित कर दिये थे ? यदि हां, तो पूर्ण अवशेष वेतन का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

पूर्ण वेतन का भुगतान 6-9-89 को हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री हरेन्द्र सिंह–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

नगरमहापालिका बरेली द्वारा विकास कार्यों में किये गये व्यय के विवरण की मांग

47–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर पालिका को महापालिका का दर्जा देने के समय के बाद महापालिका की सीमा में सम्मिलित किए गए ग्रामों में तब से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बरेली महापालिका के बजट का कितना कितना प्रतिशत धन खर्च किया गया? क्या वह व्यय वहां पर रहने वाली जनसंख्या तथा उसके पिछड़ेपन के अनुपात में निर्धारित किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नगर महापालिका क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु जनसंख्या व पिछड़ेपन के अनुपात में बजट बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । वर्ष 1982 में नगर महापालिका बरेली के गठन के पश्चात् उसमें शामिल किये गये ग्रामों में यथा सम्भव विकास कार्य किये गये हैं किन्तु इस व्यय का वर्षवार अलग-अलग लेखा-जोखा नहीं रखा गया है ।

जनपद लखनऊ की नगर पालिका के अन्तर्गत जोन नं0-2 की विकास सम्बन्धी योजनायें

48—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लखनऊ नगर में आये हुए ग्रामों की कौन सी योजनायें हैं जिससे वहां का विकास हो सके? तथा मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत जोन नं0-2 के विकास की क्या क्या योजनायें हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत कोई ग्राम नगर महापालिका सीमा में सम्मिलित नहीं किया गया है । जोन नं0-2 में सस्ते जल धीत शौचालयों के निर्माण, जल निस्तारण तथा मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अंतर्गत नाली तथा खड़ंजा लगाने की योजना है ।

जिला परिषद्, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा श्री गजराज प्रसाद तिवारी, निवासी-तिवारीखेड़ा की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

49—श्री जमुना प्रसाद बोस—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला परिषद् लखनऊ के अधिकारियों द्वारा श्री गजराज प्रसाद तिवारी, निवासी-तिवारी खेड़ा, मजरा-चंदवारा, परगना व तहसील मलिहाबाद, लखनऊ की भूमि संख्या-94(अ) (ब) तथा 46 व 43 तथा खाता नं0-53 व 62 की भूमि में से एक 22 फुट चौड़ी सड़क बिना भूमि-अधिग्रहण की कार्यवाही किये व बिना मुआवजा दिये, निकाली गयी है जिससे हरी फसल व बहुत से आम के पेड़ नष्ट हो गये हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति को फसल पेड़, भूमि का मुआवजा देने व दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत पूर्व में विद्यमान गलियारे पर तथा वासियों की सहमति से उनकी कुछ अतिरिक्त भूमि सम्मिलित करते हुए जनहित में कराया गया है । मार्ग के निर्माण में भूमि कृषकों की सहमति से ली गई तथा उसके लिये मुआवजा देने का प्रतिविधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत नहीं है । फसल व पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचाई गयी है । अतः मुआवजा देने या किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थित भू-खण्ड संख्या सी-967 के बाद स्थित भूमि पर अवैध कब्जा एवं आवास आयुक्त द्वारा कृत कार्यवाही

50—श्री राम करन पटेल—

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर लखनऊ में सी0 ब्लाक में स्थित भू-खण्ड संख्या सी-967 के बाद स्थित 2 एकड़ भूमि जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों की है, पर आवास एवं विकास परिषद् की अधिकारियों की सांठ-गांठ से एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और उससे लाखों रुपये प्रतिवर्ष अर्जित कर रहा है? यदि हां,

तो क्या इस भूमि को आवास एवं विकास परिषद् अविलम्ब अपने कब्जे में लेगी और क्या इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आवास विकास परिषद् की योजना इन्दिरानगर लखनऊ में सी-ब्लाक में स्थित भूखण्ड संख्या-967 के बाद लगभग 1275 वर्ग मीटर भूमि पर मेजर वी0पी0 त्रिपाठी ने विपरीत व अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, एवं इसमें एक प्रमुख शिव मंदिर व कुछ छोटे-छोटे सहायक मंदिरों का निर्माण कर लिया है, परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त मन्दिर समूह की भूमि को उक्त योजना के ले आउट प्लान में समायोजित करने की कार्यवाही की जाये, व उक्तानुसार समायोजित भूमि का मूल्य मेजर त्रिपाठी से लिया जाये, और यदि मेजर त्रिपाठी निर्धारित समय में भूखण्ड का मूल्य जमा कर पट्टे का निष्पादन नहीं करा लेते तो यह भूखण्ड परिषद् की सम्पत्ति बना रहे ।। इस संबंध में आवास आयुक्त द्वारा एक समिति गठित की गयी है जिसकी संस्तुति के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

'आवास एवं विकास परिषद्' एवं 'विकास प्राधिकरण' द्वारा आवंटित भवन/भु-खण्ड की लीज रेंट में समानता

51–श्री राम करन पटेल–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित योजनाओं में भवनों या भू-खण्डों को 90 साल की लीज पर आवंटित किया जाता है तथा इस लीज को प्रत्येक 30 वर्ष पर नवीनीकृत करने का प्राविधान रखा गया है जब कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत विकास प्राधिकरणों द्वारा जो भवन या भू-खण्ड आवंटित किये जाते हैं उनके भू-स्वामियों से 10 वर्ष का लीज रेंट एक मुश्त लेकर शेष 80 वर्ष का लीज रेंट माफ कर दिया जाता है और इस अवधि में लीज को नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? यदि हां, तो क्या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवंटित भवनों/भूखण्डों का 10 वर्ष का लीज रेंट एक मुश्त लेकर शेष अवधि का लीज रेंट माफ करने की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विकास प्राधिकरणों की ही भांति उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में भी भूमि के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि आबंटन के समय ही "90 साल के प्रीपेड लीज रेंट" के रूप में लिये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दिरा नगर, लखनऊ में राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना

52–श्री राम करन पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, गोमती नगर लखनऊ तथा उसके आस पास के सैकड़ों गांव जो लखनऊ नगर महापालिक की सीमा में आते हैं, में

लाखों व्यक्ति निवास करते हैं, परन्तु इस क्षेत्र में कोई हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कन्या विद्यालय नहीं है? यदि हां, तो इस क्षेत्र की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या इन्दिरा नगर में एक राजकीय कन्या विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जायेगी जिसमें हाई स्कूल से लेकर डिग्री स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था हो? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इन्दिरा नगर, लखनऊ में राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना की जा चुकी है।

सहकारी आवास समितियों द्वारा अर्बध रूप से आवास एवं विकास परिषद् को अधिग्रहीत की जाने भूमि को क्रय किये जाने का आरोप

53–श्री राम करन पटेल–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजना नं0-2, लखनऊ के लिये अधिगृहीत की जाने वाली भूमि में से सैकड़ों बीघे भूमि को सहकारी आवास समितियों द्वारा जाली कागजातों के आधार पर अवैध रूप से क्रय किया गया है और बिना ले-आउट स्वीकार कराये भूमि को ऊंचों दामों पर बेंचा जा रहा है जिससे उक्त योजना में संशोधन करने अथवा उक्त योजना का परित्याग करने का परिषद् विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या गम्भीर आवासीय समस्या को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना के बीच में पड़ने वाली सहकारी आवास समितियों की भूमि को अविलम्ब अधिगृहीत किया जायेगा और क्या परिषद् की उक्त योजना कार्यान्वित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर (द्वितीय विस्तार) भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के प्रस्तावित 750 एकड़ क्षेत्रफल के मध्य कुछ सहकारी समितियों द्वारा परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत धारा 28 की विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व, व कुछ सहकारी समितियों द्वारा उक्त विज्ञप्ति जारी होने के बाद भूमि के सम्बन्ध में पंजीकृत एवं अपंजीकृत अनुबन्ध एवं विक्रय विलेख निष्पादित कराये गये हैं। किसी भी समिति द्वारा परिषद् से ले आउट स्वीकृत नहीं कराया गया है। भूमि के बेचे जाने की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न में निहित कारणवश नहीं अपितु भूमि अर्जन में प्रतिकर दर में हुई वृद्धि व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए परिषद् द्वारा योजना का आकार परिष्कृत कर प्रारम्भ में प्रस्तावित 1760 एकड़ क्षेत्रफल के बदले 750 एकड़ क्षेत्रफल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

योजना से सम्बन्धित भूमि के यथाशीघ्र अर्जन एवं योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमानुसार एवं तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, तहसील करनैल गंज के ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नान्हक देव त्रिपाठी द्वारा की गयी धोखाधड़ी एवं कृत कार्यवाही

54–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के भूमि विकास खण्ड

लि0 शाखा करनैलगंज से इस्माइल पुत्र छेदी निवासी परसा गोन्डरी परगना पहड़ागुर तहसील करनैलगंज की फर्जी कालोनी के आधार पर 4 नवम्बर, 1988 को आठ हजार धनराशि का कर्जा विभागीय सहयोगियों द्वारा निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो धोखाधड़ी में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

इस धोखाधड़ी में लिप्त कर्मचारी श्री नान्हक देव त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध थाना करनैलगंज में दिनांक 19-1-89 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । पुलिस द्वारा जांच चल रही है ।

लखनऊ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

55–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 28-3-89, जो लखनऊ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध है, के सन्दर्भ में सचिव ग्राम्य विकास को भेजे गये मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0वि0-को0एम-1-व 119-38/89, के क्रम में अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल- लखनऊ से जांच कराई जा रही है ।

फैजाबाद, जिला सहकारी बैंक प्रधान शाखा द्वारा वाह्य व्यवस्था, फर्नीचर व्यय एवं अतिथियों के स्वागत में खर्च की गई धनराशि

56–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक प्रधान शाखा फैजाबाद द्वारा प्रशासक के लिए की गयी वाहन व्यवस्था, उनके कार्यालय के फर्नीचरों और प्रशासक के अतिथियों के स्वागत के मद में वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दि0 15 मार्च, तक कितना रुपया व्यय किया गया है तथा इसी अवधि में प्रशासक के आदेशानुसार किराये के कितने वाहन बैंक के किन-किन कार्यों हेतु लगाये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त अवधि में कुल कितना मुनाफा बैंक को हुआ है ?

श्री समरपाल सिंह–

जिला सहकारी बैंक प्रधान शाखा फैजाबाद द्वारा वर्ष 87-88 तथा 88-89 के दिनांक 15 मार्च तक प्रशासक के लिए कोई वाहन व्यवस्था नहीं की गयी है । उनके कार्यालय के फर्नीचर के लिए भी इस अवधि में कोई व्यय नहीं किया गया है प्रशासक के अतिथियों के स्वागत के मद में 1301.55 रु0 की धनराशि का व्यय किया गया ।

दिनांक 1-3-89 से 3-3-89 तक एक मारुति कार सभापति के आदेश पर नियोजित की गयी, दिनांक 1-3-89 को शाखाओं के खुलने की जांच हेतु वरिष्ठ प्रबन्धक लेखा द्वारा तथा 2-3-89 व 3-3-89 को शाखाओं के निरीक्षण हेतु संचालक मण्डल के एक संचालक द्वारा उक्त कार का उपयोग किया गया ।

वर्ष 87-88 में बैंक को मुनाफा नहीं हुआ है तथा वर्ष 88-89 के संतुलन पत्र बनने के पश्चात् वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

भूगर्भ जल विभाग में पदोन्नति मापदण्डों का निर्धारण

57–श्री हफीज भारती–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में पदोन्नति के मापदण्डों के निर्धारण के लिए कार्यकारी आदेश कब जारी किए गये ? इस आदेश के पूर्व नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 भाग-2, पदोन्नति के लिए मानदण्ड के प्रस्तर-5(1) और 5(3) के आधार पर श्रेणी-3 के विभिन्न संवर्गों में संवर्गवार कितने प्राविधिक कर्मचारी श्रेणी-2 के पद पर "पदोन्नति कोटे" में प्रोन्नति के योग्य थे ? पात्र कर्मचारियों में से कितने अभ्यर्थियों के पदोन्नति हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे तथा कितनों की पदोन्नति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में पदोन्नति मापदण्डों के निर्धारण हेतु शासन के कार्यकारी आदेश संख्या-2379/54-3-1800(8)/87, दिनांक 10-5-88 को जारी किया गया है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श पदोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 भाग–2 के पदोन्नति के लिए मानदण्ड के प्रस्तर 5 (1) और 5 (3) के आधार पर इस विभाग में श्रेणी-3 के विभिन्न संवर्गों में जो प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत थे, वे प्रोन्नति की निर्धारित पात्रता हेतु 7 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते थे । सेवा नियमों एवं वर्तमान कार्यकारी आदेश में प्रोन्नति हेतु 7 वर्ष की सेवा का मापदण्ड निर्धारित किया गया है । उक्त पात्रता श्रेणी में आने वाले कार्मिकों के पदोन्नति हेतु प्रकरण शासन के विचाराधीन है जिन पर निर्णय लिया जा रहा है ।

भूगर्भ जल विभाग में संवर्गवार पदोन्नति कोटे के नियम एवं विवरण

58–श्री हफीज भारती–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–150 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी-2 के रिक्त पदोन्नति कोटे में सिविल संवर्ग के 1 पद, भू-वैज्ञानिक संवर्ग के 6 पद, भू-भौतिकी संवर्ग के 2 पद तथा वैज्ञानिक संवर्ग के 1 पद पर पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 में श्रेणी–2 के रिक्त पदोन्नति कोटे के विभिन्न संवर्गों में उपलब्ध पदों पर शासन के कार्यकारी आदेश संख्या–2379/54-3-1800(8)/87, दिनांक 10-5-88 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विभाग में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों के पदोन्नति प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है ।

भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी-3 से श्रेणी-2 में पदोन्नति कोटे को बढ़ाये जाने की मांग

59–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी-3 से श्रेणी-2 में पदोन्नति कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर सवा तैंतीस प्रतिशत किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 5-5-89 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्षेत्रीय विकास अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2379/24-3-1800/8/87 दिनांक 10-5-1988 में 14 मई, 1986 की निर्गत शासनादेश के अनुसार पदोन्नति कोटे में वृद्धि कर पुनः संशोधन किया गया? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 22 जुलाई 1985 को तारांकित प्रश्न सं0-18 के संदर्भ में सदन को दी गई सूचना के आधार पर विभाग में कार्यरत बी0 ई0 योग्यताधारी अवर अभियन्ताओं को उक्त कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी नहीं ।

चूंकि यह विभाग पूर्णतया अभियंत्रण व वैज्ञानिक विभाग नहीं है, अतएव इस विभाग के अभियन्त्रण एवं वैज्ञानिक कार्मिकों की नियुक्ति/पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए शासन के कार्यकारी आदेश संख्या-2379/54-3-1800 (8)/87, दिनांक 10-5-88 में श्रेणी-2 के पदों पर श्रेणी-3 के (अवर अभियन्ता/प्राविधिक सहायक/सर्वेयर/कम्प्यूटर (अर्ह) पदों से पदोन्नति हेतु 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है, जिसे अन्य अभियन्त्रण विभागों की भांति प्रोन्नति कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 1/3 प्रतिशत करने हेतु पुनः संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है ।

दिनांक 22-7-85 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 में दिए गये पूर्व उत्तर के अनुसार उस समय बी0 ई0/ए0 एम0 आई0ई0 पास अवर अभियन्ता प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में नहीं थे । उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में शासन द्वारा इस विभाग हेतु निर्गत कार्यकारी आदेश में बी0 ई0/ए0 एम0 आई0 ई0 पास योग्यता वाले कार्मिकों की प्रोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य और कोटा निर्धारित नहीं है । अतएव बी0 ई0 योग्यताधारी अवर अभियन्ताओं की सन्दर्भित कार्यकारी आदेश के तहत प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने पर प्रोन्नति हेतु यथा स्थिति विचार किया जायेगा ।

भूगर्भ जल विभाग में प्राविधिक सहायकों की प्रोन्नति संबंधी कृत कार्यवाही

60—चौधरी श्याम लाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में अवर अभियन्ता पद प्राविधिक सहायक का समकक्षीय पद है ? क्या दोनों के वेतनमान, कार्य एवं सेवाशर्तों में अन्तर है ? यदि नहीं, तो प्राविधिक सहायकों की प्रोन्नति न करने का क्या कारण है जबकि अवर अभियन्ता संवर्ग में प्रोन्नति की जा चुकी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

भूगर्भ जल विभाग में अवर अभियन्ता पद तथा प्राविधिक सहायक का पद, समकक्षीय पद है तथा दोनों के वेतनमान, कार्य एवं सेवा शर्तों में कोई अन्तर नहीं है ।

इस विभाग में कार्यरत पात्रता क्षेत्र में आने वाले प्राविधिक सहायकों का प्रोन्नति के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम कटहन में हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

61—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 डी0 गौतम निवासी ग्राम-कटहन (हरिजन बस्ती) ब्लाक-मेहनगर, जनापद-आजमगढ़ द्वारा दिए गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-1-89 के संबंध में अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय) जल निगम द्वारा हैण्ड पाइप लगवाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नही , तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री आर0 डी0 गौतम का दिनांक 29-12-88 का पत्र श्री रमाकान्त यादव, विधायक के पत्र दिनांक 2-1-89 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था । इस पत्र का उत्तर संबंधित विधायक को दिनांक 22 मार्च, 1989 को ही दिया गया जिसमें यह सूचित किया गया कि ग्राम-कटहन में कुल 5 हैण्ड पम्प प्रस्तावित हैं जिनमें से 2 हैण्ड पम्प हरिजन बस्ती में तथा 2 हैण्ड पम्प सर्वण बस्ती में अर्थात् कुल 4 हैण्ड पम्प पूर्व में ही लगाये जा चुके हैं । एक हैण्ड पम्प लगाना शेष है ।

वर्तमान नीति के अनुसार सेचुरेशन के अन्तर्गत शेष एक हैण्ड पम्प धन की उपलब्धता के अनुसार लगाया जाना है ।

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र हर्रैया के विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र

62—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्रों की स्थापना में क्या नीति अपनायी गयी तथा किन नियमों और नीति के आधार पर विकास क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत किसी परीक्षा केन्द्र की स्थापना नहीं की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

परीक्षा केन्द्र निर्धारण में सामान्यतः यह नीति अपनायी गयी कि परीक्षा केन्द्र सामूहिक

अनुचित साधन प्रयोग के लिए आरोपित न हो तथा यथासम्भव परीक्षार्थियों के घर के समीप हो ।

बस्ती जनपद के विकास क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत बी0 आर0 इण्टर कालेज, हर्रैया तथा एम0 पी0 डी0 बी0 पी0 डी0 कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, हर्रैया विद्यालयों को वर्ष 1989 की परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र बनाया गया था ।

दादरी चुनाव क्षेत्र में भवन हीन प्राथमिक पाठशालाओं के निर्माण की मांग

63—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी चुनाव क्षेत्र में कितनी और कौन-कौन सी भवन हीन प्राथमिक पाठशालायें हैं ? उपरोक्त पाठशालाओं के निर्माण का अब आदेश किस एजेन्सी को दिया गया है ? क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

संलग्न सूची के अनुसार कुल 36 प्रा0 पा0 भवनहीन हैं ।

पाठशालाओं के भवनों का निर्माण निम्न एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है:—

संख्या	एजेन्सी
1	नोएडा
16	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
19	संबंधित ग्राम सभा

7 भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है । शेष के लिए धन की व्यवस्था कर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 99 पर)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मुरादाबाद के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध जांच

64—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मुरादाबाद परिमण्डल के वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता को दो से अधिक बार प्रतिकूल प्रविष्टियां मिली तथा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सम्पादित जांच में शासन (सिंचाई अनुभाग-10) के आदेश संख्या 5242/81-23-10-277/79 दिनांक 23-1-82 के अनुसार वर्ष 1974-75 में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत पम्पिंग सेटों की अनियमित आपूर्ति हेतु दोषी पाया गया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधीक्षण अभियन्ता के मुरादाबाद में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहते हुए अनियमित ढंग से पाइप आदि खरीदने की जो जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा की गयी थी उसमें उन्हें दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उन्हें सन् 84 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति कैसे दी गयी तथा क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर उनकी प्रोन्नति निरस्त की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ, क्रिश्चियन डिग्री कालेज के प्रवक्ता श्री जी0 के0 श्रीवास्तव को लाभमयी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन

65–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जी0 के0 श्रीवास्तव सेवा निवृत्त प्रवक्ता अंग्रेजी विभाग लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कालेज ने सेवा निवृत्त होने के पूर्व नवीन पेंशन योजना के लिए विकल्प पत्र भर दिया था और उनकी अंशदायी भविष्य निधि में से सम्पूर्ण राजकीय अंशदान राजकोय कोषागार में भी जमा कर दिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत निश्चित पेंशन क्यों दी गई ? इसके लिए कौन दोषी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

पेंशन पत्रजातों के साथ विकल्प पत्र एवं अंशदान जमा करने का चालान प्राप्त नहीं हुआ । अतः अंशदान जमा होने की निश्चित जानकारी नहीं है ।

नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत विकल्प पत्र एवं अंशदान जमा प्रमाण निदेशालय द्वारा मांगे जाने के बावजूद भी प्राप्त न होने से लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत हुई विकल्प पत्र एवं अंशदान की सूचना न देने के लिये महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र तथा स्वयं श्री श्रीवास्तव दोषी है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं का नियमितीकरण एवं ज्येष्ठता निर्धारण में उच्च न्यायालय के स्थगनआदेश

66–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन (कार्मिक-अनुभाग) की अधिसूचना संख्या-19/8/75 (1) -क- दिनांक 14-5-79 जारी हो जाने के बाद ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ता 14-5-79 से नियमितीकरण के लिए अर्ह हो गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त तिथि के बाद अन्य विभागों से आये हुए अभियन्ताओं (श्री एम0 एम0 संगल व श्री वी0 के0 गोयल) को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में संचालयन कर लिया गया ? क्या इन लोगों की विभागीय अभियन्ताओं के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण पर विचार करके 14-5-79 से नियमित विभागीय अभियन्ताओं के ज्येष्ठता क्रम में श्री संगल व गोयल से ऊपर रखा जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आये एवं मौलिक रूप से विभाग में नियुक्त अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता अभी निर्धारित नहीं है । विनियमित सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है । प्रकरण में अंतिम निर्णय के उपरान्त ही ज्येष्ठता निर्धारित करना सम्भव होगा ।

जनपद बाराबंकी, ग्राम बनवा में विकास खण्ड अधिकारी बंकी द्वारा अवैध निर्बल वर्ग आवास का निर्माण एवं जिलाधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही

67—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी स्थित ग्राम बनवा में विकास खण्ड अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करके निर्बल वर्ग आवास का निर्माण शुरू करा दिया गया तथा लाभार्थियों का चयन स्वयं कर लिया गया ? क्या यह सही है कि प्रधान बनवा के आपत्ति करने पर अधिकारी उपरोक्त ने उन्हें लिखकर दे दिया कि काम रोक दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 24-1-89 को ग्राम सभा की खुली बैठक में 22 व्यक्तियों की सूची वरीयता क्रम के आधार पर बनाई गयी और विकास खण्ड अधिकारी को दे दी गयी परन्तु उक्त अधिकारी ने उसकी उपेक्षा करके पूर्व में अपने द्वारा चयनित लोगों के हीं, जिनके नाम प्रधान की सूची में अन्त में हैं, आवास बनाना जारी रखा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत ग्राम सभा में खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंकी ने ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 12 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु चयन किया तथा निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कराया । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में ही लाभार्थियों का चयन होना था । अतः ग्राम प्रधान की शिकायत पर निर्माण कार्य रोका गया और 24-1-1989 की ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत की गयी ।

जी, हां ।

यह सत्य है कि प्रश्नगत आवासों का निर्माण जारी रखा गया था परन्तु वर्तमान समय में सम्पूर्ण मामले की विस्तृत जांच जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद, नगरपालिका, छिबरामऊ के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी सैयद अनवार जमील द्वारा जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को दिया गया तार

68—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैय्यद अनवार जमील जो नगरपालिका, छिबरामऊ के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी थे, ने जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद को इलेक्शन में हुई अनियमितताओं व पुनः मतदान करने के बारे में तार 13-11-88 को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही सरकार ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सैय्यद अनवार जमील द्वारा दिनांक 13-11-88 को दिया गया तार दिनांक 14-11-88 को अवलोकन एवं उसकी घोषणा के उपरान्त प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी ।

श्री संकठा प्रसाद यादव द्वारा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये के घपले का आरोप

69—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, अध्यक्ष, उ0 प्र0 पिछड़ी अनु0 सू0 अल्प जाति सुधार समिति, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 27-1-89 द्वारा एल0 सी0 एस0 योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये के घपलों की जांच की मांग की है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

श्री संकठा प्रसाद ने दिनांक 27-1-1989 को एल0 सी0 एस0 विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत बन रहे स्वच्छ शौचालयों के संबंध में शिकायती पत्र दिया था । पत्र में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में जांच की गई । जांच में शिकायतें निराधार पाई गई ।

70—श्री राम जनम—

[उत्तर सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद बुलन्दशहर, विकास खण्ड स्याना ऊंचागांव के ग्रामों में पेयजल संकट को दूर किये जाने की मांग

71—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड स्याना ऊंचागांव के समस्त ग्राम शासन द्वारा पेयजल संकट के सम्बन्ध में समस्याग्रस्त घोषित हैं ? यदि हां, तो क्या यू0 पी0 जल निगम द्वारा प्रत्येक ग्राम में दो-दो इन्डिया मार्क II हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ए0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत 250 की जनसंख्या पर इण्डिया मार्क II हैण्ड पम्प उपरोक्त विकास खण्डों के प्रत्येक ग्राम के पेयजल संकट को दूर करने हेतु विशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । इनकी कुल संख्या 96 है ।

96 ग्रामों में से 95 ग्रामों में 2-2 इण्डिया मार्क—II हैण्ड पम्प लागाकर पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है । शेष एक ग्राम को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित करा दिया जाएगा ।

ए0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985 की सूची के ग्रामों में प्रत्येक 250 की जनसंख्या पर एक इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाने का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है ।

इन्दिरा नगर के 'बी' ब्लाक में कतिपय मकानों में पानी की आपूर्ति किये जाने की मांग

72–श्री कमाल अहमद रिजवी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर के "बी" ब्लाक में, विशेष रूप से "बी" 1101 से "बी" 1499 तक के मकानों में इस भीषण गर्मी में पानी की समुचित आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर पानी की समुचित आपूर्ति तुरन्त कराने व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

इन्दिरा नगर के "बी" ब्लाक में बी–110 से बी–1499 तक जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् गोरखपुर के टीकाकारों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

73–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-6-88 जो कि जिला परिषद् गोरखपुर के टीकाकारों के सम्बन्ध में है, मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर जिला परिषद् की आख्या प्राप्त की गई ।

चूंकि यह एक नीतिगत विषय है जिसका सम्बन्ध सभी जिला परिषदों से है अतः निर्णय लिया गया कि सभी जिला परिषदों से सूचना एकत्र करके चिकित्सा विभाग को संकलित प्रस्ताव भेजा जाय ।

श्री हरिनारायण पाण्डे उप-वन रेन्जर को पेन्शन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभ दिलाये जाने की मांग

74–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि श्री हरिनारायन पान्डे उप-वन रेन्जर ने दिनांक 29-2-88 दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी से अवकाश ग्रहण किया था किन्तु अभी तक उनकी पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या मंत्री जी श्री पान्डेय को पेन्शन आदि का भुगतान यथा शीघ्र कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी हां ।

श्री हरिनारायण पाण्डे ने सेवानिवृत्त के पश्चात् विधिवत रेन्ज का चार्ज न सौंपने के कारण, उन्हें पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया जा सका ।

जैसे ही विधिवत चार्ज हो जायेगा श्री पाण्डे को बिना किसी विलम्ब के पेंशन आदि का भुगतान नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

जनपद नैनीताल, माध्यमिक विद्यालय एेशडिल को चार विषयों में मान्यता प्रदान करने की मांग

75–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को माध्यमिक विद्यालय एेशडिल जनपद नैनीताल को चार विषयों में मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 26-9-88 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां ।

मांग अस्वीकार की जा चुकी है ।

अलीगढ़, श्री वार्ष्णेय डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य को पेंशन व प्राविडेन्ट फण्ड शीघ्र दिलाये जाने हेतु कृत कार्यवाही

76–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री वार्ष्णेय डिग्री कालेज अलीगढ़ से 30 जून, 1987 को अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य (श्री सुरेश चन्द्र गुप्त) को अब तक पेंशन तथा प्राविडेन्ट फण्ड न मिलने का क्या कारण है ? वह कब तक मिलना प्रारम्भ हो जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि रु0 31,846/- का भुगतान किये जाने के आदेश महाविद्यालय को भेज दिये गये हैं। पेंशन से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से अभी भी अप्राप्त हैं, जिनके भेजने हेतु प्रबन्धक/प्राचार्य को लगातार जनवरी, 1988 से लिखा जा रहा है । पेंशन की स्वीकृति यथा शीघ्र कर दी जायेगी ।

जनपद बाराबंकी के विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के यात्रा-बिलों का भुगतान

77–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के वर्ष 1973 से 1975 तक के 128 कालातीत यात्रा-भत्ता बिल धनराशि रु0 20,475.70 जो शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा (2) इलाहाबाद द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (2) अनुभाग, लखनऊ को उनके पत्रांक-अर्थ (2)/210111/80-81 दिनांक 2-1-80 के साथ पारित करने हेतु भेजे गये थे का भुगतान हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं । यात्रा बिलों में त्रुटियां थीं जिनका निराकरण करने के निर्देश निदेशालय को दिये गये हैं।

यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

इलाहाबाद के मुहल्लों में सदैव पेयजल पूर्ति हेतु नलकूपों में विद्युत जनरेटर लगाये जाने की मांग

78–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर के किन-किन मुहल्लों में वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88, 88-89 में पेयजलापूर्ति हेतु कितने नलकूप लगाये गये और वर्ष 1989-90 में किन नलकूपों के निर्माण की योजना है? यदि कोई नहीं, तो क्यों? इन नलकूपों के सदैव कार्यरत रहने हेतु इनमें विद्युत जनरेटरों की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

इलाहाबाद शहर में वर्ष 1985-86 में कल्याणी देवी दरियाबाद, अल्लापुर, (न्यू) सोहबतियाबाद, हाशिमपुर रोड, आकाशपुरी, अशोकनगर, बख्तियारी में कुल आठ नलकूप, वर्ष 1986-87 में राम प्रिया रोड, शास्त्रीनगर, राजरूपपुर में कुल तीन नलकूप, वर्ष 1987-88 में गोविन्दपुर कटरा, मम्फोर्डगंज, मेयोरोड, दारागंज स्कूल, बख्शी बांध, बहरना, रसूलाबाद, मंसूर अली पार्क, अल्लापुर, अलोपीबाग, सेण्टमैरी, पेट्रोलपम्प थार्नहिल रोड, राजरूपपुर, सुलेमसराय में कुल 16 नलकूप तथा वर्ष 1988-89 में कसारी मसारी में नलकूप लगाये गये।

मालवीय नगर में एक नलकूप के निर्माण की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण जनरेटर की व्यवस्था हेतु धन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर, विधान सभा क्षेत्र खतौली एवं सम्पूर्ण जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा खड़ंजा तथा मिट्टी स्तर का किया गया कार्य

79–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र खतौली में वर्ष 86-87, 87-88 तथा 88-89 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कुल कितने कि0 मी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्गों का खड़ंजा तथा मिट्टी स्तर तक अलग-अलग निर्माण कार्य किया गया? उक्त अवधि में वर्षवार पूरे जनपद में कुल कितने कि0 मी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराया गया? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद मुजफ्फर नगर के विधान सभा क्षेत्र खतौली एवं सम्पूर्ण जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 में निम्नानुसार कार्य किया गया।

क्रम- सं0	कार्य का मद	विधान सभा क्षेत्र खतौली			जनपद मुजफ्फरनगर		
		86–87	87–88	88–89	86–87	87–88	88–89
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मिटटी स्तर के कार्य (किमी0)	4.354	14.240	12.695	46.143	83.537	178.640
2	खड़ंजा स्तर के कार्य (किमी0)	4.796	4.400	0.778	29.996	50.047	18.814

गाजियाबाद, जिला सहकारी बैंक सिम्भावली द्वारा सूद भुगतान के आदेश

80–श्री कनक सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री का जानकारी है कि गाजियाबाद जिला सहकारी बैंक सिम्भावली में लगभग चार लाख का गबन किया गया था और इसकी जांच सहकारिता सेल के इन्सपेक्टर ने की तथा गबन सही पाया गया जिसका भुगतान न होने पर प्रश्नकर्ता ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी तब 3-10-87 के लिखित पत्र पर सचिव श्री कक्कड़ जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद, प्रश्नकर्ता तथा खातेदारों के बीच फैसला हुआ जिसमें साढ़े 10 प्रतिशत सूद देना स्वीकार किया गया? क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष व्यतीत होने पर देय सूद बैंक ने अभी तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उस समय से अब तक साढ़े 10 प्रतिशत ब्याज की देय धनराशि पर भुगतान के समय तक का ब्याज देने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां।

सहकारिता सेल के निरीक्षक की जांच के अनुसार गबन की धनराशि 2,75,978-34 रु0 थी ।

बैंक द्वारा ब्याज भुगतान करने के आदेश 10-4-89 को जारी किए जा चुके हैं।

जनपद बरेली के नवाबगंज में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण की मांग

81–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री का जानकारी है कि बरेली जनपद के नवाबगंज में गत वर्ष राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी किन्तु अभी तक स्कूल के लिए कोई

भवन उपलब्ध नहीं हुआ है एवं वह एक धर्मशाला में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त स्कूल का भवन यथाशीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां ।

भूमि एवं जिला योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण कराया जाना संभव नहीं है ।

उ0 प्र0 वेतन आयोग द्वारा विश्व विद्यालयों की श्रेणी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी में छात्रों की संख्या एवं पुस्तकालय कर्मियों का पुनरीक्षित निर्धारित वेतनमान

82–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 वेतन आयोग (79-80) ने नियमित छात्र संख्या के आधार पर विश्व विद्यालयों को ए, बी0 सी श्रेणियों में विभक्त कर पुस्तकालय कर्मियों का वेतनमान संशोधित किया है ? इस आधार पर काशी विद्यापीठ वाराणसी किस श्रेणी में आता है तथा काशी विद्यापीठ में नियुक्ति छात्रों की संख्या वर्षवार सत्र जुलाई, 1979-80 से सत्र जुलाई, 1987-88 तक क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आयोग ने विश्व विद्यालयों को केवल दो श्रेणियों कोटि (1) तथा कोटि (2) में विभक्त किया था परन्तु पुस्तकालय कर्मियों के वेतनमान मात्र छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित नहीं किये गये थे । उस समय उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार काशी विद्यापीठ को कोटि (2) में रखा गया था ।

काशी विद्यापीठ, वाराणसी से अब प्राप्त सूचना के अनुसार नियमित छात्रों की संख्या अधो लिखित रही है:–

वर्ष	छात्र संख्या–
1979–80	5532
1980–81	5055
1981–82	5302
1982–83	6168
1983–84	7905
1984–85	6556
1985–86	6066
1986–87	7658
1987–88	5620

83–श्री हरिश्चन्द्र , हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी विद्यापीठ के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को शासकीय संकल्प संख्या-बे0आ0-1590/दस-42 (एम)/1980 दिनांक 29 सितम्बर, 1981 द्वारा 690-1420 का वेतनमान निर्धारित है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या

2664/15 (15)-87-46 (46)/81 दिनांक 22 फरवरी, 1988 द्वारा 515-860 (वैयक्तिक के वेतनमान 570-1100) स्वीकृत किये जाने का क्या औचित्य है? क्या यह सही है कि सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से छोटे पदों केटलागर तथा प्रोफेशनल असिस्टेन्ट को 570–1100 का वेतनमान अबाध रूप में दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत शासकीय संकल्प में काशी विद्यापीठ के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को रु0 690-1420 का वेतनमान दिये जाने का उल्लेख है । चूंकि पुस्तकालय साइड के पद "सामान्य कोटि" के पद माने गये हैं, अतः उनके वेतनमान द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की सामान्य संस्तुतियों के आधार पर कतिपय शर्तों एवं अर्हताओं के अधीन पुनरीक्षित किये गये हैं। काशी विद्यापीठ के प्रकरण पर भी तद्नुसार गुणावगुण के आधार पर विचार कर शासनादेश दिनांक 22 फरवरी, 1988 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं । वर्तमान पदधारकों की हानि न हो, इसलिये उन्हें सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान जोकि पद के पुनरीक्षित वेतनमान से उच्च है, वैयक्तिक रूप से दिया गया है।

कैटेलागर तथा प्रोफेशनल असिस्टेन्ट, जो कैटेलागर संवर्ग के पद हैं, की तुलना सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से नहीं है । उक्त दोनों संवर्ग अलग हैं और उनकी कार्य प्रकृति भिन्न है ।

वित्त अनुभाग-3 एवं 4 के शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के पेन्शनर्स के शासनादेशों का विश्वविद्यालयों को भेजा जाना

84–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शिक्षा अनुभाग-15 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 4979/पन्द्रह-1151/68-46 (3)/88 दिनांक 1 फरवरी, 1989 को वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या सा0-3-1169/दस-935-87 दिनांक 22 जून, 1987 के अभाव में कार्यान्वयन सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो वित्त-3 के उपरोक्त शासनादेश की एक प्रति उपरोक्त 1 फरवरी, 1989 के शासनादेश के संलग्नक के रूप में कब तक विश्व-विद्यालयों को भेजने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, परन्तु वित्त विभाग के शासनादेश की संख्या-सा0 3-1169/दस-935-87 न होकर संख्या-सा0 3/1169/दस-935-87 है ।

दिनांक 30 अगस्त, 1989 को भेज दी गयी ।

85–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्त-4 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा0 4-1120/दस-87-301/87 दिनांक 28 जुलाई, 87 जो 1-1-86 के पूर्व अवकाश ग्रहण करने वाले पेन्शनर्स की पेन्शन के पुनर्निर्धारण के लिए जारी किया गया था, क्यों शिक्षा अनुभाग-15 द्वारा विश्वविद्यालय के पेन्शनर्स के लिए 1-1/2 वर्ष बीतने पर भी पुनः निर्गत क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रतिलिपि दिनांक 11 सितम्बर, 1989 को निर्गत कर दी गयी ।

86–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी पेन्शनरों को प्राप्त महंगाई राहत की 4 किश्तों 1-7-86 से 4 प्रतिशत, 1-1-87 से 8 प्रतिशत, 1-7-87 से 13 प्रतिशत और 1-1-88 से 18 प्रतिशत की स्वीकृति का शासनादेश विश्वविद्यालय के पेन्शनर्स के लिए अभी तक क्यों नहीं निर्गत किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आदेश दिनांक 7 जुलाई, 1989 को निर्गत कर दिए गये हैं ।

जनपद गोण्डा, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के क्रिया कलापों की जांच की मांग

87–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में कार्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के क्रिया कलापों की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता की शिकायतों की जांच, अधीक्षण अभियन्ता फैजाबाद द्वारा वर्ष 1989 मई के प्रथम सप्ताह से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच की प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मामले की जांच अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा की जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

श्री के0 सी0 कर्दम, सहायक निबन्धक (सहकारिता) की पदोन्नति एवं वेतन निर्धारण की मांग

88–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री के0 सी0 कर्दम, सहायक निबन्धक, (सहकारिता) जो वर्ष 1969 के बैच के सीधी भर्ती के अधिकारी हैं एवं अनुसूचित वर्ग के हैं, को पदोन्नति से वंचित रखा गया है जबकि वर्ष 78 तक के बीच के अधिकारी पदोन्नत कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि श्री के0 सी0 कर्दम के प्रतिवेदन के तत्कालीन जिलाधिकारी हरदोई ने अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक 763/सह0-स्था0/सहा0 नि0/दिनांक 14 जुलाई, 1987 के द्वारा अपनी संस्तुति सहित कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन एवं निबन्धक, सहकारी समितियों को भेजा था ? यदि हां, तो श्री कर्दम के प्रतिवेदन एवं जिलाधिकारी के उक्त पत्र पर शासन ने क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि श्री के0 सी0 कर्दम का अभी तक वर्ष 1979 के वेतनमान के अनुसार भी वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां, श्री के0 सी0 कर्दम, उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा में लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के सहायक निबन्धक, सहकारिता हैं, जिन्होंने दिनांक 11-8-1972 को सहकारिता विभाग में कार्यभार ग्रहण किया । श्री कर्दम पदोन्नति के लिए पात्र न पाये जाने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हुई ।

जिलाधिकारी का उक्त पत्र दिनांक 14 जुलाई, 1987 प्राप्त हुआ । उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा नियमावली, 1979 और प्रोन्नति विषयक आय संगत नियमों/आदेशों में प्रोन्नति की प्रक्रिया एवं नीति निर्धारित है और उसी के अनुसार चयन समिति की संस्तुति पर प्रोन्नति होती है । जिलाधिकारी या किसी के पत्र या संस्तुति पर नहीं ।

श्री कर्दम का 1-7-79 से विभागाध्यक्ष ने 900 रुपये प्रतिमास अनन्तिम वेतन निर्धारित किया है । उन्हें निर्देश दिये गये हैं कि वेतन निर्धारण के प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करें ।

जिला मैनपुरी, नारायन कालेज (स्नातकोत्तर) शिकोहाबाद के प्राचार्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिकाओं एवं कृत कार्यवाही

89–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नारायन कालेज (स्नातकोत्तर) शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के तदर्थ प्राचार्य श्री एस0 के0 सिंह चौहान द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दो याचिकायें याचिका नं0 525 वर्ष 1984 एवं याचिका नं0 13315 वर्ष 1985 उच्च शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा एवं प्रबन्ध समिति नारायन कालेज को पार्टियां बनाकर दायर कर रखी हैं ? यदि हां, तो इन याचिकाओं में विभाग के पक्ष को प्रस्तुत कर मजबूती से पैरवी के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पक्षों द्वारा समुचित पैरवी नहीं की गयी है जिससे विभाग की छवि को आघात पहुंचा है ? यदि हां, तो दोषी कौन है और क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही पर विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां । याचिका सं0 525/84 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा माह मार्च, 1984 में प्रति उत्तर/प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है तथा उसमें पारित अन्तरिम आदेश निरस्त हो चुका है । याचिका लम्बित है ।

याचिका सं0 13315/85 में भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, 85 में प्रति उत्तर/प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है । इस याचिका में पारित स्थगन आदेश दि0 17-9-85 यथावत् प्रभावी है जिसे निरस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के परिषदीय विद्यालयों में टाट-पट्टी एवं अन्य सामग्री की खरीद की धनराशि एवं वितरण का विवरण

90–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 1987-88 के दौरान परिषदीय विद्यालयों हेतु टाट-पट्टी एवं अन्य सामग्री की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई ? क्रय की गई सामग्री के विवरण से सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

रु0 4,07,339.25 ।

जी हां । सदन के पटल पर रख दिया गया है । †

जनपद फैजाबाद में बायोगैस संयंत्रों को ठीक कराये जाने की कार्यवाही

91–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में विभिन्न विकास खण्डों में निर्मित गोबर गैस (बायो गैस) संयंत्र काफी संख्या में अरसे से खराब पड़े हैं और लाभार्थियों के अनवरत अनुरोध के बावजूद अब तक उन्हें ठीक नहीं कराया गया है ? क्या यह सही है कि इस प्रकार के कई मामले दिनांक 28-12-1988 को भीटी ब्लाक के दौरे के समय जिलाधिकारी, फैजाबाद के भी संज्ञान में लाये गये थे ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और लाभार्थियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद फैजाबाद में प्रारम्भ से कुल निर्मित 3,928 संयंत्रों में से 447 संयंत्रों के अक्रियाशील होने की सूची प्राप्त हुई है ? इस सूची के अनुसार 20 संयंत्र विकास खण्ड भीटी में खराब हैं । अब तक 40 अक्रियाशील संयंत्रों की मरम्मत की जा चुकी है ।

यह सत्य है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद ने दिनांक 28-12-88 को भीटी ब्लाक का दौरा किया था और तब उनको क्षेत्र में अक्रियाशील बायोगैस संयंत्रों की सूचना मिली थी ? खण्ड विकास अधिकारी, भीटी ने 20 अक्रियाशील संयंत्रों की सूची प्रस्तुत की जिन्हें ठीक कराये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

सरकार द्वारा प्रदेश में खराब बायोगैस संयंत्रों को अभियान के रूप में ठीक कराने के लिए प्रत्येक जनपद में कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

गोरखपुर जिले के ग्राम मंगलपुर पटखौली के अग्निपीड़ितों को धनराशि वितरण हेतु जनपदीय समिति का गठन

92–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जिले की ब्लाक घुघली के ग्राम मंगलपुर पटखौली के अग्निपीड़ितों को, अध्यक्ष जिला परिषद्, गोरखपुर ने 20 हजार

---

†छापा नहीं गया ।

रूपया सहायता करने के लिए, परिषद् को दिया है जिसके वितरण के लिये जिन लोगों की कमेटी बनायी गयी उसमें क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधान को नहीं रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा अग्नि पीड़ितों के सहायतार्थ रु0 20,000 जिला निधि से स्वीकृत किया गया जिसके वितरण के लिए मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की एक समिति बनायी गई । इस समिति में क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय ब्लाक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वे निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे । इस समिति का गठन अनौपचारिक रूप से किया गया ताकि सहायता का लाभ वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को ही प्राप्त हो सके । इस समिति में क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय ब्लाक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान को सम्मिलित करना अनिवार्य नहीं था ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन भोगी लिपिकों की कार्य-सीमा

93–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगभग बीस दैनिक वेतन भोगी ऐसे लिपिक हैं जो लेखा लिपिक की अर्हता न रखने के बावजूद सारे गोपनीय तथा महत्वपूर्ण कार्य स्थायी लिपिक/अवर वर्ग सहायक के होते हुए भी देख रहे हैं ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

लखनऊ विकास प्राधिकरण में लेखा संबंधी कार्य के लिए केवल 11 दैनिक वेतन भोगी लिपिक कार्यरत हैं । यह दैनिक वेतन भोगी लिपिक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते वरन् नियमित लेखाकारों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं । समस्त महत्वपूर्ण कार्य/गोपनीय मामले नियमित लेखाकारों/लेखा लिपिकों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में लेखा-लिपिक तथा सहायक लेखाकार के रिक्त पदों की संख्या, दोहरी लेखा प्रणाली पर व्यय धनराशि एवं उसका संचालन

94–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में लेखा लिपिक तथा सहायक लेखाकार के कितने पद वर्तमान समय में रिक्त चल रहे हैं ? लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कितने अवर वर्ग सहायकों को वर्ष 1985 में डबल इन्ट्री सिस्टम का प्रशिक्षण दिलाया गया ? इस पर प्रति अभ्यर्थी कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? इन प्रशिक्षण धाप्त व्यक्तियों से प्राधिकरण को क्या-क्या लाभ हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

लखनऊ विकास प्राधिकरण में लेखा-लिपिक के तीन पद तथा सहायक लेखाकार का एक पद रिक्त है । पांच अवर वर्ग सहायकों को प्रशिक्षण दिलाया गया जिसमें प्रति अभ्यर्थी लगभग रुपया 8400.00 धनराशि व्यय हुई । विकास प्राधिकरण अपने लेखे दोहरी लेखा प्रणाली में व्यवस्थित कर सका तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी दोहरी लेखा प्रणाली में लेखों का संचालन सम्पादित कर रहे हैं ।

जनपद मैनपुरी, नगरपालिका में कार्यरत मृतक श्री रमेश नारायण सक्सेना के आश्रित को नियुक्ति दिलाने एवं समस्त लाभों का भुगतान कराये जाने की मांग

95–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी स्थित नगरपालिका में सेनेटरी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत श्री रमेश नारायन सक्सेना का देहावसान वर्ष 1988 में हो गया था एवं उनके स्थान पर उनके पुत्र ने स्वयं की नियुक्ति एवं अपने स्व0 पिता की ग्रेच्युटी, प्रोविडेन्ट फण्ड एवं अन्य लाभों के लिये आवेदन किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल मृतक के आश्रित को पिता के स्थान पर नियुक्ति दिलाने एवं समस्त लाभों का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

स्वर्गीय श्री रमेश नारायण सक्सेना के पुत्र श्री नवल कुमार सक्सेना ने अधिशासी अधिकारी/चुंगी कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 12-10-1988 को दिया है । उक्त सभी पद केन्द्रीयित श्रेणी के हैं तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं । जबकि मृतकों के आश्रितों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर अकेन्द्रीयित श्रेणी के पदों पर ही नियुक्ति दिये जाने का प्राविधान है । यदि श्री नवल कुमार सक्सेना अकेन्द्रीयित श्रेणी के पद हेतु आवेदन पत्र दें तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

स्व0 श्री सक्सेना को देय बीमा की धनराशि रु0 13,316.95 की अदायगी भारतीय जीवन बीमा निगम से हो चुकी है जो बैंक कलेक्शन के उपरान्त तत्काल भुगतान कर दी जायगी । स्व0 श्री सक्सेना को देय अर्जित अवकाश से संबंधित धनराशि रुपये 4697.50 का भुगतान उनके पुत्र श्री नवल कुमार सक्सेना को दिनांक 10 जुलाई, 1989 को किया जा चुका है तथा पेंशन एवं ग्रेच्युटी की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही भी त्वरित प्रगति में है ।

उन्नाव, बेसिक शिक्षा परिषद् में जूनियर आडीटर एवं लिपिक के पद पर नियुक्तियां

96–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद् उन्नाव के अधीन जनवरी/फरवरी, 1989 में जूनियर आडीटर तथा लिपिक पद पर दो-दो नियुक्तियां की गयी है ? यदि हां, तो इन नियुक्तियों का नियुक्ति अधिकारी कौन है ? इन नियुक्तियों में कौन सी चयन प्रक्रिया अपनाई गयी है ? क्या इन नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा परिषद्, उन्नाव । कोई नियमित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई ।

नहीं । जो कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत थे, उन्हीं में से तदर्थ नियुक्तियां कर दी गयी थीं ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में बेसिक एवं सीनियर बेसिक पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी को दूर किये जाने की मांग

97–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या शिक्षा मंत्री को विदित हैं कि टिहरी गढ़वाल जनपद में लगभग 700 अध्यापकों की बेसिक एवं सीनियर बेसिक पाठशालाओं में कमी है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जी टिहरी गढ़वाल जनपद में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षित बेरोजगार युवक जो अप्रशिक्षित हैं, को पाठशालाओं में नियुक्ति कराने का निर्देश देंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मानक के आधार पर केवल 475 अध्यापकों की कमी है ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा डाक्टर बसन्ती शर्मा को ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि

98–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या नगर विकास मंत्री को विदित हैं कि डाक्टर (श्रीमती) बसन्ती शर्मा ने सहायक आवास आयुक्त (पंजीकरण) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104-महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ में दिनांक 3-4-81 का बैंक ड्राफ्ट सं0 059061/2781 द्वारा तीन हजार रुपया तथा ओवरसीज बैंक लखनऊ दिनांक 9-8-85 द्वारा दो हजार रुपया एवं हस्तान्तरण की फीस दिनांक 10-8-87 को दो सौ पचास रुपया भवन लेने तथा भवन परान्त न आने पर प्लाट लेने के लिए जमा किया है ? क्या यह सत्य है कि भवन या प्लाट न दिये जाने पर डा0 बसन्ती शर्मा ने दिनांक 30-12-87 को अपनी जमा धन वापसी का प्रार्थना पत्र परिषद् को दिया था ? यदि हां, तो उनकी जमा धनराशि इतनी लम्बी अवधि बीत जाने पर लौटाई क्यों नहीं गयी है ? क्या यह सत्य है कि परिषद् के कर्मचारियों ने डा0 श्रीमती शर्मा को आवंटित भवन किसी अन्य महिला को आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी हां ।

डा0 बसन्ती शर्मा के अनुरोध पर उनके द्वारा जमा धनराशि रु0 5000 एवं उस पर ब्याज रु0 1875 चैक संख्या–684864 दिनांक 8-2-89 द्वारा वापस कर दी गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता

उ0 प्र0 उप निबन्धक सहकारी समितियों द्वारा जनपद बाराबंकी के नगरीय सहकारी बैंक, नवाबगंज में लागू की गई उप विधियां

99–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निबंधक सहकारी समितियां उ0 प्र0 फैजाबाद मण्डल फैजाबाद ने जनपद बाराबंकी के नगरीय सहकारी बैंक लि0 नवाबगंज बाराबंकी की उपविधियों को पूर्ण रूप से शोधित करके उसके नाम कार्य क्षेत्र तथा उसके उद्देश्य को अनियमित रूप से बदल दिया है ? क्या इसको अकृषक समिति होते हुए एक कृषक समिति बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

चूंकि नगरीय सहकारी बैंक लि0, नवाबगंज, बाराबंकी बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करता है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उसे बैंकिंग परिधि से बाहर केवल प्राथमिक साख समिति के रूप में कार्य करने के लिए उप-विधियां लागू करने की कार्यवाही की गयी है ।

100–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद गाजियाबाद, ग्राम जारचा को नगर क्षेत्र समिति बनाये जाने की मांग

101–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जारचा जनपद गाजियाबाद जिसकी आबादी लगभग 20 हजार है तथा थरमल पावर कारपोरेशन की एक इकाई बन जाने के कारण और अधिक आबादी हो गयी है, को नगर क्षेत्र समिति बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त को नगर क्षेत्र समिति न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

दादरी नगरपालिका में पानी की टंकी बनवाये जाने की मांग

102–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी नगर पालिका में पानी की टंकी बनवाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

103–श्री राम जनम–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड हरैया की ग्राम सभा सोन बुजुर्ग में निर्मित पंचायत भवन

104–श्री राम जनम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ ब्लाक हरैया में ग्राम सोन बुजुर्ग में पंचायत भवन बनने के लिए पंचायत विभाग द्वारा रुपया दे दिया गया है किन्तु अभी पंचायत भवन का निर्माण नहीं कराया गया ? क्या जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफे कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया की ग्राम सभा सोनबुजुर्ग में पंचायत भवन के निर्माण हेतु दी गई धनराशि से पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

105–श्री राम जनम–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद मुरादाबाद की नगरपालिका हसनपुर के मोहल्लों में जलापूर्ति

106–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका हसनपुर जनपद मुरादाबाद में कितने मोहल्ले हैं जिनमें पाइप द्वारा जलापूर्ति नहीं है? क्या मंत्री जी उपरोक्त मोहल्लों में विशेष अनुदान स्वीकृत करके पाइप जलापूर्ति की व्यवस्था विशेष अनुदान द्वारा सुनिश्चित करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद मुरादाबाद की नगरपालिका हसनपुर में चार मोहल्ले मूलरूप में हैं जिनमें जलापूर्ति की जा रही है । परन्तु कुछ छोटी-छोटी गलियां भी है जिनमें धनाभाव के कारण जलापूर्ति नहीं की जा सकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच नगर के मोहल्लों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

107–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगर में कितने मोहल्ले हैं जिनमें गरीब वर्ग के लिये कोई पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या उपरोक्त मुहल्लों में सर्वेक्षण कराकर पेयजल की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बहराइच नगर के 16 मुहल्लों में पेयजल की सुविधा नहीं है । दरगाह व बख्शीपुरा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था हेतु तुरन्त राहत योजना बनायी गई है और इस योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपये 6.5 लाख का प्राविधान किया गया है । शेष 14 मुहल्लों में पेयजल की योजना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बहराइच के ग्रामों में ए0 आर0 पी0 योजनान्तर्गत पेयजल सुविधा

108—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के कितने ग्राम कुंआ सूख जाने से पेयजल संकट से प्रभावित हैं? क्या उपरोक्त ग्रामों में ए0आर0पी0 योजनान्तर्गत इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बहराइच के किसी भी ग्राम में कुआं सूख जाने के कारण पेयजल संकट की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड में अरबी, उर्दू फारसी मदरसों की संख्या एवं उन्हें वार्षिक देय अनुदान राशि

109—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद सहारनपुर के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने अरबी, उर्दू फारसी मदरसे हैं? शासन द्वारा प्रत्येक मदरसे को कितना अनुदान प्राप्त होता है? क्या सरकार अरबी, उर्दू, फारसी भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक मदरसे को 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक प्रति वर्ष अनुदान धनराशि स्वीकृति करने का कष्ट करेंगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

संलग्न सूची के अनुसार जनपद सहारनपुर में 32 अरबी, उर्दू, फारसी मदरसे हैं। मकबतों को रु0 1,000 का वार्षिक न्यूनतम नियत अनुदान दिया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 101 पर)

इन्दिरा नगर, लखनऊ में भूतनाथ मार्केट के समीप अवैध दुकानों का निर्माण एवं कृत कार्यवाही

110—डाक्टर बंगाली सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ में भूतनाथ मार्केट के समीपवर्ती आवासीय भूखण्डों में उनके मालिकों ने अनेक दूकानें बनवा ली हैं? यदि हां, तो क्या इन दूकानों को बनाने की अनुमति आवास एवं विकास परिषद् द्वारा दी गयी है? यदि नहीं, तो जनसाधारण की असुविधा और शोर-गुल को देखते हुये इन भूखण्डों के मालिकों के विरुद्ध और इन दूकानों को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जी नहीं।

इन भूखण्डों के मालिकों को परिषदीय नियमों के अन्तर्गत दुकानें हटाने एवं पट्टा रद्द करने की नोटिस दी जा चुकी है एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति हेतु इण्टरमीडिएट में संस्कृत विषय को प्राथमिकता

111–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों की भर्ती में संस्कृत माध्यम से पढ़े एवं संस्कृत विषय में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता न देकर इण्टरमीडिएट में संस्कृत विषय लिए हुए लोगों को प्राथमिकता दी गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत बी0टी0सी0 अथवा उसके समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है ।

जिला पिथौरागढ़, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काण्डे-बिकरौली की वर्ष 1980 के हाई स्कूल प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने की मांग

112–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद से अभी तक वर्ष 1980 में उत्तीर्ण हुए छात्रों के हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र सम्बन्धित स्कूल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काण्डे-बिकरौली, जिला-पिथौरागढ़ में नहीं भेजे गए हैं? यदि हां, तो क्यों? प्रमाण-पत्र भेजने में विलम्ब करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

48 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विद्यालय को परिषद् द्वारा भेजे जा चुके हैं । राजकीय मुद्रणालय से सादे प्रमाण पत्रों के देर से छपकर प्राप्त होने के कारण प्रमाण-पत्र भेजने में विलम्ब हुआ । परिषद् स्तर पर इस विलम्ब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है ।

जनपद गोण्डा, साधन सहकारी समिति मुन्डेरवा माफी के सचिव के विरुद्ध लगाये गये झूठे आरोप

113–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा विकास खण्ड पन्डरी कृपाल के साधन सहकारी समिति मुन्डेरवा माफी के सचिव के विरुद्ध 1987 के जांचोपरान्त लल्लू अदस्थी जनार्दन माधौराज व राम शब्द की नाम अमानती कोष के माध्यम से 21755/- कोआपरेटिव बैंक व रिकड़ बही द्वारा प्राप्त धन को सेल मैन को देय 41475/- सदस्यों के फर्जी हिस्सा-वापसी 10238/- बिक्री मुकदमा 5456/- जीप डीजल में व्यय हेतु 4304/- स्टेशनरी व्यय 600/- फसल बीमा 2106/ 37 अमानत वापसी 24055/- कूपन अनुदान व उवर्रक अनुदान का गबन सिद्ध पाया गया है? यदि हां, तो उक्त अपराधों में लिप्त सचिव के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समरपाल सिंह–

जी नहीं । जांच में सचिव को निर्दोष पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद, नगरपालिका के कर अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग

114–श्री सुन्दर लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका, इलाहाबाद में कितने कर अधीक्षक कार्य कर रहे हैं तथा उनमें कितने एसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से न0 म0 पा0 इलाहाबाद में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार जो पांच वर्ष से अधिक समय से वहां पर हैं, तत्काल स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नगर महापालिका इलाहाबाद में कुल 8 कर अधीक्षक कार्य कर रहे थे जिनमें से 2 कर अधीक्षक पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत थे जिनको स्थानान्तरित किया गया था । विशेष परिस्थितियों में एक कर अधीक्षक का स्थानान्तरण अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है ।

जनपद मुरादाबाद, मुस्लिम जूनियर हाई स्कूल उभारी को अनियमित शुल्क न लिये जाने के निर्देश

115–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि जनपद मुरादाबाद स्थित मुस्लिम जूनियर हाई स्कूल उभारी मान्यता प्राप्त स्कूल है और उसे सरकार द्वारा सहायता भी मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उक्त स्कूल के छात्रों से अलग से काफी बडी फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जांच करायीं जा चुकी है ।

जांच से यह विदित हुआ है कि कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों से रु0 1/- प्रति छात्र प्रवेश शुल्क के रूप में लिया गया है । विद्यालय को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि भविष्य में अनियमित शुल्क न लिया जाय ।

116–श्री हर्ष वर्धन–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के गोदामों की जानकारी

117–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा अपने स्वयं के गोदामों के होने के बावजूद भी किराये के गोदाम किन कारणों से लिये गये हैं? क्या यह सही है कि निगम के गोदाम 50 फीसदी खाली पड़े रहते हैं, किराये के गोदाम भी दो-दो साल से खाली पड़े हुए हैं तथा अनाज रखने योग्य भी नहीं है ?

श्री समर पाल सिंह–

स्वयं के गोदाम होने के बावजूद निगम द्वारा अपनी आवश्यकता के अनरूप किराये के गोदाम लिये गये हैं ।

यह सही नहीं है कि निगम के 50 फीसदी गोदाम खाली पड़े रहते हैं तथा यह भी सही नहीं है कि किराये के गोदाम दो-दो साल से खाली पड़े हुए हैं तथा अनाज रखने के योग्य नहीं हैं ।

जनपद बहराइच, प्राइमरी पाठशाला अमराई के भवन का निर्माण

118—श्री राम सागर राव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला अमराई के भवन का निर्माण गत वर्ष 1988 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बहराइच द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भवन की छत टूट गयी है और निर्धारित मानक के अनुसार सीमेन्ट सरिया ईंटा का प्रयोग नहीं किया गया है ? क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित कर पुनः भवन निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां,

प्राइमरी पाठशाला भवन अमराई का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बहराइच द्वारा वर्ष 86-87 में कराया गया है । यह सही नहीं है कि भवन की छत टूट गई है । भवन में निर्धारित मानक के अनुसार सीमेन्ट, सरिया, ईंटा का प्रयोग किया गया है । अतः पुनः निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं है ।

जनपद बहराइच में कोट-बाजार से खुटेहना हुजूरपुर मार्ग एवं इकौना विशेश्वरगंज मार्ग पर खड़ंजा एवं लेपन का कार्य करवाये जाने की मांग

119—श्री राम सागर राव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विकास खण्ड पयागपुर के अंतर्गत कोट-बाजार से खुटेहना हुजूर पुर मार्ग जो लगभग 8 किलो मीटर है, पर लगाया गया खडंजा क्षतिग्रस्त हो रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मार्ग की मरम्मत कर उस पर पेन्टिग का कार्य करवाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

क्षतिग्रस्त खडंजा के मरम्मत कराने की व्यवस्था कर दी गयी है । प्रश्नगत मार्ग खडंजा से लेपन स्तर तक करने हेतु किसी योजना में स्वीकृति नहीं है । खडंजा से लेपन स्तर तक का निर्माण सीमित संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

120—श्री राम सागर राव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बराइच में इकौना विशेश्वर-गंज मार्ग पर लगाया गया खडंजा क्षतिग्रस्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मार्ग की मरम्मत कर उस पर पेंटिंग का कार्य कराने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जिलाधिकारी को मिट्टी का कार्य खडंजा मरम्मत का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

वर्तमान समय में लेपन स्तर तक के कार्य के लिए लागत रु0 80 लाख होगी । जनपद के सीमित संसाधनों के कारण लेपन स्तर तक निर्माण कराना संभव नहीं है ।

जिला बरेली, विकास खण्ड मीरगंज द्वारा निर्मित खड़ंजे के संबंध में अध्यक्ष श्री लक्ष्मण स्वरूप शर्मा द्वारा की गई शिकायत

121–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मण स्वरूप शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी (इं) मीरगंज, जिला बरेली ने दिनांक 15-5-1987 को जिलाधिकारी बरेली को एक शिकायती पत्र ग्राम नगरिया सादात में विकास खण्ड मीरगंज द्वारा निर्मित खड़ंजे के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो इस शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे, शिकायत की जांच किस अधिकारी ने कब की तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या जांच अधिकारी ने शिकायत-कर्ता से सम्पर्क करके उसके बयान तथा प्रमाण लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी अविलम्ब उक्त जांच में शिकायतकर्ता से प्रमाण लेकर कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

122–श्री कनक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर दिनांक 22-12-87 जो जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद को प्रेषित किया गया था और जिसमें प्रधानाचार्य जनता उ0 मा0 विद्यालय मोदीनगर के द्वारा अपनी पत्नी धर्मशीला को दो टी0 सी0 जारी करने और दोनों में भिन्न-भिन्न जन्म तिथि 8-5-69 व 8-5-71 अंकित करने की जांच की मांग की गयी थी और प्रतिलिपि उप शिक्षा निदेशक मेरठ एवं उनको भी उचित कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गयी थी, पर क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो जांच न कर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण रहे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत पत्र के आधार पर जांच कराई गई ।

भिन्न-भिन्न जन्मतिथियां दिखाते हुए दो टी0 सी0 निर्गत करने की शिकायत सही पायी गयी ।

प्रबन्धक द्वारा प्रधानाचार्य को चेतावनी दे दी गयी है ।

लखनऊ, गाजी मण्डी यहियागंज में 40 फिट नाले पर स्लेप डलवाने की मांग

123–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजी मण्डी यहियागंज वार्ड मध्य क्षेत्र लखनऊ में 40 फिट नाले पर स्लेप डालने के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग–7 के उपसचिव श्री एस0 एस0 एल0 निगम के अर्द्ध शा0 प0 सं0 20 पी0 आई0 पी0/ए/11-7-88-के (25)88 दि0 23-3-88 द्वारा श्री उमा नाथ त्रिपाठी उप प्रशासक नगर महापालिका लखनऊ को स्वयं स्लेप डालने के संबंध में समुचित कार्यवाही करने व कृत कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराने को कहा गया था ? यदि हां, तो क्या उप प्रशासक द्वारा उक्त नाले पर स्लेप डालने हेतु कृत कार्यवाही से मंत्री जी सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

नगर महापालिका के पास इस मद में कोई धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका ।

लखनऊ, मुहल्ला–बागमक्का में श्री छोटे लाल शुक्ला द्वारा सरकारी गली में दीवार का अवैध निर्माण

124–श्री अवधेश प्रसाद तथा डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला-बागमक्का यहियागंज वार्ड लखनऊ की सरकारी गली में श्री छोटे लाल शुक्ला द्वारा दीवार उठा कर रास्ता बन्द कर दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1987 में श्री गोपाल दास यादव का पत्र तथा जनवरी, 1988 में श्री हरेन्द्र सिंह मलिक स0 वि0 सभा का पत्र मुहल्ला निवासियों के प्रार्थना पत्र के सहित उन्हें प्राप्त है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? अवैध निर्माण को कब तक गिरा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में चौकीदारों के पद नियुक्त कर्मचारियों को देय वेतन

125–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में चौकीदारों के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को क्या वेतनमान दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि जूनियर हाईस्कूल रूदौली जनपद–बाराबंकी में चौकीदार के पद पर नियुक्त श्री साहबुद्दीन को मात्र 30/- रुपये वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मात्र 30/- रुपये वेतन देने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी मानवता के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान देने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में चौकीदार के पद स्वीकृत नहीं है। अतः वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सहाबदीन चौकीदार के पद पर कार्यरत नहीं है बल्कि वह अंशकालिक सफाई जमादार/चौकीदार है जिन्हें 30/- रु0 मासिक का नियत वेतन ही देय है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कैलाश कुन्ज व्यावसायिक केन्द्र में दुकानों के मूल्य का पुनर्निर्धारण

126–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 1984 में कैलाश कुन्ज व्यावसायिक केन्द्र में दुकानों के विक्रय हेतु जो धनराशि निर्धारित की गयी थी उसे अप्रैल, 1987 में किसके आदेश से पुनर्मूल्यांकित कर दूकानदारों से बढ़ी रकम वसूल की गयी ? अब जब कि उक्त दुकानों का कब्जा एवं रीजस्ट्री लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है तो पुनः दूसरी बार रिकास्टिंग करने का क्या औचित्य है ? पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को कब तक समाप्त कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 1984 में कैलाश कुंज व्यवसायिक केन्द्र की दुकानों हेतु जो धनराशि इंगित की गई थी वह अनुमानित थी। वर्ष 1987 में योजना में व्यापक परिवर्तन एवं परिवर्धन के कारण अनुमानित मूल्य उपाध्यक्ष, के आदेश से पुनः संशोधन किया गया तथा वर्ष 1989 में वास्तविक एवं अन्तिम मूल्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार मूल्य पुर्ननिर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, भीटी ब्लाक, ग्राम केंवारी परमानन्द में निर्मित निर्बल वर्ग के आवासों के कार्य में मजदूरों को मजदूरी के भुगतान न किये जाने का कथित आरोप

127–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 28-12-1988 को जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित ग्राम केंवारी परमानन्द में निर्मित निर्बल वर्ग आवासों के निरीक्षण के समय लाभार्थियों से जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया गया है और मजदूरों को मजदूरी का पैसा और अनाज कुछ भी नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में समूचे जनपद के निर्माण कार्यों के बारे में उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?| यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित ग्राम केंवारी परमानन्द में निर्बल वर्ग के परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 6 आवासों का निर्माण कराया गया है। यह निर्माण कार्य ठेकेदारों से नहीं कराया गया है। मजदूरों को मजदूरी

का भुगतान विकास खण्ड से नकद के अतिरिक्त अनाज भी वितरित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पी0 एल0 ए0 में जमा धनराशि का ट्रान्सफर

128–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों के रखरखाव का खाता काफी पहले खुल चुका है और वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 का दो वर्षों का पैसा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के पी0 एल0 ए0 में जमा है लेकिन उनके द्वारा अभी तक उक्त धनराशि के ट्रान्सफर न करने के कारण स्कूलों के रखरखाव का कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इसके लिये कौन दोषी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1986-87 की जो धनराशि पी0 एल0 ए0 में जमा थी उसे ट्रान्सफर कर दिया गया है । वर्ष 87-88 की धनराशि को ट्रान्सफर करने की कार्यवाही की जा जा रही है ।

पी0 एल0 ए0 मे जमा धनराशि को अवमुक्त किये जाने पर शासन द्वारा रोक लगा दी गयी थी । किन्तु उसे दिनांक 22-10-88 को हटा दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद में स्थित श्री रामलाल सन्तराम जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों/कर्मचारियों को वेतन, बोनस आदि की धनराशि शीघ्र भुगतान की कार्यवाही

129–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया में स्थित श्री रामलाल सन्तराम जूनियर हाईस्कूल दिलासीगंज के अध्यापकों/कर्मचारियों का माह जनवरी, 1987, फरवरी, 87 तथा फरवरी, 88 का वेतन और जुलाई 84 से आज तक के बोनस व अतिरिक्त बढ़ी हुई मंहगाई की धनराशि नहीं मिली है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने तथा बकाया धनराशि की अदायगी शीघ्र सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

वित्त विभाग द्वारा कतिपय पृच्छायें की गयीं थी । उनका उत्तर निदेशालय से प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है अब धनराशि अवमुक्त करवा कर शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद, भीटी ब्लाक में स्थित प्राइमरी पाठशाला मिझौड़ा के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

130–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित प्राइमरी पाठशाला मिझौड़ा के भवन का निर्माण कार्य लगभग 10 वर्ष पूर्व सार्वजनिक

निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया था लेकिन विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से भवन निर्माण हेतु आवंटित सारा धन हड़प लिया गया और निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो यही स्थिति क्या है और दोषी लोगों को दण्डित करने और प्राइमरी पाठशाला मिझौड़ा के भवन निर्माण कार्य को पूरा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

यह सही है कि भवन अधूरा पड़ा है।

शिक्षा निदेशक को यह निर्देश दिये गये हैं कि मामले की जांच करवा कर रिपोर्ट करें।

यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

जिला गोरखपुर टाउन एरिया घुघली में तह बाजारी की नीलामी का निरस्तीकरण एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

131–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टाउन एरिया घुघली जिला गोरखपुर में तह बाजारी की नीलामी मो0 इकबाल पुत्र शफी के नाम से सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद की गयी थी और ठेकेदार ने नियमानुसार 1/4 धनराशि जमा भी कर दी थी? क्या यह सच है कि गत 4 मई, 89 को उक्त नीलामी अध्यक्ष टाउन एरिया ने निरस्त कर उसी दिन दूसरे व्यक्ति को दे दिया जबकि नीलामी का निरस्तीकरण जिलाधिकारी ही करता है और पुनः नीलामी के लिये नियमतः 10 दिन की सूचना देना आवश्यक है? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए दोषी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है।

प्रदेश के शेष माध्यमिक तथा जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने की मांग

132–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय तथा असहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल विद्यालय अनुदान सूची पर अभी तक नहीं लाये गये है? क्या उक्त विद्यालयों को वर्ष 1989-90 में अनुदान सूची पर लाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के 451 माध्यमिक विद्यालय तथा लगभग 2000 जूनियर हाईस्कूल अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए शेष हैं।

इस वर्ष 151 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय ले लिया गया है।

भूगर्भ जल विभाग में कार्यरत प्राविधिक एवं अभियंत्रण सहायकों का नया वेतनमान

133–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी-3 के वैज्ञानिक संवर्गों में कार्यरत प्राविधिक सहायकों को वैज्ञानिक वर्ग का वेतन न देकर अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ताओं का वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो अभियंत्रण विभाग में दी जा रही सभी सुविधायें इन प्राविधिक सहायकों को भी दी जा रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो ऐसा न होने के क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

समता समिति, द्वारा संस्तुति समस्त अभियंत्रण एवं वैज्ञानिक संवर्ग के प्राविधिक सहायकों को उनके पुराने वेतनमान रु0. 515-860 को पुनरीक्षित करते हुए नया वेतनमान रुपया 1400-2300 दिये जाने की संस्तुति की गई है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश शासन क्षेत्रीय विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2985/54-3-566/88 दिनांक 7-8-89 द्वारा रु0 1400-2300 वेतनमान दिया जा रहा है।

भूगर्भ जल विभाग का कार्य अत्यन्त विशिष्ट प्रकार का है जिसमें शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता एवं विशेषज्ञता का अधिक महत्व है। अतएव इस विभाग के कार्यों एवं संरचना के अनुसार इसे पूर्णतया अभियंत्रण अथवा वैज्ञानिक विभाग नही माना जा सकता है।

अतः यह विभाग पूर्ण रूप से अभियन्त्रण विभाग न होने के फलस्वरूप अभियंत्रण विभागों में यदि अवर अभियंताओं को अतिरिक्त सुविधायें दी जा रही है तो वे सभी सुविधायें प्राविधिक सहायकों को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

भूगर्भ जल विभाग में प्राविधिक सहायकों के विभिन्न संवर्गों में नियमित चयन कराने हेतु आयोग को भेजा गया अधियाचन

134–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सहायकों के विभिन्न संवर्गों में नियमित चयन के लिये सेवा आयोग को वर्ष 1980 या उसके पश्चात् किस वर्ष तक के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन भेजा गया था? क्या अधियाचन भेजने से पहले किसी प्राविधिक सहायक की नियमित नियुक्ति हुई थी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में प्राविधिक सहायकों के विभिन्न संवर्गों में नियमित चयन कराने हेतु वर्ष 1981 तक की रिक्तियों को भरने हेतु दिनांक 31-8-81 को अधियाचन भेजा गया था एवं उसके पश्चात् पुनः वर्ष 1980 तक के जियोफिजिक्स के पदों को भरने हेतु दिनांक 14-3-84 को आयोग को अधियाचन भेजा गया था।

दिनांक 1-1-77 से पूर्व तदर्थ रूप कार्यरत एक प्राविधिक सहायक का नियमितिकरण नियमावली 1979 के अन्तर्गत दिनांक 24-1-83 को नियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य पदों पर पूर्व में तदर्थ रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिक कार्यरत थे जो नियमितिकरण के परिधि में नहीं आते थे।

135–श्री सुखपाल पाण्डे–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकभाऊ, शाहजहांपुर में शिक्षिका के पद पर श्रीमती विद्यावती उपाध्याय की नियुक्ति

136–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-12-88 के आधार पर श्रीमती विद्यावती उपाध्याय विधवा स्व0 सुलखे लाल भू0पू0 सहायक अध्यापक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकभाऊ शाहजहांपुर को सी0 टी0 वेतनक्रम शिक्षिका के पद पर नियुक्ति हेतु मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका तृतीय मण्डल बरेली को मंत्री जी द्वारा आदेशित किया गया था? क्या उक्त आदेश उक्त अधिकारी को 19-1-89 को प्राप्त कराया जा चुका है ? यदि हां, तो उस पर क्या विधवा की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

श्री कृपाल सिंह धनई, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय टिहरी को टिहरी रियासत की प्रदत्त पेंशन

137–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि श्री कृपाल सिंह धनई सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय टिहरी जो कि 1968 में सेवानिवृत्त हो गये थे को अभी तक उ0 प्र0 शासन से प्रदत्त पेंशन/ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है? इसमें विलम्ब के क्या कारण है? इनको किन कारणों से टिहरी रियासत की पेंशन दी जा रही है जबकि ये उ0 प्र0 सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं? उक्त अध्यापक को मरजर एग्रीमेंट के मुताबिक पेंशन कब तक दी जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि श्री धनई को उत्तर प्रदेश शासन से प्रदत्त पेंशन एवं ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं है।

श्री धनई विलीनीकृत टिहरी रियासत के स्थायी कर्मचारी थे किन्तु प्रदेश सरकार की सेवा में स्थायी नहीं हुए थे। अतः उन्हें केवल टिहरी रियासत के स्थायी कर्मचारियों की अनुमन्य पेंशन देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु इमारती लकड़ी की प्राप्ति में कठिनाई एवं उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण की संख्या

138—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री को विदित है कि टिहरी गढ़वाल जनपद में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए हरिजनों को इमारती लकड़ी प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के क्या-क्या कदम शासन ने अब तक उठाये हैं ? इन्दिरा आवास योजना में कितनी धनराशि इमारती लकड़ी के लिए निर्धारित की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त धनराशि में कितनी घनमीटर लकड़ी प्राप्त होगी ? अब तक उक्त जनपद में योजनान्तर्गत कितने भवन निर्माण किये गये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद टिहरी में इन्दिरा आवास एवं निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अंतगत आवास बनाने हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इमारती लकड़ी प्राप्त करने में वन अधिनियम लागू होने से पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे वृक्षों का पातन प्रतिबन्धित है । इस स्थिति में इमारती लकड़ी कम उपलब्ध हो पाती है । वर्ष 1988-89 में वन विभाग द्वारा पी0 डी0 (पैटी डिमाण्ड) पर कुल 9 घन मीटर लकड़ी उपलब्ध कराई जा सकी । ग्राम सभाओं को प्राप्त हकहकूक की लकड़ी से भी हुई यथा सम्भव इन्दिरा आवास योजना हेतु लकड़ी उपलब्ध कराई गई ।

इन्दिरा आवास में प्रति आवास रु0 1857.00 प्रकाष्ठ एवं लगाई कार्य सहित निर्धारित है । इस धनराशि से लगभग 0.30 घन मीटर लकड़ी क्रय की जा सकती है।

अब तक इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत टेहरी गढ़वाल में वर्षवार निम्न प्रकार भवनों का निर्माण किया गया है :—

वर्ष	आवासों की संख्या
1985-86	103
1986-87	283
1987-88	266
1988-89	193
1989-90	16

जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने का प्रस्ताव

139—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी और कितने दिनों में इसके चालू किये जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीधे राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अन्तर्गत विधि अधीक्षक का पद न होने की पुष्टि

140–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अकबर हुसैन धाबर–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवा नियमावली के प्राविधानों के विपरीत विधि अधीक्षक के पद पर एक ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान की गई है जो कई वर्षों तक निलम्बित भी रह चुका है ?! क्या मंत्री जी प्रश्न गत नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अंतर्गत विधि अधीक्षक का कोई एद नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, श्री एम0 आर0 सिद्दीकी मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा की गई शिकायत की जांच

141–श्री विश्राम दास–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम0 आर0 सिद्दीकी मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 16-9-88 पंजीकृत मा0 प्रधान मंत्री भारत सरकार को सम्बोधित एवं मा0 मुख्य मंत्री तथा आयुक्त कृषि उत्पादन, उ0 प्र0 शासन को पृष्ठांकित एवं तत्सम्बंधी अनुस्मारक दिनांक 1 नवम्बर, 1988 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां,

मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

लखीमपुर, श्री फूल चन्द्र गिरि, वन रक्षक पर वनों की अवैध कटान का कथित आरोप

142–श्री सूर्य प्रताप शाही–।

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि लखीमपुर खीरी के वन संरक्षक श्री फूल चन्द्र गिरि द्वारा पश्चिमी तथा पूर्वी वन खण्ड के 300 से भी अधिक सागौन और साल के पेड़ गत 2 माह में अवैध रूप से कटवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई?। यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

लखीमपुर खीरी में श्री फूल चन्द्र गिरि, वन संरक्षक नहीं, अपितु वन रक्षक पद पर , दक्षिण खीरी वन प्रभाग की गोला रांज में तैनात है । गोला रांज के अंतर्गत गोला

पश्चिम तथा गोला पूर्वी बीट हैं, जिनमें विगत 6 माह में न तो कोई ऐसी भारी संख्या में अवैध कटान हुई और न श्री गिरि किसी अवैध कटान के दोषी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर, श्री आलोक सिंह कार्य अधिकारी जिला परिषद् की सेवा सम्बन्धी शासन एवं उच्च न्यायालय के आदेश

143—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनु0-2 पत्र सं0 3028-बी 33-2-900-411/85 दिनांक 13 मई, 1988 के परिप्रेक्ष्य में श्री पद्म सिंह विशेष सचिव ने श्री आलोक सिंह कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सुल्तानपुर की विभाग से सेवायें समाप्त कर दी जिसके प्रतिशोध में श्री आलोक सिंह ने क्या उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देकर के स्थगन आदेश लिया है ? क्या शासन को यह जानकारी है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह निर्देशित किया है कि श्री सिंह को किसी भी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी न दी जाय केवल उन्हें वेतन दिया जाय ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में श्री सिंह को शासन एवं उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी सुल्तानपुर बनाया गया ? इसका उत्तरदायी कौन है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासनादेश सं0 3008 बी/33-2-900 (41)/85 दिनांक 13 मई, 1986 द्वारा श्री आलोक सिंह कार्य अधिकारी जिला परिषद् सुल्तानपुर की सेवायें समाप्त कर दी गई थी सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध श्री सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था । श्री सिंह से परिषद् का कोई कार्य न लिये जाने एवं उन्हें देय वेतन आदि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश शासन द्वारा दिये गये थे ।

जिला अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी लम्भुआ (सुल्तानपुर) का अपर जिला अधिकारी (परियोजना) सुल्तानपुर के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिये जाने के कारण कार्य के हित में श्री आलोक सिंह को खण्ड विकास अधिकारी लम्भुआ सुल्तानपुर नियुक्त कर दिया गया । बाद में आयुक्त फैजाबाद मंडल द्वारा सुल्तानपुर में खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती कर दिये जाने पर श्री आलोक सिंह को कार्य अधिकारी जिला परिषद् के पद पर वापस कर दिया गया ।

बरेली-रामपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव पर विचार

144—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर के पास बरेली-रामपुर रोड पर ग्राम मझरापुर के पास ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ? ट्रांसपोर्ट नगर कब तक स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इसमें कितने वाहनों के एक समय पर रुकने का प्राविधान किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । प्रस्ताव बरेली विकास प्राधिकरण स्तर पर अभी भी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा ए0 आई0 जी0 एस0 मुजफ्फरनगर के विरुद्ध की गई शिकायत पर विभागीय कार्यवाही

145–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-3-89 जो ए0 आई0 जी0 एस0 मुजफ्फरनगर द्वारा सेवारत रहते हुए नियमित रूप से एल-एल0 बी0 किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ? क्या मंत्री जी ने इस पत्र पर कोई आदेश किये थे? यदि हां, तो उन पर संबंधित अधिकारी द्वारा कब और क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जी हां।

संबंधित ए0 आई0 जी0 एस0 को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

जनपद फर्रुखाबाद, सैय्यद अनवार जमील द्वारा थाना छिबरामऊ में लिखाई गई रिपोर्ट की कार्यवाही की मांग

146–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या 12-11-88 को अध्यक्ष पद नगर-पालिका के चुनाव के दौरान छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद में सैय्यद अनवार जमील ने 12-11-88 को थाना छिबरामऊ में एक रिपोर्ट लिखाई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ ख्यालीगंज मकान नं0 169/28 के वास्तविक वारिस को नया पट्टा देने पर विचार

147–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मकान नं0 169/28 ख्यालीगंज, लखनऊ की लीज 1984 से समाप्त हो गयी है और सरकार ने केसर मिर्जा की दरख्वास्त पर पुनः लीज देने की 11-3-87 को खारिज कर दी है ? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण उक्त मकान अपने कब्जे में क्यों नहीं ले रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या 4454/9-नजूल-279 एन/84, दिनांक 19-8-1987 के अंतर्गत पट्टेदार के वास्तविक वारिस को नया पट्टा देने पर विचार किया जा रहा है, अतएव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मकान अपने कब्जे में नहीं लिया गया है।

जनपद गाजीपुर, एन0 आर0 ई0 पी0 एवं एल0 ई0 जी0 पी0 योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी एवं खड़न्जा स्तर पर करवाया गया कार्य एवं अनुमानित धनराशि

148–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में एन0 आर0 ई0पी0 व एल0आर0ई0जी0पी0 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 85-86, 86-87, 87-88, 88-89 में कुल कितने कि0मी0 सम्पर्क मार्गों पर कार्य कराया गया? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत किन-किन सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी स्तर का कार्य कराया जा चुका है तथा उपरोक्त योजनाओं के समाप्त हो जाने के बाद किन किन सम्पर्क मार्गों का कार्य अपूर्ण रह गया है? इन मार्गों पर सोलिंग स्तर का कार्य पूर्ण कराये जाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है? क्या मंत्री जी जनहित को ध्यान में रखते हुए अपूर्ण सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु धन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

कार्यदायी विभागों द्वारा वर्ष 85-86 से 88-89 तक एन0 आर0 ई0 पी0 में 652 कि0मी0 में कार्य कराया गया है एवं आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 में मिट्टी स्तर तक 115.60 कि0मी0 तथा खड़न्जा स्तर तक 94.60 किमी0 कार्य कराया गया है।

जो कार्य कराया गया तथा जो कार्य अपूर्ण है, का विवरण विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

प्रश्नगत कार्य के लिए अनुमानित रूपये 2150.00 लाख की आवश्यकता होगी।

वर्ष 1988-89 तक के जनपद स्तर पर समस्त अपूर्ण कार्यों को यथा सम्भव पूर्ण कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0 स्तर पर रोकी गयी 20 प्रतिशत धनराशि से किए जाने का प्राविधान भारत सरकार ने निर्णय लिया है, पर कार्यवाही डी0 आर0 डी0 ए0 से की जानी है।

बहराइच, राजकीय इन्टर कालेज के अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन के पुनः आहरण पर विचार

149–श्री मयंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय इन्टर कालेज बहराइच के अध्यापकों/कर्मचारियों को माह जून, 88 के वेतन का भुगतान हो चुका है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों और उक्त वेतन का भुगतान कब तक किया जायेगा? इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

वेतन के पुनः आहरण का प्रश्न विचाराधीन है। पुनर्आहरण का निर्णय हो जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जा सकेगा।

कोई दोषी नहीं है।

शाहजहांपुर के मकतबों को अनुदान प्रदान किये जाने की मांग

150—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1972 से पूर्व मान्यता प्राप्त मकतबों को अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो जनपद शाहजहांपुर के मकतबों को अनुदान न दिये जाने के क्या कारण हैं? शासन द्वारा शाहजहांपुर के मकतबों को कब तक अनुदान दे दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रश्नगत मकतबों के मान्यता प्राप्त न होने के कारण अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

मान्यता प्राप्त होने पर तथा अनुदान के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होने पर अनुदान दिया जायेगा।

बहराइच, राजकीय इण्टर कालेज में हाई स्कूल कक्षाओं में गणित/विज्ञान के अतिरिक्त अध्यापकों की मांग

151—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज बहराइच में हाई स्कूल कक्षाओं में गणित/विज्ञान के अध्यापकों की संख्या छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त है? यदि नहीं, तो उक्त विद्यालय में गणित/विज्ञान के अतिरिक्त अध्यापकों को भेजने का आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

अध्यापकों के नये पद सृजित होने पर ही प्रश्नगत विद्यालय में गणित एवं विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति सम्भव हो सकेगी।

152—नवाब सिकन्दर अली खां—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री नवाब सिकन्दर अली खां सदस्य वि0 स0 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा गया पत्र एवं कृत कार्यवाही

153—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 30-3-89 जो जनप्रतिनिधि एवं जनतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा से संबंधित है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? पत्र का उत्तर न देने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर वांछित कार्यवाही कर दी गयी है और जिला

बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने अपने पत्र दिनांक 18-8-89 द्वारा माननीय विधायक को स्थिति से अवगत करा दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के बुद्ध अम्बेदकर जूनियर हाई स्कूल भोगाव के अभिलेखों की आडिट के उपरान्त वापसी

154—श्री शिवबक्श सिंह राठौर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामकृष्ण मिश्र अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मैनपुरी द्वारा दिनांक 18-5-87 को बुद्ध अम्बेदकर जूनियर हाई स्कूल भोगाव जनपद मैनपुरी के सारे पत्रजात कब्जे में लेकर सील किये गये थे जो अभी तक परगना मजिस्ट्रेट भोगाव के यहां जांच हेतु लम्बित हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी विद्यालय को सुचारु रूप से चलने देने हेतु उक्त कागजात के संबंध में शीघ्र कार्यवाही कर कागज वापिस कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हां ।

नहीं ।

परगना मजिस्ट्रेट ने 7 जून, 89 को समस्त अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वापस कर दिये हैं जो आडिट हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित हैं ।

आडिट के उपरान्त ही अभिलेख वापिस किये जा सकेंगे ।

नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा 200 फीट सरकारी कच्चे सम्पर्क मार्ग का निर्माणकार्य

155—श्री राम लाल—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौसमबाग सीतापुर रोड स्थित भुवन काजी ट्रस्ट के भवन से रेल रोड तक लगभग 200 फीट सरकारी कच्चा सम्पर्क मार्ग के पुख्ता करने एवं सीपेज की व्यवस्था के आदेश वर्ष 1935 में श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री तथा वर्ष 1988 में तत्कालीन नगर विकास सचिव, श्री एस0 डी0 बागला ने नगर महापालिका लखनऊ को दिए थे ? यदि हां, तो शासन के उक्त आदेशों का अनुपालन नगर महापालिका लखनऊ द्वारा न किए जाने के लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या शासन उक्त मार्ग का निर्माण करायेगा एवं शासन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

महापालिका द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर खड़ंजा लगाने का कार्य किया जा चुका है । इस प्रकार नगरमहापालिका द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, विकास खण्ड भांवरकोल में आवासों के अपूर्ण निर्माण हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

156—श्री अफजाल अंसारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87-88 में जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ब्लाक भांवरकोल के ग्राम बांठा में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आवास बनना था ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उपरोक्त आवासों का निर्माण अधूरा है जबकि फण्ड से पूरा पैसा निकाल लिया गया है और प्रगति रिपोर्ट में कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर जिम्मेदार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 87-88 में भांवरकोल विकास खण्ड के ग्राम बाठा में 9 इन्दिरा आवास का निर्माण प्रस्तावित था जो पूर्ण नहीं हुए थे । वर्ष 88-89 की भी रिपोर्ट में खण्ड विकास अधिकारी ने इन आवासों को पूर्ण दिखलाया था । जिला बीस सूत्रीय समिति की दिनांक 10-7-89 की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत की जांच की गयी तथा आवास निर्माण का कार्य अपूर्ण पाया गया । जांच से विदित हुआ कि खण्ड विकास अधिकारी ने गलत रिपोर्ट भेजी है । शासन स्तर से उपरोक्त अनियमितता के विषय में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश की स्थानीय निकायों में ट्रेंफिक तहबाजारी समाप्त करने का निर्णय

157—श्री अफजाल अंसारी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष शासन ने प्रदेश की स्थानीय निकायों की ट्रैफिक तहबाजारी समाप्त कर दिए जाने का निर्णय लिया है ?यदि हां, तो नगर पालिका मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को इस निर्णय से कितने धन की क्षति प्रत्येक वर्ष पहुंचती है ? क्या मंत्री जी नगर पालिका मुहम्मदाबाद की सीमित आय तथा आय से अधिक आवश्यक खर्च को दृष्टि में रखकर क्षतिपूर्ति की सहायता देने पर विचार करेंगे यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । स्थानीय निकायों में ट्रेंफिक तहबाजारी अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158—श्री जयदीप सिंह बरार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पिपराघाट (दिलकुशा) लखनऊ में श्री फकीरे ठेकेदार से बकाया गृहकर की वसूली के संबंध में महापालिका द्वारा कृत कार्यवाही

159–श्री मित्रसेन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत पिपराघाट(दिलकुशा) लखनऊ में स्व0 फकीरे लाल यादव के कितने मकान ऐसे हैं जिनके गृहकर व जलकर नगर महापालिका द्वारा वसूल नहीं किए जा रहे हैं जिससे नगर महापालिका की आर्थिक हानि हो रही है ? कुल कितनी धनराशि गृह कर व जल कर के रूप में बकाया है ? बकाया वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? बकाया धनराशि की वसूली कब तक कर ली जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

पिपराघाट (दिलकुशा) लखनऊ में श्री फकीरे ठेकेदार के नाम से 7 मकान हैं । उक्त स्थल पर पानी तथा सीवर की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जल कर एवं सीवर कर से मुक्त है ।

वर्ष 88-89 तक गृह कर के रूप में रु0 22,914.75 पैसे अवशेष हैं । बकाया की वसूली के संबंध में प्रत्येक वर्ष बिल भेजे जाते हैं व नोटिस भी दिए जा चुके हैं । यदि फिर भी भुगतान प्राप्त नहीं होता तो उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 में विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत कुड़की आदि के वारंट जारी कर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी ।

शारदा सहायक समादेश परियोजना, जवाहर भवन में लेखाकार के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

160–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक समादेश परियोजना कार्यालय जवाहर भवन के पत्रांक-1782/कार्मिक-एक-1-13/86-87, दिनांक जून, 86 द्वारा तीन लेखाकार के पदों पर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे, इस शर्त के साथ पदोन्नतियां की गयी थी कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यह नियुक्तियां निरस्त कर दी जायेंगी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी ने अपना प्रत्यावेदन दिनांक 23-6-86 एवं स्मरण-पत्र दिनांक 8-4-89 आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उक्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही करके अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ? विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

अनुसूचित जाति के श्री नन्द राम द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया था परन्तु श्री राम लेखाकार के पद की पात्रता में नहीं आते थे ।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ में अधीक्षक ग्रेड–2 के स्वीकृत पद एवं अन्य विवरण

161–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ में अधीक्षक, ग्रेड-2 के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इन पदों पर कौन-कौन कर्मचारी कब से कार्यरत हैं और किस वर्ष की रिक्ति के प्रति चयनित हैं ? लोक सेवा आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–एस-4/70(1)/3/मिस0/81-82, दिनांक 28-11-87 के अनुसार उक्त कर्मचारियों की अधीक्षक ग्रेड-II में ज्येष्ठता क्रम क्या है तथा इनमें से किस वर्ष तक के चयनित कर्मचारी उक्त पद पर स्थायी हैं तथा कितने स्थायी होने शेष हैं और उन्हें स्थायी रिक्ति उपलब्ध होते हुए भी स्थायी अभी तक न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कुल 54 पद स्वीकृत हैं ।

वांछित विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जो वर्तमान सत्र की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है ।

आयोग का प्रश्नगत पत्र अधीक्षकों की ज्येष्ठता से संबंधित नहीं है ।

जिला हरदोई, नगरपालिका साण्डी पर अनियमितताओं का आरोप

162–श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका साण्डी, जिला हरदोई में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नगरपालिका साण्डी के सदस्यों का ज्ञापन आयुक्त, लखनऊ मंडल को 7-4-89 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, बिलग्राम से कराई गई और जांच के आरोप सही नहीं पाये गये ।

लखनऊ, शशि भूषण बालिका विद्यालय डिग्री कालेज को अनुदान सूची में लाकर प्राइमरी सेक्शन की अध्यापिकाओं को वेतनमान दिलाये जाने की मांग

163–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शशिभूषण बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ की प्राइमरी सेक्शन किस वर्ष से स्थापित है तथा क्या यह सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है ? यदि हां, तो उक्त प्राइमरी सेक्शन की अध्यापिकाओं को किस दर से वेतन का भुगतान किया जाता है ? क्या यह सही है कि सरकारी अनुदान के अभाव में उक्त विद्यालय की प्रबन्धकारिणी द्वारा अध्यापिकाओं को अति न्यून दर से वेतन का भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में लाकर अध्यापिकाओं को प्राइमरी शिक्षक का वेतनमान दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1942 से स्थापित है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं । डिग्री कालेज से सम्बद्ध प्राइमरी सेक्शन को अनुदान सूची पर लाने की कोई योजना नहीं है ।

हरदोई, श्री विश्राम लाल मिश्र, शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखाने के आदेश

164–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विश्राम लाल मिश्र, शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र, हरदोई के विरुद्ध गबन का आरोप सिद्ध है ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिक सूचना अंकित करायी गयी? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

नहीं ।

शिक्षा निदेशक (बे) को थाने में रिपोर्ट लिखाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद हरदोई, श्री जमील खां, प्रधानाध्यापक प्रा0 पा0 सठियामऊ के विरुद्ध दो पत्नियां रखने का कथित आरोप

165–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसी भी कर्मचारी को दो पत्नियां बिना विभाग या शासन के अनुमति के रखने पर अपराध है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री जमील खां, प्रधानाध्यापक, प्रा0 पा0 सठियामऊ, ब्लाक साण्डी, जनपद हरदोई की दो पत्नियां हैं ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा शासन से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या शासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नियमों के प्रतिकूल है ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

166–श्री कनक सिंह–

[1ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 161 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई, श्री विष्णु दयाल त्रिपाठी, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल को नियमानुसार स्वीकृत पेंशन

167–श्री कनक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विष्णु दयाल त्रिपाठी, सहायक

अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, नगर क्षेत्र हरदोई को नवीन राजाज्ञा 1978 के अनुसार पेंशन देने के संबंध में सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का पत्रांक बे0 सि0 प0/प्र0-15/83-84, दिनांक 22-3-84 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त पेंशन देने के संबंध में, बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के पत्र संख्या 956 दिनांक 1 जून, 1989 शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी और श्री त्रिपाठी को पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्हें नियमानुसार देय पेंशन पूर्व से ही स्वीकृत है ।

पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी क्योंकि श्री त्रिपाठी ने अपने विकल्प पत्र में शासनादेश सं0 5197/15-5-89/77, दिनांक 8-3-78 में प्रतिपादित योजना अपने ऊपर लागू न करने का विकल्प दिया था ।

जी नहीं ।

लखनऊ-मोहान रोड से जूनियर हाई स्कूल सरोसा, मुजफ्फरखेड़ा में कच्चा मार्ग निर्माण हेतु जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति

168–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक काकोरी के सरोसा-भरोसा सम्पर्क मार्ग से ग्राम भरोसा के लिए बने सम्पर्क मार्ग में 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी मिट्टी डालकर ऊंचा करने तथा खड़ंजा एवं पुलियों का निर्माण कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है ? सड़क को मिट्टी डालकर ऊंचा करने तथा पुलियों का निर्माण तथा खड़ंजा बिछवाने का कार्य कब तक हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद लखनऊ के ब्लाक काकोरी में सरोसा-भरोसा सम्पर्क मार्ग से ग्राम भरोसा के लिए कोई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं किया गया था । वर्ष 1987-88 में सूखा राहत योजना के अंतर्गत लखनऊ–मोहान रोड से जूनियर हाई स्कूल सरोसा, मुजफ्फरखेड़ा कच्चा मार्ग निर्माण हेतु 2·00 कि0मी0 की स्वीकृति दिनांक 8-1-88 को प्रदान की गयी थी ? इसके विपरीत खण्ड विकास अधिकारी, काकोरी की रिपोर्ट के अनुसार 1·120 कि0मी0 कच्चा मार्ग का कार्य 30 जून, 88 तक पूरा किया गया था, उसके बाद सूखा राहत योजना समाप्त होने के कारण कार्य रोक दिया गया । कच्चे मार्ग के साथ कोई पुलिया स्वीकृत नहीं की गई थी । खड़ंजा लगाने का कार्य भी साथ में स्वीकृत नहीं किया गया था । अब जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संबंधित ग्राम सभा अपने विवेकानुसार उक्त कार्य पूर्ण करा सकती है ।

श्री भगवान बख्श यादव, प्रधानाध्यपक जू0 हाई स्कूल गोहरामऊ ब्लाक काकोरी द्वारा बी0 एड0 ट्रेनिंग हेतु ली गयी अनुमति

169—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री भगवान बख्श यादव, प्रधानाध्यपक जू0 हाई स्कूल गोहरामऊ ब्लाक काकोरी लखनऊ ने पी0 एस0 एन0 कालेज, उन्नाव से सन् 1976 में बी0 एड0 की ट्रेनिंग की थी ? यदि हां, तो क्या उन्होंने विभागीय आदेश ट्रेनिंग हेतु प्राप्त किया था ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

उन्होंने विद्यालय के प्रबन्धक से अनुमति प्राप्त की थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0, देहरादून द्वारा श्री शिव दत्त पंसबोला से सोसाइटी की सदस्यता संबंधी पत्र में जानकारी

170—श्री बालेश्वर—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दून वैली आफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी लि0 बसन्त बिहार देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-146/1052 दिनांक 2 सितम्बर, 87 द्वारा शेयर सर्टीफिकेट सं0-01002 दिनांक 31-8-83 धारक सदस्य (श्री शिव दत्त पसवोला) से अपनी सदस्यता वापस लेने को लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सदस्य ने अपनी सदस्यता वापस लेने हेतु अनुरोध किया था ? यदि नहीं, तो उक्त सोसाइटी द्वारा उन्हें सदस्यता वापस लिए जाने हेतु पत्र क्यों लिखा गया ? मंत्री जी इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0 देहरादून ने अपने पत्र संख्या 146/1052 दिनांक 2 सितम्बर, 87 द्वारा श्री शिव दत्त पसबोला से यह ज्ञात किया था कि वह सदस्य बने रहना चाहेंगे । यदि नहीं, तो वह सदस्यता वापस ले सकते हैं ।

जी नहीं ।

सोसाइटी द्वारा उनसे सदस्य बने रहने अथवा सदस्यता वापस लेने की सहमति मांगी गयी थी । सदस्यता वापस लेने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया गया था ।

कोई कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धन भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए लागू सामूहिक बीमा योजना

171—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के निर्धन भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितार्थ भूमिहीन कृषि मजदूर बीमा योजना प्रारम्भ करेंगे जिसके प्रीमियम का भुगतान भी सरकार ही करे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित सामूहिक बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 1987 से समस्त जनपदों में लागू कर दी गयी है, जिसके प्रीमियम का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी, भू0 पू0 उप कृषि निदेशक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच

172–श्री विष्णु देव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व उप कृषि निदेशक, राम गंगा कमाण्ड परियोजना मैनपुरी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मैनपुरी (श्री आत्मा राम) के विरुद्ध मैनपुरी के उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस आई (श्री सुनील कुमार) ने शासन एवं प्रशासक राम गंगा कमाण्ड परियोजना आजाद नगर कानपुर को कोई आधारभूत शिकायतों की 25 सूत्री शिकायती पत्र वर्ष 1984 एवं मार्च, 1989 में प्रेषित किया है जिसमें वर्णित शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कृत कार्यवाही से मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । परन्तु 25 सूत्रीय शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । वर्ष 1984 में दो शिकायती पत्र क्रमश: 14 सूत्रीय एवं 12 सूत्रीय प्राप्त हुए थे । मार्च, 1989 का भी कोई शिकायती पत्र शासन में उपलब्ध नहीं है । जांच की जा रही है।

जनपद मऊ/आजमगढ़, डा0 ईश्वर दत्त उपाध्याय के पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

173–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद अंतर्गत विकास खण्ड दोहरीघाट के क्षेत्र प्रमुख डा0 ईश्वर दत्त उपाध्याय का पत्र दिनांक 30-11-88 जो कि प्रशासकीय मुद्दों पर दिशा निर्देश याचना एवं शिकायतों की जांच विषय पर है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

डा0 ईश्वर दत्त उपाध्याय प्रमुख क्षेत्र समिति दोहरीघाट, जनपद मऊ/आजमगढ़ का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2 में प्राप्त हुआ, जो दिनांक 2-12-88 को जिलाधिकारी मऊ/आजमगढ़ को भेजा गया है । उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में खच्चर मार्ग के पुल के पुनर्निर्माण की मांग

174–श्री राम सजीवन–

क्या पर्वतीय विकास विभाग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में घेराघार दोभी सरकारी गल्ला गोदाम तक माल ले जाने वाले खच्चर मार्ग का पुल गत वर्ष बाढ़ में बह गया था ? यदि हां, तो खाद्यान्न की रुकावट को दूर करने की

आवश्यकता को देखते हुए खच्चर मार्ग पुल का पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया गया ? निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय संचार मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन् मैं किन शब्दों में सदन को इस अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से सूचित करूं कि हमारे प्रिय भाई इस सदन के एक दीर्घकाल तक रहे हुये मुख्य सेवक और हम सबके प्रिय साथी और अग्रज, हममें से अनेक साथियों के अग्रज, प्रदेश के जाने माने नेता, लाखों कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़े हुये एक कर्मयोगी, केन्द्र में भी जाकर सहज अपना स्थान बनाने वाले हमारे सहकर्मी भाई श्री वीर बहादुर सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे । श्रीमन्, जब हम सभी ने यह सूचना सुनी, यह हृदय विदारक सूचना सुनी कि वह पेरिस में गम्भीर रूप से बीमार हैं, तो विश्वास नहीं हुआ । लेकिन विधना की विधि को क्या कहा जाय? कितना उन्हें करना था, कितनी उनसे अपेक्षायें थीं और क्या-क्या हमारी आकांक्षायें थीं कि हम मिलकर क्या काम कर सकेंगे । वीर बहादुर सिंह जी का निधन हमारे प्रदेश के लिये एक अपूर्णनीय क्षति है । उनका हमारे बीच से चले जाना एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति को छोड़ देना है, जिन्होंने अपनी विलक्षणता से अपने कौशल से, अपनी निष्ठा से, अपनी कर्म भावना से इस प्रदेश को आलोकित किया इस प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया और इस बात की चेष्टा की कि प्रदेश की चहुमुखी प्रगति कर सकें । आज हममें से अनेक, लगभग सभी अपने जीवन में एक रिक्तता पाते हैं, क्योंकि वीर बहादुर सिंह जी अपने व्यक्तित्व से सभी को छू लेते थे और एक विशेष रूप से प्रभावित करते थे, उनमें प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति थी । मैंने विद्यार्थी काल से उन्हें जाना और पेरिस जाने से पहले, मेरी जो आखिरी वार्ता उनसे हुई, वह भी प्रदेश के विकास के सन्दर्भ में हुई ।

श्रीमन्, इस विधान सभा में भी जो उनका योगदान रहा, वह अपने मायने में एक विशिष्ट प्रकार का योगदान था, वह जिस काम को भी करते थे, उसमें वह गहराइयों तक जाते थे और उसे क्रियान्वयन करने में वह दृढ़ थे । अपनी बात के धनी थे, जो बात कहते थे, उसे स्वयं करते थे और अगर वह ऐसी बात है, जिसे उन्हें न करना हो दूसरे को करना हो तो उसे कराने के लिए वह प्राणपण से चेष्टा करते थे । यही उनकी सफलता की कुंजी थी । एक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, युवा कार्यकर्ता और किसान कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के मुख्य मंत्री और देश के संचार मंत्री के रूप में उनका जो उत्कर्ष हुआ वह स्वयं प्रेरणादायक है । एक प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता अध्यवसाय से, निष्ठा से परिश्रम से, और असाधारण संगठन शक्ति से अपने को स्वयं बना सकता है समाज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में, प्रदेश में और देश में । वह इसके जीते जागते उदाहरण थे । हमें आशा करनी चाहिए कि हमारी युवापीढ़ी एक एसे कर्मठ जीवन से प्रेरणा लेती रहेगी और स्वयं एसे आदर्श उपस्थित करेगी जिससे श्री बीर बहादुर सिंह जी के निधन से जो रिक्तता हुई है, वह रिक्तता कुछ मायने में भरी जा सके ।

श्रीमन्, उनके निधन से न केवल कांग्रेस पार्टी के लिये हमारे दल के लिए वरन् प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में एक महान क्षति हुई है । वह जोड़ने के सेतु के रूप में काम करते थे और जब वह सेतु के रूप में कोई कार्य करते थे तो वह सार्वप्रादेशिक हो जाते थे । हम सबके जीवन में कभी-कभी एसे मौके आते है कुछ एसे प्रश्न सामने आते है, जो दलगत परिधि से ऊपर उठकर सारे प्रदेश और देश के हित में होते है या है जिन सबको हमें मिलकर सुलझाना होता है । एसी स्थिति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और एक रास्ता ढूंढ निकालने के लिए श्री वीर बहादुर सिंह जी का अपना कोई सानी नहीं था । श्रीमन्, जहां वह अपनी बातों के धनी थे वहीं चट्टान की तरह अटल भी थे अपने सिद्धान्तों के लिए, अपनी निष्ठा के लिए और अपने आदर्श तथा मूल्यों के लिए । यह भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है ।

श्रीमन्, एसे कर्मठ साथी, सहयोगी विधायक और एक समर्पित विशिष्ट प्रशासक जिसने नई-नई दिशायें देने की चेष्टा की तथा पूर्वांचल और गोरखपुर के विकास के लिए जो नये आयाम स्थापित किए और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो उदाहरण उपस्थित किए, वह हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देते रहेंगे । अपने एक एसे साथी की याद में हम सब दुखित है ।

श्रीमन्, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी के शोक-संतप्त परिवार तक, देवी कमला जी, श्री फतेहबहादुर सिंह व उनके अन्य भ्राता तथा उनके बड़े भाई श्री गुलाब सिंह जी तथा परिवार के अन्य दुखी जन, जिस सदन की श्री वीर बहादुर सिंह जी ने 1967 से लेकर सेवा की, सिर्फ एक छोटी सी अवधि को छोड़कर, इस सदन की ओर से कृपया आप उनके परिवार तक हमारी भावभीनी शोकांजलि श्रद्धांजलि के पुष्प के रूप में हमारे दल की ओर से कांग्रेस दल की ओर से हार्दिकतम संवेदना भिजवाने का कष्ट करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी के संबंध में जो संवेदना के भाव व्यक्त किए है, उससे मैं स्वयं को और अपने जनता दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, वीर बहादुर सिंह जी के साथ हमें भी काफी अरसे तक इस सदन में और सदन के बाहर रहने का मौका मिला । आज उनके निधन के बाद एसा विश्वास नहीं होता है कि राजनीति के क्षेत्र में वह शख्सियत आज हमारे बीच में नही है । उनका निधन 54 वर्ष की आयु में हुआ । इसे मैं अल्पायु में ही कहूंगा क्योंकि राजनीति में 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु राजनीतिक तरुणाई की आयु हुआ करती है और इसी बीच में वह हमसे जुदा हो गये । उनके व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ी खूबी का एहसास किया है वह यह थी कि माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने एक राजनीतिक छोटे से कार्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्ता के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया था । अपने जिले के अन्दर कार्यकर्ता रहे, अपने दल के जिला अध्यक्ष रहे और उसके बाद कई बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल में उप मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्री रहे और यहां तक कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी के कार्य-काल में भी कैबीनेट स्तर के मंत्री रहे । उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पद मुख्य मंत्री के पद को भी सुशोभित किया । उसके बाद दिल्ली में भी केन्द्रीय मंत्री रहे । यह इसका परिचायक है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कर्मठता को आधार मानकर, अपने दल का विश्वास जीतकर राजनीति के शिखर पर भी पहुंच सकता है । वह केवल कांग्रेस के लिये ही नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी के लिये प्रेरणा के प्रतीक हैं । जो भी व्यक्ति उनके विषय में सुनेगा एहसास कर सकता है कि वीर बहादुर सिंह जी जब एक छोटे से धरातल पर कार्य करने के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है ।

उनके व्यक्तित्व में काफी हद तक सादगी थी । कभी भी हमने नहीं देखा कि बीड़ी, सिगरेट या पान कोई भी व्यसन उनमें हो, ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया । उनके अन्दर जो सबसे बड़ी खूबी थी वह यही रही कि हमेशा लगन के साथ, कर्मठता के साथ अपने दल के लिये और सरकार के लिये हमेशा लगे रहे, इसीलिये उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उन्होंने अपना विशेष स्थान बनाया अपने दल के अन्दर भी और सरकार के अन्दर भी जिस दिन वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे उस दिन ऐसा भाव जागृत हुआ कि शायद वह महीने पन्द्रह दिन भी सरकार नहीं चला पायेंगे । विश्वास यह नहीं होता था कि मुख्य मंत्री का इतने लम्बे समय तक कार्यभार संभाल सकेंगे लेकिन अनेकानेक बाधाओं के साथ भी उन्होंने तीन वर्ष तक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया और उसे बखूबी संभाला । दिल्ली में पहुंचने पर जब वहां पर मंत्री थे तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया । इससे उन्हें बहुत बड़ा आघात पहुंचा । जब वह मंत्री थे उस समय मैं उनसे मिला था, उस समय उन्होंने खासकर अपनी पारिवारिक स्थिति के विषय में चर्चा की और कहा कि बहुत बड़ी समस्या हो गयी है पत्नी के न रहने पर, बच्चे हैं, उनकी शादियां भी नहीं हुई हैं । अपनी धर्मपत्नी के न रहने से वह अत्यन्त दुखी थे । उनके विभाग का जो उत्तरदायित्व उनके ऊपर था उसके साथ-साथ पारिवारिक उत्तरदायित्व भी पूरा आ जाने से वह अत्यन्त दुखी रहा करते थे ।

वीर बहादुर सिंह जी सादगी के प्रतीक थे । उन्होंने बहुत सादगी के साथ जीवन यापन किया चाहे मुख्य मंत्री रहे हों या मंत्री रहे हों । आज उनके न रहने से, जैसी मुख्य मंत्री जी ने भावना व्यक्त की है, केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की राजनीति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है । उनके दल को तो बहुत बड़ा आघात पहुंचा ही है, लेकिन सभी राजनीतिज्ञों को भी उनके निधन से बहुत बड़ा आघात पहुंचा है क्योंकि वे किसी से द्वेष भावना नहीं करते थे । आपने भी मान्यवर, सदन में देखा होगा कि जब कभी भी कोई माननीय सदस्य गुस्से में बात कह जाता था तो वे उसे स्थायी रूप से अपने दिल और दिमाग में उस बात को नहीं रखते थे । यह सही है कि उनको भाषा पर अधिक नियंत्रण नहीं था, किन्तु भाषा पर अच्छा नियंत्रण न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कर्मठता से राजनीतिक क्षेत्र में अपना सर्वोच्च स्थान बनाये रखा था । ऐसे महान राजनीतिज्ञ के निधन से हम सब लोग बहुत दुखी हैं

और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी तरफ से, जनता दल की तरफ से भाव भीनी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उस दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, प्रदेश के भू0पू0 मुख्य मंत्री, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का निधन बड़े ही असमय में हो गया, वह बहुत छोटी उम्र के थे, 54 वर्ष की अवस्था कोई बड़ी उम्र नहीं होती है । लेकिन वे देश के बाहर विदेश में एक कर्तव्य से गये थे और वहीं पर उनका निधन हो गया । निश्चित रूप से यह प्रदेश और देश उनके निधन से बहुत दुखी है। आज इस सदन में हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये खड़े हुए हैं । स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी बड़े कुशल संगठन कर्ता, अच्छे राजनीतिज्ञ और सच्चे समाजसेवी थे । उनके निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है और उसकी पूर्ति अनेक लोग मिलकर करेंगे तभी वह कमी पूरी हो पायेगी । हम और वे एक ही तहसील के रहने वाले हैं, जहां उनकी जन्म भूमि थी वहां के हम भी हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही निकट से जानते थे । हमारे यहां से 20 कि0 मी0 की दूरी पर उनका जन्म स्थान है और हम बचपन से ही उनको जानते थे । वह बोलते कम थे लेकिन करते अधिक थे और वे अपनी कर्मठता के कारण कर्तव्य परायणता के कारण ही एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद इतने ऊंचे स्थान तक पहुंच गये थे ।

मैं यदि बातें बताऊं तो बहुत समय लग जायेगा किन्तु एक संस्मरण की बात बतलाता हूं कि एक बड़ी शासकीय मीटिंग में जो गोरखपुर में हुई थी जब वे मुख्य मंत्री थे, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे उस समय मैंने उनसे कहा कि मान्यवर, मैंने सरयू नदी पर कटहरिया घाट पर पुल बनाने की बात कही थी तो उन्होंने कहा कि आप और हम दोनों इस क्षेत्र को छोड़ गए मैंने कहा कि ठीक है मेरा निर्वाचन क्षेत्र इसके बाहर बांसी है लेकिन आप तो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री होने के नाते यहां पर रहते ही हैं और फिर हमारे और आपके घर, परिवार के लोग और इसके क्षेत्र के लोग यहीं रहते हैं उन्हें आने-जाने में कष्ट होता है और एक लम्बी यात्रा करने के बाद लोग काशी, प्रयाग लखनऊ गन्तव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं इसलिए यह पुल तो बन ही जाना चाहिए । मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस संबंध में एक प्रश्न भी था और उसके उत्तर में उन्होंने आश्वासन भी दिया था । मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार किये जाने का अवश्य ही कष्ट करना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग में सभी के सामने यह बात उन्होंने कही थी । यह पुल उनकी स्मृति में एक यादगार होगा। जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो मैं उनके पास गया था और उन्होंने इस संबंध में कहा था कि वह सपरिवार, समाज व राजनीति में उनके साथ कर्तव्यों का सफलता-पूर्वक निर्वहन करती थीं । बड़ी कार्यकुशलतापूर्वक सभी कार्य वे करती थीं, उनके जाने के बाद से उनको बहुत आघात पहुंचा था । लेकिन दिल्ली जाने के बाद यह दूसरा उनको धक्का लगा। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी और हमारे दल की सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के निधन से हमारे दल के लोग बहुत दुखी हुए । यह बात सही है कि मा0 वीर बहादुर सिंह जी एक छोटे परिवार से थे लेकिन अपनी कर्मठता के बल पर उन्होंने अपनी संगठनात्मक शक्ति के द्वारा अपने को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिकों एवं सार्वजनिक जीवन को जितना गहरा धक्का लगा है, वह किसी से छिपा नहीं है क्योंकि वह एक महान व कुशल प्रशासक थे, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वह एक अत्यन्त सफल मुख्य मंत्री भी रहे हैं, उनके जाने से जो रिक्ति हुई, वह कैसे पूरी होगी ? यह अपने आप में एक मुश्किल सवाल है । उनके बारे में जो उद्गार मा0 नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को व अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी यह श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने जो भावनाएं स्व0 वीर बहादुर सिंह के प्रति व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह हमारे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, उनके मंत्रित्व काल में प्रदेश जिस तरह से तीन वर्षों तक चला है, वह अपने आप में एक मिसाल है, जो भी समस्याएं उस समय उठीं, उनके निराकरण में जो योगदान उन्होंने दिया, वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा । वह बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे और हम लोगों को जब भी उनसे बात-चीत करने का अवसर मिला है उससे यही आभास हुआ है कि इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वह यही बड़े सरल भाव से कह दिया करते थे कि यह काम हो जायेगा । हालांकि वह एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे और इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाने में जो आश्चर्य जनक तरक्की उन्होंने की है, ऐसी तरक्की हम लोगों में से शायद ही किसी ने की हो और जो गुण व अच्छाइयां उनमें विराजमान थीं, जल्दी दूसरों में देखने को नहीं मिलती । वह इस सदन में कई मर्तवा सदस्य, बने, फिर उप मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्री काफी समय तक बने रहे और फिर इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने और अंत में भारत सरकार के संचार मंत्री बने और जब उनके निधन की सूचना हम लोगों को मिली कि उनका इंतकाल "पेरिस" में हो गया है, तो यकीन नहीं आता था कि उनका इंतकाल हुआ भी है या नहीं ।

उनके निधन से सच मुच कांग्रेस पार्टी में ही रिक्ति नहीं हुई है अपितु पूरे हिन्दुस्तान की राजनीति में से एक रिक्ति हुई है, जिसे आसानी से काफी लम्बे अरसे तक भरा नहीं जा सकता है । क्योंकि वह एक अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तथा अच्छे गुणों व कुशल प्रशासक के रूप में वह अंत तक जाने जाते रहे हैं ।

इनके प्रति मान्यवर, मैं अपनी व अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं आप शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर 30 मई, 1989 को हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय संचार मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह जी हम से जुदा हो गये । मान्यवर, वह एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे । इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि जिस दिन वे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, उसी दिन से प्रदेश के ज्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि आज गये या कल गये, इनसे ज्यादा कुछ चलने चलाने वाला नहीं है आदि लेकिन धीरे-धीरे जो रिकार्ड और छवि अपनी इन्होंने कायम की । वह रिकार्ड और छवि दूसरे शायद ही किसी मुख्य मंत्री ने इतने समय में कायम की हो और ढाई वर्षों तक इन्होंने प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में सफलतापूर्वक सेवा की हालांकि यह एक साधारण परिवार से और नीचे से कार्यकर्ता के रूप में ऊपर की ओर आए थे, यह उनकी अपनी एक विशेषता, कर्मठता और लगन थी, जिसे इस धरती की राजनीति का प्रतीक ही माना जायेगा । उनके निधन से जो रिक्तता आयी है, उस रिक्तता को पूरा कर पाना सम्भव नहीं है । जो उद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

***श्री फजलुल बारी–**

माननीय अध्यक्ष जी, बीर बहादुर जी के निधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हो गया है । यह कहना सही है कि वह नीचे के आदमी थे और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन हुए । उनके जमाने में, जब वह मुख्य मंत्री रहे, एक अजीब हलचल का माहौल रहा लेकिन आज जब वह नहीं रहे । तो मुझे यह कहने में रूकावट नहीं है कि वे एक लोकतांत्रिक मूल्यों के परवर्दा इन्सान थे । यह अलग बात है कि राजनीति का जिस प्रकार से अपराधीकरण और जिस तरह से धर्मीकरण करने के वास्ते एक षडयन्त्र चल रहा है, उसमें माननीय बीर बहादुर सिंह जी अपनी उस मजबूरी को जाहिर न कर सके और ऊपर के प्रभाव में कार्य करते रहे । वह मजबूत आदमी थे । खेत और खलिहान से जुड़े हुये आदमी थे । उनके इन्तकाल से जो कमी गरीब जनता महसूस कर रही है, वह कमी सदैव महसूस की जाती रहेगी । आपसे निवेदन है कि मेरी यह संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

बीर बहादुर जी के बारे में कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि आज वह हमारे बीच में नहीं रहेंगे । 54 वर्ष की उम्र में वह इस दुनिया से उठ गये । आज हम यहां पर एकत्र हुये हैं, इक्ट्ठा हुये हैं और हम यहां बैठे हैं और वह यहां पर बैठते थे, कितनी कमी महसूस कर रहे हैं और अब तो डर लगने लगा है यहां बैठते हुये । उन्होंने जो भी तरक्की की, नीचे की सीढ़ी से ऊंचाई तक गये । मंत्रि मंडल में वह रहे मुख्य मंत्री रहे और संचार मंत्री रहे । तो वह नीचे की सीढ़ी से चले और ऊपर की चोटी तक पहुंचे हैं । ऐसी कम मिसालें हैं । उनके काम करने का ढंग दूसरा था, काम करने का ढंग निराला था । जब भी उनसे सम्पर्क हुआ, एक अजीब काम

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

करने का तरीका पाया । आप लोगों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । आपकी सम्वेदनायें उनके परिवार को पहुंचा दी जायेंगी । आइये दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुये ।)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य श्री सरजू पाण्डेय तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री केशव गुप्ता, कृष्ण कान्त मिश्रा, गय्यूर अली खां, ओम प्रकाश सिंह, श्री नारायण तिवारी, शान्ति चरण पिन्डारा, विशन लाल, श्रीचन्द्र सिंघल, बदलू राम शुक्ल एवं श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मुझे अत्यन्त दुख के साथ माननीय सदस्य सर्वश्री सरजू पाण्डेय, केशव गुप्ता, कृष्ण कान्त मिश्रा, गय्यूर अली खां, ओम प्रकाश सिंह, श्री नारायण तिवारी, शान्ति चरण पिन्डारा, विशन लाल, श्रीचन्द्र सिंघल, बदलू राम शुक्ल और रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं या घोषित हुये, उनके निधन की सूचना देते हुये अत्यन्त दुख होता है। श्रीमन्, श्री सरजू पाण्डेय हमारे प्रदेश के एक जाने माने किसान और मजदूरों के नेता थे । सन् 1942 के आन्दोलन में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया और मुझे अच्छी तरह से याद है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में श्री चित्तू पाण्डेय और श्री सरजू पाण्डेय का नाम सन् 42 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के नाम के साथ लिया जाता है । उन्होंने कासिमाबाद के थाने पर और उस सारे क्षेत्र में 10 दिनों तक तिरंगा झण्डा लहराया और उस सारे क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग घोषित कर दिया और उसके बाद आजाद भारत घोषित किया । श्रीमन्, उसके बाद वे सन् 46 तक जेल में रहे । तत्पश्चात उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अंगीकृत किया और निरंतर संघर्ष करते रहे । वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की काउन्सिल के सचिव भी रहे और सन् 1957 में इस विधान सभा और लोक सभा दोनों के लिए एक साथ निर्वाचित हुये । वे दूसरे सदन विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । उनके निधन से हमने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कार्यकर्ता तथा सन् 42 के आन्दोलन के एक जाने माने नेता को खो दिया है । उन्होंने दीर्घकाल तक लोक सभा में सांसद तथा विधान मंडल के सदस्य के रूप में जो योगदान दिया है वह सदैव याद रखा जायेगा । श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी यह हार्दिक श्रद्धांजलि प्रेषित करने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री केशव गुप्ता जी इस प्रदेश के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजादी की पीढ़ी के अग्रणी थे । मुझे अच्छी तरह से याद है कि 15 साल तक इस सदन में जब श्री केशव गुप्ता जी खड़े होते थे तो किस आदर से उन्हें सुना जाता था और एक वरिष्ठ विधायक के रूप में कितना सम्मान उनका होता था । सभी पक्षों के लोग किस आदर के साथ उनकी बातें सुनते थे । जब कभी कोई गुत्थी सुलझाने का प्रश्न आता था तो श्री सम्पूर्णानन्द जी, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी तथा श्रीमती सुचेता कृपालानी जी तथा अन्य सभी लोग उनका सहारा लेते थे । वे मुजफ्फरनगर से निर्वाचित हुये थे । 90 साल की अवस्था होने के बाद भी वे लगातार जन समस्याओं के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना महत्वपूर्ण योगदान इन समस्याओं के निदान के लिए दिया । वे मुजफ्फरनगर, मेरठ मंडल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अग्रणी नेता रहे हैं । इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उठ जाने से जो क्षति हुई है वह अपूर्णीय है । मेरा आग्रह है कि आप हमारी इन हार्दिक शोक संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री कृष्ण कान्त मिश्रा लखनऊ शहर में कौमी एकता के प्रतीक थे । जिस सद्भाव और सामंजस्य से उनके माध्यम से लखनऊ में सामाजिक और कौमी एकता बनाने की दिशा में उनका योगदान मिलता रहा वह एक मिशाल बनकर रहेगी । वह एक मेधावी विधायक थे और उन्होंने जिस तरह ट्रेड यूनियन के माध्यम से लखनऊ और इस प्रदेश की सेवा की वह सदैव याद रखी जायेगी ।

श्री गय्यूर अली खां एक वरिष्ठ सदस्य और विधायक थे । श्रीमन्, 5 साल तक विधायक के रूप में उनके साथ बैठने का मौका मिला । इतनी सौम्यता और सज्जनता से वे अपने क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों को लेते थे और प्रभावी ढंग से वह उन मामलों की पैरवी करते थे ज्यादा विषयों को न लेकर कुछ विषयों को लाते और उन्हें वह पूरा करा लेते थे । यहां बैठ कर खासकर अपने क्षेत्र के कार्यों को करा लेते थे यह उनकी विशेषता थी । एक सांसद और विधायक के रूप में मुजफ्फरनगर और प्रदेश की उन्होंने सेवा की । कृपा कर उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह जी बरेली जनपद के प्रभावशाली कार्यकर्ता रहे । वे उपमंत्री और राज्य मंत्री के रूप में रहे और जिस विभाग को उन्होंने संभाला उसे बड़ी कुशलता के साथ संभाला और बड़ी मेहनत से कार्य करते थे, बहुत कम लोग होंगे जो लगातार अहर्निस काम करते हों वह शक्ति उनमें थी । श्री ओम प्रकाश सिंह जी के निधन से बरेली जनपद रूहेलखण्ड और प्रदेश को एक बड़ी क्षति हुई है । उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से शोकोद्गार भेजने का कष्ट करें ।

श्री श्रीनारायण तिवारी प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद् थे वे न केवल प्रधानाचार्य थे बल्कि प्रधानाचार्यों में भी उनका विशेष स्थान था उनका आजीवन यहां के सामाजिक जीवन में योगदान रहा है लखनऊ में कोई भी गोष्ठी, कोई भी सामाजिक सम्मेलन जो महत्वपूर्ण होता था उसमें उनका योगदान रहता था और विधायक के रूप में भी उनका योगदान रहता था । उनके भाषणों को अगर देखा जाय और उनका अध्ययन किया जाय तो आज भी वह प्रेरणादायक हैं, उनके भाषणों में अध्यापक की अमिट छाप है । वह बलिया से विधायक के रूप में आते थे लेकिन उनकी धाक पूरे प्रदेश में थी । ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षाविद और भूतपूर्व विधायक के निधन से जो क्षति हुई है वह एक प्रकार से अपूर्णनीय है । मेरा आपसे आग्रह है कि उनके परिवार को भी हमारी शोक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री शांति चरण पिंडारा एक क्रांतिकारी और सामाजिक विचारधारा के कार्यकर्ता रहे । श्रीमन्, मजदूर आंदोलन से उनका विशेष सम्बन्ध रहा । वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर आंदोलनों से सम्बद्ध रहे । मथुरा जनपद के प्रतिनिधि के रूप में उनका यहां विशेष योगदान रहा वह लगातार उनकी सेवा करते रहे और उनके निधन से जो क्षति हुई है वह अपूर्णनीय है । मेरा आपसे आग्रह है कि उनके शोकसंतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री बिशनलाल जी प्रखर व्यक्तित्व के उद्घोषक थे, वह बिजनौर के नगीना क्षेत्र से विधायक रहे । वह न केवल बिजनौर जनपद के बल्कि सारे प्रदेश के निर्बल वर्ग के, अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के लोगों की आवाज को उठाते थे वह एक ऐसी तस्वीर थे जो इन लोगों की आवाज को हमेशा उपर उठाते थे जिनसे वह आज वंचित हो गये हैं । उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री श्रीचन्द्र सिंघल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और आजादी की लड़ाई में व्यक्तिगत सत्याग्रह में उनका बड़ा योगदान रहा वह आजादी के समय विधायक रहे । आजादी के बाद भी अलीगढ़ के सामाजिक और शिक्षा जगत में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा । उनके शोक संतप्त परिवार को भी हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री बद्रलू राम शुक्ल जी बहराइच के एक ऐसे जनप्रतिनिधि और लोकनायक थे कि जिन्होंने विधायक और सांसद के रूप में अपनी विद्वता की एक छाप छोड़ी । वह जाने-माने एक एडवोकेट थे और जब वह विधान सभा में यहां प्रश्नों के सम्बन्ध में बोलते तो उनके अनुभव की छाप अधिवक्ता के रूप में, उनकी योग्यता की छाप भाषण के रूप में यहां रही और एक सांसद के रूप में बहराइच का सबल नेतृत्व किया । वह आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं । आपसे आग्रह है कि हमारी हार्दिक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें ।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव श्रमिक जगत के एक जागरूक प्रतिनिधि जीवन पर्यन्त ट्रेड यूनियन से संबद्ध रहे । मुझे याद है कि सबसे पहले 1948, 49 और 50 में सार्वजनिक जीवन शुरू किया तो लखनऊ की ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन से शुरू किया । उनका बिजली श्रमिक संगठनों से बड़ा लम्बा सम्पर्क रहा और उनका उन्होंने सफल नेतृत्व किया । लखनऊ के विधायक के रूप में उन्होंने लखनऊ नगर की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया । एक ऐसे श्रमिक कार्यकर्ता और नेता के निधन से सार्वजनिक जीवन में जो रिक्तता आयी है वह अपूर्णनीय है। मान्यवर, आपसे मेरा आग्रह है कि इन सभी दिवंगत हमारे साथियों के परिवारों तक हमारी हार्दिक संवेदनायें प्रेषित करने का आप कष्ट करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी के अतिरिक्त स्वर्गीय श्री सरजू पाण्डेय के विषय में तथा अन्य भूतपूर्व स्वर्गीय विधायकों के संबंध में जो संवेदनायें व्यक्त की हैं उससे मैं स्वयं को और अपने जनता दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, स्व0 शान्ति चरण पिंडारा जी का निधन 21 जून, 1989 को हो विदेश में हुआ । स्व0 सरजू पाण्डेय जी मजदूरों, शोषितों, दलितों के एक सजग प्रहरी के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाते रहे हैं। अपने दल की नीतियों के माध्यम से उन्होंने हमेशा इन वर्गों की लड़ाई को लड़ा और हमेशा उनके दिल और दिमाग में दलितों और शोषितों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसकी कसक रही है और अनेक सभाओं और समारोहों में उनके विचारों का उन्होंने सुना । स्व0 सरजू पाण्डेय जी धर्म

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निरपेक्षता के प्रतीक थे । वह कभी भी जिस धर्म से उनका संबंध था उसकी वकालत ऐसे नहीं करते थे जो धर्मनिरपेक्षता पर कहीं कटाक्ष आने पाये । वह गाजीपुर जिले में जन्मे और मात्र हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उनसे जब भी बातचीत होती तो वह विद्वता और शालीनता के प्रतीक दिखाई दिये । कभी अहसास नहीं होता कि राजनीति क्षेत्र में इतने कम शिक्षित व्यक्ति इतनी बड़ी योग्यता रखने वाला हो सकता है । मान्यवर, अभी मैं गाजीपुर गया था, दो दिन पहले, तो वहां स्व0 सरजू पाण्डेय के बारे में जानकारी की तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते और वह एहसास कर रहे हैं कि उनके निधन से आज शोषितों, दलितों की कोई भी खबर लेने वाला व्यक्ति गाजीपुर में नहीं रह गया है । उनके निधन से बहुत बड़ी रिक्तता आयी है उनके दल के लिये और विशेषकर उत्तर प्रदेश के शोषित, दलित मजदूरों के लिये । मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी शोक संवेदनायें हमारी तरफ से और हमारे जनता दल की तरफ से उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त मान्यवर, स्वर्गीय भूतपूर्व सदस्य कृष्णकान्त मिश्र जी का निधन जो हुआ, तो उनका निधन नहीं उनकी हत्या की गई और वह 6 अप्रैल, 89 को की गई । इस दिन दिन दहाड़े लखनऊ जैसे शहर की एक घनी बस्ती में उनकी हत्या कर दी गई । ऐसे मामले में केवल संवेदना व्यक्त करने से काम नहीं चलता, बल्कि वर्तमान सरकार के लिए यह एक चुनौती है और यह उनके देखने की बात है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलन्द हैं कि उसके चलते भूतपूर्व विधायक के साथ, उसकी जान के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा सकता है । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से कहूंगा कि शासन को विशेषकर संवेदनशील होना चाहिए ।

मान्यवर, के0 के0 मिश्र ने भी एक छोटी सी स्थिति से उठकर उत्तर प्रदेश विधान सभा को सुशोभित किया था । पहले यह छोटे से एक पुलिस कर्मचारी थे, फिर टी0 सी0 (रेलवे) कार्यालय में लिपिक व मुख्य लिपिक रहे । उसके बाद यह उत्तर प्रदेश विधान सभा में आए । मुझे भी उनके साथ रहने का अवसर मिला । उनके निधन से लखनऊ के एक समाजसेवी राजनीतिज्ञ को हम लोगों ने खो दिया है ।

मान्यवर, स्वर्गीय गय्यूर अली साहब का स्वर्गवास 80 वर्ष की आयु में हुआ । 80 वर्ष की आयु में उनका निधन, जन्म और मृत्यु की कड़ी का ही एक अंग है । यह स्वर्गीय गय्यूर अली साहब जब तक जीवित रहे, यह विभिन्न रूपों में समाज की सेवा करते रहे । विधान सभा के सदस्य रहे और राज्य सभा के भी सदस्य रहे । उनसे भी हमारी मुलाकात उनकी जिन्दगी के आखिरी दिनों में इसी वर्ष हुई जनवरी के महीने में । फिर भी वह देश और प्रदेश की बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करते रहते थे । उनके निधन से उनके जनपद को एक सजग और अनुभवी राजनीतिज्ञ बिदा हो गया ।

मान्यवर, श्री ओम प्रकाश सिंह जी का जन्म जनपद बरेली के सिमराबोरीपुर में हुआ था । यह बरेली जनपद हमारे जनपद के पड़ोस में है । जब यह राजनीति में थे, किन्तु हमारे सदन के सदस्य भी नहीं थे, तबसे मैं उनसे परिचित हूं । ओम प्रकाश सिंह जी बी0के0डी0 सरकार के जमाने में मंत्रिमण्डल के भी सदस्य रहे । ओमप्रकाश जी हमेशा किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ा करते थे और खास कर

पुलिस उत्पीड़न की कोई भी समस्या उनके सामने आई तो वह अपनी जिन्दगी के आखिरी समय तक उसके विरुद्ध मजबूती के साथ लड़ते रहे । उनके निधन से बरेली जनपद ही नहीं बल्कि बरेली मंडल में एक बहुत बड़ी रिक्तता पैदा हो गई है ।

मान्यवर, श्री श्रीनारायण तिवारी जी का निधन 22 मई, 1989 को हुआ । वह भी 85 वर्ष के थे । तिवारी जी काफी पढ़े-लिखे व्यक्ति थे और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे । उनके साथ रहने का मुझे सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत थी और उनकी समाजवाद और समाज सेवा के प्रति समर्पण की भावना के लिए वह अपने जिले और क्षेत्र के हर व्यक्ति द्वारा जाने जाते थे ।

मान्यवर, स्व0 शान्ति चरण पिंडारा जी का निधन 21 जून, 1989 को हो गया है । वह भी 73 वर्ष के थे । पिंडारा जी जनपद एटा के रहने वाले थे और बी0ए0, एल0एल0बी0 तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी ।। सन् 1969 में वह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर इस विधान सभा मे आए थे । उन्होंने जो पाक्षिक अखबार निकाला जिसके वह सम्पादक थे, उनका वह पाक्षिक अखबार "हलचल" बहुत ही लोकप्रिय था और अपने इस पत्र के माध्यम से वह बड़ी सजगता के साथ जनता की कठिनाइयों और समस्याओं के लिए हमेशा जनता की आवाज बुलन्द किया करते थे ।

मान्यवर, श्री केशव गुप्ता, जिनका स्वर्गवास लगभग 94 वर्ष की आयु में हो गया । श्री केशव गुप्ता सर्वप्रथम 1937 में कांग्रेस पार्टी से मुजफ्फरनगर से विजयी हुए थे । वह 1946 1952 तथा 1962 में विधान सभा के सदस्य रहे । व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे परिचय नहीं था, लेकिन माननीय केशव गुप्ता जी कर्मठ राजनीतिज्ञ थे । उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया, यह बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ थे । इनके निधन से प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

श्री विशनलाल जी भी हमारे सदन के सदस्य रहे । माननीय विशनलाल जी जनपद बिजनौर के रहने वाले थे और यहीं से जीतकर आए थे । इनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से परिचय था । यह बहुत ही सुशिक्षित थे इन्होंने डबल एम0 ए0 किया था। इनका जीवन सादगी से ओत-प्रोत था । यह प्रदेश के अन्दर और बिजनौर जिले के अन्दर अनुसूचित जाति की लड़ाइयों को लड़ा करते थे । यह बहुत बहादुरी के साथ अपने जीवन में इन वर्गों की लड़ाइयों को लड़ते रहे । इनके जाने से अनुसूचित जाति का एक सजग प्रहरी हमारे बीच से उठ गया है । इनके न रहने से बिजनौर जनपद को काफी क्षति हुई है ।

श्री श्रीचन्द्र सिंघल विधान सभा के सदस्य रहे । श्री सिंघल 1946 में कांग्रेस पार्टी से अलीगढ़ से चुनकर आए थे । माननीय सिंघल साहब को अलीगढ़ जनपद का हरेक नागरिक जानता है । वह अपने अन्तिम क्षणों तक लोगों की समस्याओं से जूझते रहे । जनपद अलीगढ़ में उनके जाने से एक बड़ी रिक्ति हो गई है । श्री सिंघल के निधन से जनपद अलीगढ़ को और इस प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है।

श्री बदलू राम शुक्ल का जन्म 10 जुलाई, 1916 को हुआ था । वह काफी पढ़े-लिखे व्यक्ति थे । वह 1984 में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गये थे । उनकी एक बहसी वकील के रूप में छवि बनी हुई थी । वह एक जाने-माने अधिवक्ता थे। उनके निधन से जनपद बहराइच को और हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

माननीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी की तरफ से हमारी शोक संवेदनायें दिवंगत नेताओं के परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, जिन दिवंगत नेताओं के प्रति माननीय नेता सदन एवं माननीय नेता विरोधी दल ने जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । माननीय नेताओं के चले जाने के कारण निश्चित रूप से रिक्तता उत्पन्न हो गई है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि समाज को शक्ति दे कि इस रिक्तता की पूर्ति हो पाए । मान्यवर, श्री कृष्णकान्त मिश्र जी का निधन अवांछित तत्वों के हमले से हुआ । यह बड़ी दुखद स्थिति है । इस शासन के अन्दर उन्होंने अनेक पदों पर काम किया । इन्हीं अनुभवों के कारण वह सिद्धहस्त हो चुके थे और विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वह एक बड़े समाजसेवी थे । वह इस विधान सभा के भी सदस्य रहे । उनके न रहने से एक बड़ी रिक्ति हो गई है ।

श्री गय्यूर अली खां मुजफ्फरनगर से चुनकर आए थे यह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे । इनके निधन से मुजफ्फरनगर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे । 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया था । इनके न रहने से बरेली जनपद में रिक्ति हो गई है। माननीय तिवारी जी पहले शिक्षक थे और शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत अभिरुचि रखते थे । इसके साथ ही साथ वह एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । उनके निधन से अपार क्षति हुई है । मान्यवर, श्री शांति चरण पिंडारा बचपन से ही समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी रुचि रखते थे । उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का अच्छा अध्ययन किया था और उनके बड़े समर्थक थे । उन्होंने अपना जीवन महात्मा जी के आदर्शों के अनुसार चलाने का संकल्प लिया था ।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ स्वर्गीय केशव गुप्त जी का निधन 9 मई, 1989 को 94 वर्ष की उम्र में हुआ । वह लगभग 15 वर्ष तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे । उनकी सेवाओं से सभी परिचित हैं । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया और अनेक वर्षों तक जेल में बड़ी यातनायें सही । मान्यवर, स्वर्गीय विशन लाल जी का निधन 2 जुलाई, 1989 को हो गया । वह 70 वर्ष के थे । उनकी रुचि लोकतंत्र की जो बुनियादी संस्थायें हैं उनमें बहुत अधिक थी । इसी नाते गन्ना सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी भण्डार और इसी प्रकार की अनेक संस्थायें जो स्थानीय रूप से लोगों की सेवा करती हैं और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती हैं, वह उनसे जुड़े रहे और उनमें रुचि लेते हुए अनेक पदों पर उन्होंने अपने जीवन काल में काम करते हुए लोगों की सेवा की ।

मान्यवर, श्री श्रीचन्द्र सिंघल जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था और वह एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी थे । वह एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मान्यवर, श्री बदलू राम जी का निधन 5 जुलाई, 1989 को जनपद बहराइच में हो गया वह 75

साल के थे। वह समाजवादी विचारों के समर्थक थे और उन्होंने समाजवादी विचारों के उन्नयन और प्रसार में बहुत काम किया। वह एक जानेमाने अधिवक्ता थे । न्याय और कानून की दृष्टि से वह एक बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे । उनके चले जाने से निश्चित रूप से बहराइच जनपद में एक बहुत बड़ी रिक्तता उत्पन्न हो गयी है ।। मान्यवर, स्वर्गीय रमेश चन्द्र श्रीवास्तव जी इस माननीय सदन के सदस्य थे । वे 60 वर्ष की उम्र में संसार को छोड़कर चले गये । मैंने उन्हें सुना था । वह श्रमिक क्षेत्र के एक बड़े कुशल और प्रभावी नेता थे उनकी सेवायें आज भी श्रमिक क्षेत्र में याद की जाती हैं । उनके निधन से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में रिक्तता उत्पन्न हुयी है जिसकी पूर्ति होनी कठिन है ।

मान्यवर, श्री सरजू पाण्डेय जी ने गाजीपुर जनपद के दुखी पीड़ित आर्त लोगों की सेवा की और उनके साथी बनकर उन्होंने काम किया और उन्होंने उल्लेखनीय तथा अनुकरणीय काम किया । उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता है । वह भी विधान परिषद् के सदस्य रहे, और अनेक पदों पर रहकर उन्होंने दुखी, पीड़ित, आर्त व्यक्तियों की सेवा की । उनके कार्यों के कारण, निश्चित रूप से वह सदा-सदा अमर रहेंगे ।

मान्यवर, मैं इन सभी व्यक्तियों के प्रति अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इन सबके शोक विह्वल परिवारों को मेरी और भारतीय जनता पार्टी की शोक श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय सरजू पाण्डेय जी, श्री के0के0 मिश्र जी, श्री गय्युर अली खां, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री श्रीनारायण तिवारी जी, श्री शांति चरण पिंडारा जी, श्री केशव गुप्त जी, श्री विशुन लाल जी, श्री श्रीचन्द्र सिंघल जी, श्री बदलू राम शुक्ल जी, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव जी के प्रति माननीय सदन में जो शोकोद्गार, जो विचार माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल और माननीय हरीश जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन सबके निधन से हमको बहुत दुख हुआ है। मान्यवर, स्वर्गीय सरजू पाण्डेय जी मरने के समय उत्तर प्रदेश राज्य काउंसिल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव थे, मुखिया थे । हम लोगों के संगठन का सेक्रेटरी ही चीफ होता है । मान्यवर, उनके बारे में जो बातें कही गयीं उनसे तो मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी अन्त्येष्टि क्रिया में मैं भी गाजीपुर गया था, वहां पर इतनी अपार जनसमूह एकत्रित था, मेरा ख्याल है कि एक लाख से ज्यादा ही लोग थे और सभी लोग गंगा घाट पर थे और सभी के चेहरे उदास थे । मान्यवर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया आदि जनपदों के लोग बड़े पैमाने पर तथा प्रदेश के बड़े पैमाने पर लोग उनकी अंत्येष्टि क्रिया में शामिल थे यह उनकी जन-प्रियता थी । मान्यवर, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जो संघर्ष के लिए पैदा होते हैं, जिनमें पाण्डेय जी थे । मान्यवर, 1941 से लेकर अगस्त, 1989 के अंतिम क्षणों तक वह निरंतर आन्दोलनों और संघर्षों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया करते थे । मान्यवर, उनके मास्को जाने से पहले हम लोगों की उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि यह राम-जन्म भूमि का मसला हल होना चाहिए और अगर यह हल नहीं हो पायेगा, तो यह देश टूटेगा और समाज बिखरेगा । मान्यवर, प्रदेश की राजधानी में आज वामपंथी मोर्चे की रैली आयोजित है, लाल झंडे लेकर 3 लाख

लोग लखनऊ को लाल किये हुये हैं, अगर आज पाण्डेय जी होते, तो उन्हें उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती । ये सभी लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, ये सभी लोग मूल्यवान लोग रहे हैं । हम लोग प्रयास करके कोशिश करें कि कहां तक उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर हम लोग आगे बढ़ सकें । इन शब्दों के साथ, आपसे निवेदन है कि हमारे ये शोकोद्गार उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय कृष्ण कान्त मिश्र, माननीय गय्यूर अली खां, माननीय ओम प्रकाश सिंह, माननीय श्रीचन्द्र सिंघल, माननीय विशनलाल, माननीय केशव गुप्ता, माननीय शांति चरण पिडारा, माननीय श्री नारायण तिवारी, माननीय रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, माननीय सरजू पाण्डेय हम लोगों के बीच नहीं रहे । इन लोगों के निधन से हमारे देश के राजनीति में अभाव पैदा हुआ है, वह पूरा नहीं हो सकता है । मान्यवर, इन नेताओं के प्रति हमारे सदन के नेता, नेता विरोधी दल तथा अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जब कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, तब कामरेड सरजू पाण्डेय के साथ मुझे काम करने का लम्बे समय तक अवसर मिला था और उन्हें मैं बहुत करीब से जानता था । वे एक समर्पित कम्युनिस्ट थे, जो जीवन पर्यन्त किसानों मजदूरों व गरीब जनता के लिए संघर्ष करते रहे । दुर्भाग्य की बात है कि उनका निधन यहां से जाने के 3-4 दिन बाद मास्को में हृदय गति रूक जाने से हो गया । मान्यवर, गाजीपुर में उनकी शव यात्रा में सम्मिलित होने और उनकी अन्तिम दर्शन करने के लिए जनता उमड़ पड़ी और गाजीपुर शहर के सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके शव पर पुष्प बरसा रहे थे ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई नेता हो जिसके प्रति इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सम्मान दिया हो । मान्यवर, वह विधान परिषद् के सदस्य थे लेकिन उसके पूर्व वह विधान सभा और लोकसभा के दोनों पदों के लिए इलेक्शन लड़े थे और दोनों में बिजयी हुए थे । वह वर्षों तक लगातार पार्लियामेन्ट के सदस्य रहे और उन्होंने इस काल में बहुत बड़े-बड़े काम किये थे । मान्यवर, उनके निधन से उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है । मान्यवर, सरजू पाण्डेय जी का ऐसे वक्त में निधन हो गया जब उनकी आज इस संकट की घड़ी में बहुत आवश्यकता थी जब देश की एकता और अखंडता को सम्प्रदायवादी और विघटनवादी शक्तियां चुनौती दे रही हैं । मान्यवर, सरजू पाण्डेय जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । आजादी के बाद उन्होंने कुड़वा मानिकपुर और छिछोर काण्ड में गरीब किसानों और जमींदारों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिससे वे लोकप्रिय हो गये थे उनके निधन से हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है ।

मान्यवर, अन्य नेताओं के बारे में कहा गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नेता थे उन्होंने समाज की सेवा की थी उनके निधन से बहुत बड़ी रिक्तता आई है । इन शब्दों के साथ, मैं इन सभी नेताओं के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आजादी के पहले और आजादी के बाद जिन्दगी के अंतिम क्षणों तक संघर्षरत, समाज के शोषित उत्पीड़ित वर्ग के लिए समर्पित कामरेड सरजू पाण्डेय और इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण कांत मिश्रा, श्री गय्यूर अली खां, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री श्रीनारायण तिवारी, श्री शांति चरण पिंडारा, श्री केशव गुप्ता, श्री विशन लाल, श्री श्रीचन्द्र सिंघल, श्री बदलू राम शुक्ल और श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन ने माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, मेरी ओर से और निर्दलीय विधायक समुदाय की ओर से शोक श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक, उनके शुभचिन्तकों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मुझे खेद है कि ट्रेन विलम्ब से आने के कारण मैं माननीय वीर बहादुर सिंह के प्रति जो उद्गार व्यक्त किये गये हैं, उसमें सम्मिलित नहीं हो सका। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय वीर बहादुर सिंह जी को जिन्होंने इस महान पदेश की सेवा अपने अंतिम क्षणों तक की, इस देश की सेवा की उनके प्रति अपनी पार्टी संयुक्त पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक और प्रदेश की जनता तक पहुंचाने की कृपा करें । अन्य माननीय सदस्यों को जो इस सदन के वरिष्ठ अधिकारी थे, सदस्य थे जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को लेकर आजादी के बाद तक जनता के बीच में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में जन संघर्षों को बढ़ाया, इस प्रदेश के विकास और जनहित में अपने जीवन की आहुति दे दी । मान्यवर, मैं उनके प्रति भी अपनी पार्टी और संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

मान्यवर, इनमें माननीय सरजू पाण्डेय जी जिन्होंने विभिन्न रूपों से इस प्रदेश की और देश के जननेता के रूप में, लोक सभा सदस्य के रूप में, विधान सभा और विधान परिषद् सदस्य के रूप में उन्होंने जो एक जनप्रतिनिधि का जीवन गुजारा वह जीवन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श के रूप में सदैव उजागर रहेगा । मैं बांदा जनपद से इस सदन में आता हूं । छात्र जीवन के बाद हम लोग कामरेड सरजू पाण्डेय जी के सम्पर्क में आए थे। उन्होंने बांदा और बुन्देलखण्ड में समाजवादी, साम्यवादी आन्दोलन को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान किया था । उनका जीवन मान्यवर, आखिरी समय तक एक आदर्श, समर्पित, संघर्षशील जननेता के रूप में रहा और सबसे बड़ी विशेषता, जो मैंने उनके जीवन में पायी, वह राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की उपज थे । उनके मन में दर्शन के रूप में मार्क्सवाद की बड़ी छाप थी । वह इतने उदार थे कि इधर जब डांगे साहब का दल सी0 पी0 आई0 से अलग हो गया, उनके मन में किसी प्रकार की बात नहीं उठी कि लोग उनके परिवार से अलग हो गये । उन्होंने बड़ी आत्मीयता से व्यवहार किया । सबसे बड़ी बात उनके जीवन में मैंने यह देखी कि काफी लम्बे अरसे तक वे राजनीतिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जीवन से जुड़े रहे, लेकिन उनके प्रति विवाद नहीं उठे । उन्होंने अपने परिवार के प्रति कुछ नहीं किया । उनके बच्चे न आज किसी पद में हैं, न सम्पन्नता का जीवन जी रहे हैं । एक छोटे से मकान, जो गाजीपुर में है, उसके माध्यम से उनका परिवार और बच्चे किसी प्रकार से जीवन यापन करेंगे । आज के सामाजिक संदर्भ में और राजनीतिक संदर्भ में किसी भी जननेता के रूप में ऐसी छवि का आदर्श प्रस्तुत करना बहुत कठिन काम है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से कामरेड सरजू पाण्डेय के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इस असेम्बली से लेकर पिछली असेम्बली तक बारह हमारे वरिष्ठ साथी इस दुनिया से उठ गये । दस हमारे विधायकगण, एक विधान परिषद् के और मा0 वीर बहादुर सिंह जी, एक-एक करके खम्भे गिरते जा रहे हैं । दरूनं में आ रहा है कि उनकी कमी पूरी नही हो रही है; हम पीछे चले जा रहे हैं । श्री कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री गय्यूर अली खां, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री श्रीनारायण तिवारी, श्री शांति चरण पिंडारा, श्री केशव गुप्ता, श्री बिशन लाल, श्री श्रीचन्द्र सिंघल, श्री बदलू राम शुक्ल, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव और विधान परिषद् के सदस्य श्री सरजू पाण्डेय। श्री सरजू पाण्डेय जी का एक अलग स्थान था ; जो हमारे साथी हमारे बीच से उठ गये और जो विचार आपने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । आपकी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाई जाएंगी । आइये दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊः
25 सितम्बर, 1989 ई0

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

जनपद गाजियाबाद के चुनाव क्षेत्र दादरी में निर्माणाधीन तथा भवनहीन प्राइमरी स्कूलों की विकास खण्डवार सूची.

स्वीकृत/निर्माणाधीन प्रा0 स्कूल

विकास खण्ड का नाम	प्रा0 स्कूल का नाम	निर्माण की प्रगति	निर्माण इकाई का नाम
1- दादरी	1-प्रा0पा0 घोड़ी नं 2	प्रारम्भ/प्रगति पर	ग्रा0अ0सेवा- गाजियाबाद
	2- ,, खन्डेरी	,,	,,
	3- ,, रपवास	,,	,,
	4- ,, सलारपुर	अप्रारम्भ	,,
	5- ,, आमको	अप्रारम्भ	,,
	6- ,, खुशेदपुरा	अप्रारम्भ	,,
2- बिसरख	7- ,, आगाहपुर	प्रारम्भ/प्रगतिपर	न्योडा अथार्टी
	8- ,, बरौला	,,	,, गाजियाबाद ग्रा0अस0
	9- ,, असंगरपुर	,,	,, सेवा गाजियाबाद
	10- ,, सुनपुरा	,,	,, ,,
	11- ,, शहदरा	अप्रारम्भ	,,
	12- ,, गढ़ी चौखंडी	अप्रारम्भ	,,
	13- ,, सदरपुर	अप्रारम्भ	,,
	14- ,, रिछपाल गढ़ी	अप्रारम्भ	,,
	15- ,, गिजोड़	अप्रारम्भ	,,
	16- ,, यामूरा	अप्रारम्भ	,,
	17- ,, कलोन्दा नं0 2	अप्रारम्भ	(भूमि, अप्राप्त)

भवनहीन प्राइमरी स्कूल

वि0 खंड का नाम	प्रा0 स्कूल का नाम		भवन निर्माण की व्यवस्था
1- दादरी	1-	प्रा0 स्कूल, बोडाकी	
	2-	,, मायची नं0 2	
	3-	,, रिठौरी	
	4-	,, कोट	
	5-	,, आनंदपुर	
	6-	,, सैतली नं0 1	
	7-	,, सैतली नं0 2	
	8-	,, जानसमाना	संबंधित ग्राम सभा
	9-	बढ़पुरा	
	10-	खटाना नं0 1	
	11-	खटाना नं0 2	
	12-	,, फूलपुर	
	13-	,, नई बस्ती	
	14-	,, गुलावठी	
	15-	,, सादोपुर	
2- बिसरख	16-	,, हैबतपुर	
	17-	,, तिलपता नं0 2	
	18-	,, दुजाना नं0 2	
	19-	,, लखनावली	

नत्थी 'ख'

(देखिए अ0 प्र0 सं0 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

तालिका

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1989 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री इम्तियाज मोहम्मद खा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या-109 के संबंध में मकतबों की संख्या

जनपद-सहारनपुर

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	उर्दू मदरसों की संख्या
1	गंगोह	1
2	नकुड़	2
3	सरसावा	2
4	पुवारका	4
5	मुजफ्फराबाद	3
6	साढोली कदीम	3
7	नारसन	2
8	लक्सर	1
9	रुड़की	1
10	बहादराबाद	1
11	भगवानपुर	3
12	देवबन्द	3
13	नागल	1
14	नागोला	1
15	बलियाखड़ी	1
16	नगरक्षेत्र सहारनपुर	1
	योग ..	30

उपर्युक्त के अतिरिक्त दो (एक लकी गेट दूसरा रुड़की में) मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त अरबी मदरसे हैं। इस प्रकार कुल 32 मदरसे/मकतब हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 253 विधान सभा (413) 1989-813।